इंफ्रा एंड सर्विसेस

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड

13वीं वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

मिशन और विजन

“विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रुप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रुप में स्वयं को स्थापित करना”

विषयवस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष का संबोधन	06
2.	निदेशक की रिपोर्ट	12
3.	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर रिपोर्ट	29
4.	प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	36
5.	कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	42
6.	कॉर्पोरेट शासन पर प्रमाणपत्र	62
7.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	64
8.	फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिर्टन का सार	70
9.	फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण	77
	वित्तीय विवरण 2021-22	
10.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	82
11.	तुलन पत्र	101
12.	लाभ और हानि विवरण	102
13.	रोकड़ प्रवाह विवरण	103
14.	इक्विटी परिवर्तन का विवरण	104
15.	लेखांकन नीतियां	105
16	लेखों संबंधी नोट	147
17.	नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक से प्रमाणपत्र	215

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत सरकार के उपक्रम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

निदेशक मंडल

श्री योगेश कुमार मिश्रा,
अध्यक्ष
(01 अक्टूबर 2021 से)

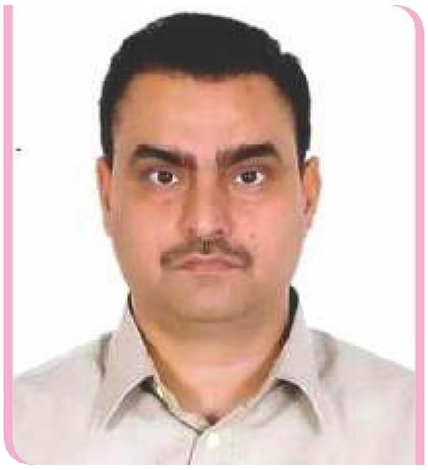

श्री सुरेंद्र सिंह
निदेशक
(1 जुलाई 2021 से)

श्री पराग वर्मा
निदेशक
(5 अप्रैल 2018 से)

श्री अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(1 अप्रैल 2022 से)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री अजय पाल सिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(6 मार्च 2020 से प्रभावी)

श्रीमती पूजा चौरसिया
मुख्य वित्तीय अधिकारी:
(25 जनवरी 2019 से प्रभावी)

सुश्री स्वाति पोद्दार
कंपनी सचिव
(24 अगस्त 2022 से प्रभावी)

सांविधिक लेखापरीक्षक

के.एम.जी.एस एंड एसोसिएट्स, (सनदी लेखाकार)

पता: बेसमेंट 18, नेशनल पार्क, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024

सचिवीय लेखापरीक्षक

सुश्री कंचन शाह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव,

पता : 1-31, गली नं.3, ललित पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-1100924, सेक्टर-40

आंतरिक लेखापरीक्षक

एम.एम एंड एसोसिएट्स (कंपनी सचिव)

पता : 10डी, सेक्टर-7, पॉकेट-1, द्वारका, नई दिल्ली-110075

मुख्य बैंकर

- इंडियन ओवरसीस बैंक
- एचडीएफसी बैंक

बहुउद्देशीय परिसर

अध्यक्ष का संबोधन

गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 13वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपार्ट तथा निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा सचिवीय संपरीक्षकों की रिपोर्ट आपको परिपत्रित की गई है और मैं इस आशय की अनुमति हेतु अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ लिया गया होगा।

विश्व अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2020–21 में सबसे अस्थिर अवधि में से एक का अनुभव किया है और 2021–2022 की अवधि में भी अभूतपूर्व रूप से व्यापार और दिन–प्रतिदिन के जीवन में इसका प्रभाव जारी है। इसलिए, पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना थी कि हमारे उद्देश्यों को पूरा करने और हमारे ग्राहकों का समर्थन करते हुए हमारे सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य और कल्याण। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने कार्य करने के विकसित तरीकों की विवेकपूर्णता, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का परीक्षण किया। प्रगतिरत कार्यों को पूरा करने और नए कार्यों के अवसर प्राप्त करने में कोविड–19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हालाँकि, अवसंरचना के क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा विशेष बल दिए जाने से अर्थव्यवस्था में गति प्राप्त करने के साथ–साथ विभिन्न वैकल्पिक अवसर खोले हैं, जो आपकी कंपनी को नए मार्ग प्रदान करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के कार्यनिष्पादन पर नवीनतम स्थिति को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने 170.84 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है, जो कि पिछले वर्ष की 194.39 करोड़ रूपए की प्रचालनिक आय से 12 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है और कंपनी ने पिछले वर्ष के 199.54 करोड़ रूपए की तुलना में इस वर्ष 177.89 करोड़ रूपए का कुल राजस्व अर्जित किया हैं। कंपनी ने 13.35 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है और कर पश्चात लाभ 5.30 करोड़ रूपए है।

वित्तीय वर्ष 2021–2022 में टर्नओवर पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य रूप से कुछ परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्यों को पूरा करने और उन्हें सौंपने के कारण कम था, जो नई प्राप्त परियोजनाएं निष्पादन के प्रारंभिक चरण में होने और संपत्ति की हानि के लिए किए गए प्रावधानों के कारण था। इस प्रकार, इस क्षेत्र के तहत वित्तीय वर्ष 2021– 2022 के दौरान बुक किया गया राजस्व 141.99 करोड़ रूपए था, जबकि 2020–2021 में यह 167.76 करोड़ रूपए था।

प्रचालनिक प्रोफाइल

आपकी कंपनी ने रेल मंत्रालय के लिए तेईस चिह्नित रेलवे स्टेशन परिसरों पर चौबीस बहुउद्देशीय परिसरों के विकास का कार्य किया था। इरकॉन आईएसएल, ने 23 बहुउद्देशीय परिसरों को तीसरे पक्षों को सफलतापूर्वक उपपट्टे पर दिया है। उपपट्टे पर दिए गए इन 23 बहुउद्देशीय परिसरों में से तारापीठ, राजगीर तथा थिरूवला में बहुउद्देशीय परिसरों को

वित्तीय रूप से अलाभप्रद माना गया था और करारों की शर्तों के अनुसार इन्हें रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस किया गया था।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने निम्नलिखित चार नई परियोजना प्रबंधन परामर्श परियाजनाओं को प्राप्त किया है:

क. 11.98 लाख रुपये प्रति माह की लागत पर ग्रेटर मुंबई नगर निगम के लिए जी/एस वार्ड में महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास डॉ.ई.मोसेस रोड और केशवराव खाड़े मार्ग पर दो सडक उपरिपुलों के निर्माण के लिए पीएमसी पर्यवेक्षण कार्य।

ख. 21,19,78,781.20/– रुपये की राशि के लिए उत्तर पूर्व रेलवे हेतु उत्तराखंड राज्य में टनकपुर से बागेश्वर (लगभग 154.58 किमी) तक नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) कार्य। इस कार्य की समापन अवधि 12 माह है।

ग. 6000 वर्गमीटर से 10000 वर्गमीटर से अधिक के भूखंड क्षेत्र के लिए परियोजना लागत पर 4.10 प्रतिशत की दर से और 10000 वर्गमीटर से अधिक के भूखंड क्षेत्र के लिए परियोजना लागत पर 3.49 प्रतिशत की दर से शुल्क के लिए एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल/संपत्तियों के विकास और मुद्रीकरण के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में पैनल में शामिल किया गया है।

घ. 11,81,11,799.42. की राशि के लिए मणिपुर में इंफाल–मोरेह नई बीजी सिंगल लाइन परियोजना (कुल अनुमानित लंबाई 110 किमी) के संबंध में उपग्रह या एलआईडीएआर इमेजरी से उत्पन्न डिजिटल टेरेनध्एलीवेशन मॉडल (डीटीएम/डीईएम/डीएसएम) का उपयोग करते हुए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस), भूमि पर संरेखण, भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय मानचित्रण आदि कार्य। कार्य पूर्ण करने की समयावधि 10 माह है।

वर्ष के दौरान प्राप्त की गई नई परियोजनाओं के अतिरिक्त, आपकी कंपनी भारत में बारह परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान कर रही है, जिनमें से प्रमुख हैं:–

(क) आपकी कंपनी दुघोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श उपलब्ध करा रही है और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 425.20 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। आज की तारीख कार्य की भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत है और इसके दिसंबर, 2022 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

(ख) आपकी कंपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली के नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 192 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है और इसे सौंप दिया गया है जिसमें ब्लॉक–।, ब्लॉक–।। तथा ब्लॉक–।।। शामिल हैं, जबकि चरण–।। का कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

(ग) आपकी कंपनी भारतीय भू पोत प्राधिकरण (एलपीएआई) द्वारा 04 भू–पोर्टों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरिक एकोमोडेशन के निर्माण के लिए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है, यथा 1.अटारी–पंजाबी, 2.जोगबनी–बिहार 3.पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल, 4. दवकी–मेघालय तथा, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 118.82 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। अटारी–पंजाब में कार्य का उद्घाटन दिनांक 17.03.2022 को वर्चुवल माध्यम से माननीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह द्वारा किया गया है। जोगबनी–बिहार का कार्य परियोजना के सितंबर, 2022 तक पूरा होने का कार्यक्रम है। द्वाकी–मेघालय और पेटरापोल–पश्चिम बंगाल के दो अन्य स्थलों में कार्य प्रगति पर है।

(घ) आपकी कंपनी ने कडकोला स्टेशन, मैसूर जिला, कर्नाटक के समीप मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है। इसके करार पर दिनांक 20.01.2017 को हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 48.23 करोड़ रूपए है। कार्य प्रगति पर हैं और इस परियोजना के समापन की अनुसूचित तिथि 06.12.2023 है।

(ङ.) आपकी कंपनी ने पारादीप (ओडीशा) में भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा प्रदान किए गए मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 83.03 करोड़ रूपए है। इस कार्य की भौतिक प्रगति 48 प्रतिशत है और इस परियोजना के समापन की अनुसूचित तिथि दिसंबर, 2023 है।

(छ) आपकी कंपनी एमएमएलपी पारादीप बंदरगाह ओडिशा में मैसर्स इफको के लिए प्रबंधन सुविधाओं के विकास के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा भी प्रदान कर रही है, जिसे कॉनकॉर इंडिया लिमिटेड द्वारा लगभग 98.50 करोड रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर प्रदान किया गया है। परियोजना की वास्तविक प्रगति 50 प्रतिशत है और इसे दिसंबर–2022 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

(ज) आपकी कंपनी लगभग 201 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर कॉनकॉर के लिए दहेज, गुजरात के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है। यह कार्य अप्रैल 2022 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। आज की तारीख को परियोजना की भौतिक प्रगति 97 प्रतिशत है।

(झ) आपकी कंपनी लगभग 47.53 करोड रुपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी), ऊंचाहार में स्टेज–1 (2x210 मे.वा) केएमजीआर सिस्टम के पीआरसी स्लीपरों के साथ सीएसटी–9 स्लीपरों के प्रतिस्थापन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा भी प्रदान कर रही है। यह कार्य जुलाई, 2023 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। आज की तारीख को परियोजना की भौतिक प्रगति 05 प्रतिशत है।

(ट) आपकी कंपनी ने दक्षिण पूर्व रेलवे में सीईआरएल के खरसिया–कोरिछापर खंड में ईस्ट रेल कॉरिडोर चरण–। परियोजना परिसंपत्तियों (ट्रैक ब्रिज और अन्य संबद्ध संपत्ति, ओएचई और एसटी) के संचालन और रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के साथ दिनांक 22.08.2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और यह कार्य प्रगति पर है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 87 करोड़ रूपए है। ओ एंड एम कार्य दिनांक 12.10.2019 को शुरू हो गया है और यह कार्य प्रगति पर है।

(ठ) आपकी कंपनी (i) जेएनवी में दो नवोदय विद्यालय, आगर मालवा (मध्य प्रदेश) और (ii) साबरकांठा (गुजरात) में क्रमशः 25.09 करोड़ और 29.09 करोड़ रुपये की लागत पर नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य भी प्रदान कर रही है। अब तक दोनों परियोजनाओं की भौतिक प्रगति क्रमशः 85 प्रतिशत और 78 प्रतिशत है। इस कार्य को सितंबरा 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ड) आपकी कंपनी नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पीएमसी फीस सहित 79.90 करोड रुपये की लागत से परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है और इस कार्य की समापन अनुसूची मार्च, 2023 है। आज की तिथि को कार्य की प्रगति 13 प्रतिशत है।

(च) आपकी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की अल्जीरिया और बांग्लादेश परियोजना के लिए ''जनशक्ति की आपूर्ति'' का कार्य भी कर रही है और इसने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 0.70 करोड़ रुपये की परिचालन आय अर्जित की है।

(छ) आपकी कंपनी अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ''मशीनरी को पट्टे पर देने'' का कार्य भी कर रही है और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 1.84 करोड़ रुपये की परिचालन आय अर्जित की है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी अच्छे निगमित शासन तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों तथा सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियामों के अनुपालन और नैतिकता के अनुसार व्यवसाय का संचालन करते हुए पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वांछित ब्यौरे को प्रस्तुत करने वाले निगमित शासन का एक पृथक खंड निदेशक की रिपोर्ट का भाग है। वर्ष के दौरान, कंपनी कंपनी के लिए वित्ती वर्ष 2021–22 हेतु अनुछेद 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ के 2 प्रतिषत के रूप में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति 27 लाख रूपए खर्च करना अपेक्षित है। वांछित ब्यौरे को प्रस्तुत करने वाले निगमित शासन का एक पृथक खंड निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल और कंपनी की ओर से, मैं रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण, तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अपनी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा शेयरधारकों का, उनके निरंतर सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जो हमारी सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति हैं और मैं अपने ग्राहकों, वेंडरों तथा साझेदारों को उनके विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

हम नए वित्तीय वर्ष में व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जहां कोविड–19 महामारी की घातक और दूसरी लहर के उभरने के साथ अनिश्चितताएं फिर से शुरू हो गई हैं लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका समर्पण, विवेक और कड़ी मेहनत तथा सहयोग तथा हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता आगामी महीनों में और बेहतर ही होगी तथा हम इस समस्या के समय से बाहर आकर कंपनी को बेहतर स्थिति में लाएंगे।

ह/–
(योगेश कुमार मिश्रा)
(अध्यक्ष)
(डीआईए सं. 07654014)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2022

निदेशक की रिपोर्ट

इरकॉन इंफ्रोस्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, भारत सरकार का उपक्रम)

निदेशक की रिपोर्ट

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के कार्यकलापों की 13वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

1. वित्तीय निष्पादन/विशेषताएं

क. वित्तीय निष्पादनः

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने 170.85 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है, जो कि पिछले वर्ष की 194.39 करोड़ रूपए की प्रचालनिक आय से 12 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 में टर्नओवर, पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा, जिसका मुख्य कारण, कुछ परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्यों को पूरा करके सौंप दिया गया था, जबकि नई प्राप्त परियोजनाएं निष्पादन के प्रारंभिक चरण में हैं और यह परिसंपत्तियों की हानि के लिए सृजित प्रभाव के कारण भी है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने 13.35 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ और 5.30 करोड रूपए का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रति शेयर आमदनी पिछले वर्ष में 0.82 रूपए है।

- दिनांक 31 मार्च 2022 को कंपनी की निवल संपत्ति 164.94 करोड़ रूपए हो गई है।

ख. वित्तीय विशेषताएं

वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतक निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1.	प्राधिकृत शेयर पूंजी	65.00	65.00
2.	अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी	65.00	65.00
3.	आरक्षित निधि व अधिशेष	99.94	94.64
4.	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	-	2.88
5.	कुल राजस्व	177.89	199.54
6.	प्रचालनों से राजस्व	170.84	194.39
7.	कर पूर्व लाभ	13.35	14.11
8.	कर पश्चात लाभ	5.30	5.75
9.	निवल संपत्ति	164.94	159.64
10.	प्रति शेयर आमदनी (रूपए)	0.82	0.88

ग. आरक्षित निधि में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी ने आरक्षित निधि में 5.30 करोड रूपए अंतरित किए हैं।

घ. विदेशी मुद्रा आमदनियां और निर्गम

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, इरकॉन की अल्जीरिया और बांग्लादेश परियोजनाओं के लिए जनशक्ति आपूर्ति और विदेशी परियोजना से परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) शुल्क के कारण कंपनी की विदेशी मुद्रा आय 0.90 करोड़ रुपये है। म्यांमार में विदेशी परियोजनाओं और इरकॉन की अल्जीरिया और बांग्लादेश परियोजनाओं के जनशक्ति खर्च के कारण कंपनी का विदेशी मुद्रा व्यय 0.51 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी की शुद्ध विदेशी मुद्रा आमदनी 0.39 करोड़ रुपये है।

ङ. लाभांश:

कंपनी के संसाधनों के संरक्षण और कंपनी के विकास के लिए लाभों को प्राप्त करने हेतु, निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

च. शेयर पूंजीः

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 65 करोड़ रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी तथा 65 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूंजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसका 100 प्रतिशत इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा धारित है।

2. प्रचालन निष्पादन

क. आपकी कंपनी ने रेल मंत्रालय के लिए तेईस चिन्हित रेलवे स्टेशन परिसरों में चौबीस बहु–कार्यात्मक परिसरों (एमएफसी) के विकास का कार्य आरंभ किया था। इरकॉनआईएसएल ने 23 एमएफसी को सफलतापूर्वक तीसरे पक्ष को उपपट्टे पर दिया है। उपपट्टे पर लिए गए इन 23 एमएफसी में से तारापीठ, राजगीर और तिरुवाला में एमएफसी को वित्तीय रूप से अव्यवहार्य माना गया और समझौतों की शर्तों के अनुसार रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस कर दिया गया है।

ख. भारत में चालू परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित बारह भारतीय परियोजनाओं को निष्पादित किया हैः–

(क) आपकी कंपनी दुघोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श उपलब्ध करा रही है और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 425.20 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। आज की तारीख कार्य की भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत है और इसके दिसंबर, 2022 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

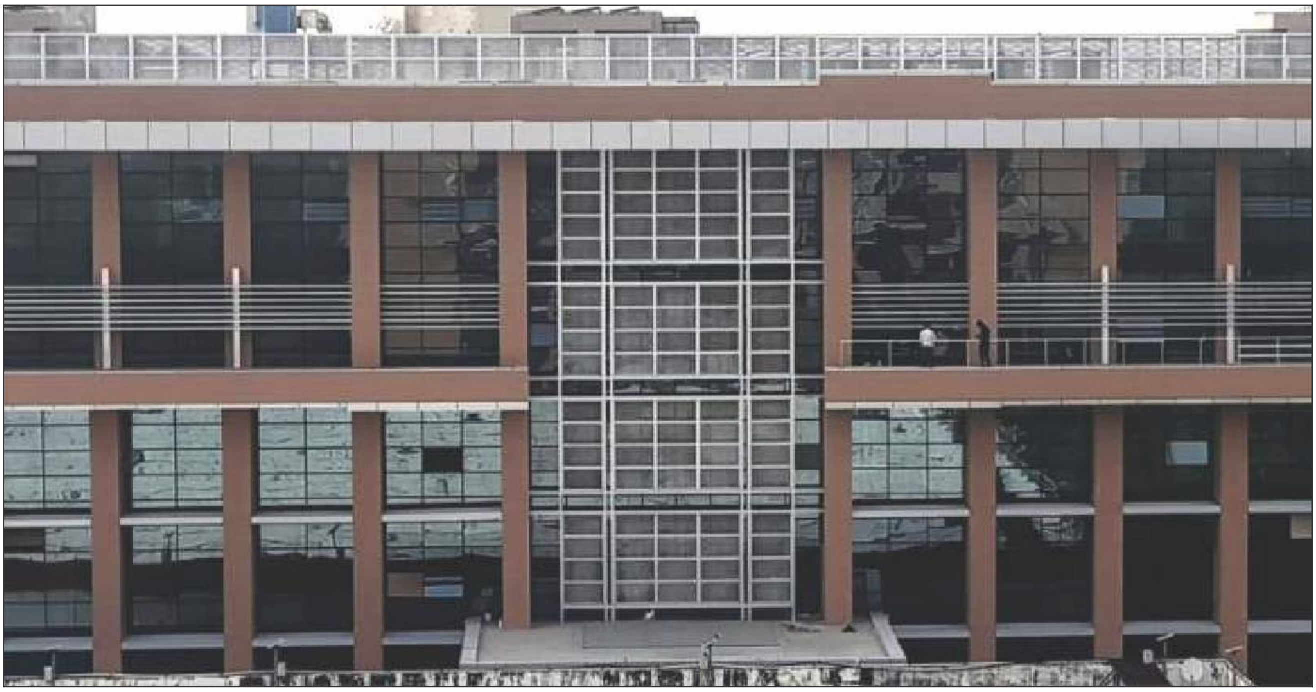

Progress of Department of Science and Technology at Technology Bhawan, New Delhi.

(ख) आपकी कंपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली के नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 192 करोड़ रूपए

(पीएमसी शुल्कों सहित) है। प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है और इसे सौंप दिया गया है जिसमें ब्लॉक–।, ब्लॉक–।। तथा ब्लॉक–।।। शामिल हैं, जबकि चरण–।। का कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

(ग) आपकी कंपनी भारतीय भू पोत प्राधिकरण (एलपीएआई) द्वारा 04 भू–पोर्टों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरिक एकोमोडेशन के निर्माण के लिए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है, यथा 1.अटारी–पंजाबी, 2.जोगबनी–बिहार 3.पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल, 4. दवकी–मेघालय तथा, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 118.82 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। अटारी–पंजाब में कार्य का उद्घाटन दिनांक 17.03.2022 को वर्चुवल माध्यम से माननीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह द्वारा किया गया है। जोगबनी–बिहार का कार्य परियोजना के सितंबर, 2022 तक पूरा होने का कार्यक्रम है। द्वाकी–मेघालय और पेटरापोल–पश्चिम बंगाल के दो अन्य स्थलों में कार्य प्रगति पर है।

(घ) आपकी कंपनी ने कडकोला स्टेशन, मैसूर जिला, कर्नाटक के समीप मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है। इसके करार पर दिनांक 20.01.2017 को हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 48.23 करोड़ रूपए है। कार्य प्रगति पर हैं और इस परियोजना के समापन की अनुसूचित तिथि 06.12.2023 है।

(ड.) आपकी कंपनी ने पारादीप (ओडीशा) में भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा प्रदान किए गए मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण कार्य के

लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 83.03 करोड़ रूपए है। इस कार्य की भौतिक प्रगति 48 प्रतिशत है और इस परियोजना के समापन की अनुसूचित तिथि दिसंबर, 2023 है।

(छ) आपकी कंपनी एमएमएलपी पारादीप बंदरगाह ओडिशा में मैसर्स इफको के लिए प्रबंधन सुविधाओं के विकास के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा भी प्रदान कर रही है, जिसे कॉनकॉर इंडिया लिमिटेड द्वारा लगभग 98.50 करोड रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर प्रदान किया गया है। परियोजना की वास्तविक प्रगति 50 प्रतिशत है और इसे दिसंबर–2022 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

(ज) आपकी कंपनी लगभग 201 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर कॉनकॉर के लिए दहेज, गुजरात के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है। यह कार्य अप्रैल 2022 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। आज की तारीख को परियोजना की भौतिक प्रगति 97 प्रतिशत है।

Progress for Replacement of CST-9 Sleepers with PRC Sleepers at NTPC,

(झ) आपकी कंपनी लगभग 47.53 करोड रुपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी), ऊंचाहार में स्टेज–1 (2x210 मे.वा) केएमजीआर सिस्टम के पीआरसी स्लीपरों के साथ सीएसटी–9 स्लीपरों के प्रतिस्थापन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा भी प्रदान कर रही है। यह कार्य जुलाई, 2023 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। आज की तारीख को परियोजना की भौतिक प्रगति 05 प्रतिशत है।

(ट) आपकी कंपनी ने दक्षिण पूर्व रेलवे में सीईआरएल के खरसिया–कोरिछापर खंड में ईस्ट रेल कॉरिडोर चरण–। परियोजना परिसंपत्तियों (ट्रैक ब्रिज और अन्य संबद्ध संपत्ति, ओएचई और एसटी) के संचालन और रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के साथ दिनांक 22.08.2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और यह कार्य प्रगति पर है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 87 करोड़ रूपए है। ओ एंड एम कार्य दिनांक 12.10.2019 को शुरू हो गया है और यह कार्य प्रगति पर है।

(ठ) आपकी कंपनी (i) जेएनवी में दो नवोदय विद्यालय, आगर मालवा (मध्य प्रदेश) और (ii) साबरकांठा (गुजरात) में क्रमशः 25.09 करोड़ और 29.09 करोड़ रुपये की लागत पर नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य भी प्रदान कर रही है। अब तक दोनों परियोजनाओं की भौतिक प्रगति क्रमशः 85 प्रतिशत और 78 प्रतिशत है। इस कार्य को सितंबरा 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ड) आपकी कंपनी नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पीएमसी फीस सहित 79.90 करोड रुपये की लागत से परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है और इस कार्य की समापन अनुसूची मार्च, 2023 है। आज की तिथि को कार्य की प्रगति 13 प्रतिशत है।

ग. भारत में नई परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान, इरकॉनआईएसएल ने चार नई प्रबंधन परामर्श परियोजनाएं प्राप्त की हैं।

क. 11.98 लाख रुपये प्रति माह की लागत पर ग्रेटर मुंबई नगर निगम के लिए जी/एस वार्ड में महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास डॉ.ई.मोसेस रोड और केशवराव खाड़े मार्ग पर दो सडक उपरिपुलों के निर्माण के लिए पीएमसी पर्यवेक्षण कार्य।

ख. 21,19,78,781.20/— रुपये की राशि के लिए उत्तर पूर्व रेलवे हेतु उत्तराखंड राज्य में टनकपुर से बागेश्वर (लगभग 154.58 किमी) तक नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) कार्य। इस कार्य की समापन अवधि 12 माह है।

ग. 6000 वर्गमीटर से 10000 वर्गमीटर से अधिक के भूखंड क्षेत्र के लिए परियोजना लागत पर 4.10 प्रतिशत की दर से और 10000 वर्गमीटर से अधिक के भूखंड क्षेत्र के लिए परियोजना लागत पर 3.49 प्रतिशत की दर से शुल्क के लिए एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल/संपत्तियों के विकास और मुद्रीकरण के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में पैनल में शामिल किया गया है।

घ. 11,81,11,799.42. की राशि के लिए मणिपुर में इंफाल–मोरेह नई बीजी सिंगल लाइन परियोजना (कुल अनुमानित लंबाई 110 किमी) के संबंध में उपग्रह या एलआईडीएआर इमेजरी से उत्पन्न डिजिटल टेरेनध्एलीवेशन मॉडल (डीटीएम/डीईएम/डीएसएम) का उपयोग करते हुए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस), भूमि पर संरेखण, भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय मानचित्रण आदि कार्य। कार्य पूर्ण करने की समयावधि 10 माह है।

घ. आपकी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की अल्जीरिया और बांग्लादेश परियोजना के लिए ''जनशक्ति की आपूर्ति'' का कार्य भी कर रही है और इसने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 0.70 करोड़ रुपये की परिचालन आय अर्जित की है।

ङ. आपकी कंपनी अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ''मशीनरी को पट्टे पर देने'' का कार्य भी कर रही है और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 1.84 करोड़ रुपये की परिचालन आय अर्जित की है।

3. अनुपालन

क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पारदर्शिता के संवर्धन एवं संवर्धित जवाबदेही के लिए, कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए तंत्र विद्यमान है। सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन–सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा सहायक जन–सूचना अधिकारी (एपीआईओ) के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना इरकॉन आईएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय–सीमा के भीतर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान कंपनी को 11 आईटीआई आवेदन और 2 अपीलें प्राप्त हुई हैं और सभी की प्रक्रिया/निपटान समयबद्ध आधार पर किया गया है।

ख. समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए इरकॉन और इरकॉनआईएसएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने से रेल मंत्रालय के माध्यम से डीपीई से छूट प्राप्त करने के लिए धारक कंपनी से अनुरोध किया है।

4. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान, धारक कंपनी द्वारा नामांकन में परिवर्तन पर कंपनी के निदेशक मंडल इस प्रकार हैं:

1. श्री मुकेश कुमार सिंह के स्थान पर 01 अक्टूबर 2021 से अध्यक्ष और अंशकालिक निदेशक के रूप में श्री योगेश कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है।

2. श्री अभिजीत कुमार सिन्हा के स्थान पर 01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च, 2022 तक अंशकालिक निदेशक के रूप में श्री सुरजीत दत्ता को नियुक्त किया गया था।

नोटः श्री सुरजीत दत्ता के स्थान पर 01 अप्रैल 2022 से अंशकालिक निदेशक के रूप में श्री अभिजीत कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है।

इस रिपोर्ट की तिथि को पदधारित निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

1.	श्री योगेश कुमार मिश्रा (डीआईएन 07654014)	01.10.2021 से आगे
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह (डीआईएन 09214484)	01.07.2021 से आगे
3.	श्री पराम वर्मा (डीआईएन 05272169)	05.04.2018 से आगे
4.	श्री अभिजीत के. सिन्हा (डीआईएन 09213782)	01.04.2022 से आगे

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–203 के प्रावधानों के अनुसार, जो 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ, कंपनी ने 3 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त किए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

नोटः दिनांक 17 अगस्त, 2022 से सुश्री स्वाति पोद्दार को सुश्री मनीषा गोला के स्थान पर कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक कार्यालय का विवरण इस प्रकार है:

1.	श्री अजय पाल सिंह मुख्य कार्यपालक अधिकारी	06.03.2020 से आगे
2.	सुश्री पूजा चौरसिया मुख्य वित्त अधिकारी	25.01.2019 से आगे
3.	सुश्री स्वाति पोदार कंपनी सचिव	24.08.2022 से आगे

5. बोर्ड समितियां

कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियां विद्यमान हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित ब्यौरे को निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है और यह **अनुबंध–ग** पर संलग्न है।

6. निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान निदेशक मंडल की छह बैठकें और लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठकें आयोजित की गईं थीं।

निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षा समिति और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों का ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट में **अनुबंध–ग** के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

7. रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 में रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों पर लागू नहीं हैं। चूंकि कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए कंपनी के सभी निदेशकों को रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त माना जाएगा। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, अन्य सभी निदेशकों में से एक तिहाई निदेशक (अपर निदेशकों को छोडकर) यथा श्री पराग वर्मा (डीआईएनः 05272169) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए योग्य है और पात्र होने पर उन्होंने स्वयं के लिए पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव किया है। आगामी एजीएम में पुनःनियुक्ति के लिए निदेशक के विवरण कंपनी के एजीएम के नोटिस में निहित हैं।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा जोखिम प्रबंधन का ब्यौरा प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

9. कार्मिक विकास

कंपनी के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक के रूप में, मानव संसाधन और प्रशासन (एचआर एंड ए) विभाग लगातार कंपनी के मुख्य उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप सक्षम मानव संसाधनों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कर्मचारी संबंध परिदृश्य वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहा है। दिनांक 31.03.2022 को कार्मिकों की संख्या 61 कर्मचारी थी, जिसमें 2 नियमित कर्मचारी, ठेके के 24 कर्मचारी, सेवा अनुबंध पर 2 कर्मचारी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर 33 कर्मचारी शामिल थे। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने इरकॉन की विभिन्न परियोजनाओं में 5 कर्मचारियों को तैनात किया है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के कार्मिक विकास से संबंधित मुद्दों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा धारक कंपनी के रुप में कार्रवाई की जा रही है।

जिन कर्मचारियों की नियुक्त कंपनी द्वारा की गई है और जिन्हें ठेके पर इरकॉन की मलेशिया परियोजना अल्जीरिया परियोजना में तैनात किया गया है, उनकी व्यवस्था कंपनी कर रही है।

10. सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी की अपनी वेबसाइट http//www.irconisl.com उपलब्ध है जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, परियोजनाएं, वार्षिक रिपोर्टें, निविदाएं, सम्पर्क ब्यौरा आदि उपलब्ध कराया गया है। वर्ष के दौरान नए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति, परियोजनाओं, वार्षिक रिपोर्टों, निविदाओं, संविदाओं, आरटीआई, संपर्क ब्यौरा आदि को अद्यतन किया गया था। यह वेबसाइट धारक कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org के साथ भी लिंक है।

11. प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन, ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास आदि

पर्यावरण पर समान महत्व के साथ ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण और हरित भवन अवधारणा के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित और पर्याप्त उपाय किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों से संबंधित विविध पर्यावरणीय कानूनों को कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के भाग के रूप में पालन किया गया है।

कंपनी ने ई–टेंडरिंग, एक इंटरनेट आधारित प्रक्रिया को भी अपनाया है, जिसमें पूर्ण निविदा प्रक्रिया विज्ञापन से लेकर निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त करने और जमा करने तक ऑनलाइन किया जाता है। यह कंपनी को अधिक कुशल बनाने में सक्षम है क्योंकि इससे सूचना के त्वरित आदान–प्रदान की सुविधा के लिए, कागज–आधारित लेनदेन कम या समाप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता, जवाबदेही, डेटा समेकन को बढ़ाने, कार्यस्थल में अधिक सहयोग को बढ़ावा देने और प्रभावी ज्ञान प्रबंधन के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में ई–ऑफिस का उपयोग शुरू किया गया है।

12. प्रकटन

क. ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरणः

वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है और कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की गई है।

ख. निदेशकों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर प्रकटनः

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक की रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक आदि

के ब्यौरे को प्रकट करे। तथापि, निगमित कार्य मंत्रालय, द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं.जीएसआर 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। चूंकि इरकॉन आईएसएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इस प्रकार के विवरणों को निदेशक की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशकों को शून्य पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है क्योंकि सभी निदेशक धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा नियुक्त अंशकालीन नामिति निदेशक हैं।

ग. बोर्ड बैठकों और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों का अनुपालनः

वर्ष के दौरान, कंपनी सामान्य रूप से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी बोर्ड की बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस–1) तथा सामान्य बैठकें (एसएस–2) का अनुपालन करती है, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहां अन्यथा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया हो।

घ. जमा राशियां

वर्ष के आरंभ में आपकी कंपनी के पास कोई जन जमा राशियां धारित नहीं है ना ही वर्ष के दौरान जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

ड. कंपनी की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आदेशः

कंपनी की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या अधिकरणों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

च. वित्तीय वर्ष के अंत तथा रिपोर्टिंग की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले तथ्यात्मक परिवर्तन और टिप्पणियांः

वित्तीय वर्ष 2021–22 को समाप्त वर्ष के मध्यम में तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई तथ्यात्मक परिवर्तन और टिप्पणियां नहीं हैं।

छ. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तनः

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ज. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियांः

वर्ष 2021–22 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं।

झ. कंपनी द्वारा अनुसरण किए गए लेखांकन मानक

दिनांक 31 मार्च 2021 को तथा इस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 अंतर्गत अधिसूचित **भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)** तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के लागू प्रावधानों तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम 2016 के अनुसार तैयार किया गया है।

ड. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 05 अगस्त 2022 के पत्र के सं.पीडीए/आरसी/एए–आईआईएसएल/48–24/2022–23/228 के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया है और लेखापरीक्षक के कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है!

13. एकीकृत रिपोर्ट

निम्नलिखित रिपोर्टें/अभिलेख तथा संगत अनुबंध इस रिपोर्ट के एकीकृत भाग हैं, और इन्हें यहां परिशिष्ट पर प्रस्तुत किया गया हैः

क. सीएसआर गतिविधिय रिपोर्ट

"सीएसआर गतिविधिय रिपोर्ट" कंपनी की सीएसआर नीतियों, सीएसआर समिति की संरचना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर बजट, निर्धारित सीएसआर व्यय, तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निष्पादित गतिविधियों/परियोजनाओं पर किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। **(अनुबंध–क में प्रस्तुत)**

ख. प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी के कार्यों, व्यावसायिक वातावरण, मिशन और उद्देश्यों, क्षेत्रीय तथा सगमेंटवार प्रचालनिक निष्पादन, शक्तियों, जोखिमों तथा चिंताओं और मानव संसाधन तथा आंतरित नियंत्रण प्रणाली ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है **(अनुबंध–ख पर संलग्न है)**।

ग. कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, निगमित शासन पर कंपनी के दर्शन, निदेशक मंडल तथा इसकी समितियों की संरचना और उनका ब्यौरा, साधारण बैठकों का ब्यौरा और अन्य संगत प्रकटन, आदि उपलब्ध कराती है **(अनुबंध–ग पर संलग्न)**। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैंः

(क) वित्तीय विवरणों, देय अनुपालनों व वित्तीय रिपोर्टिंग की सत्यता तथा विश्वसनियता, के संबंध में सीईओ तथा सीएफओ से प्रमाण पत्र (अनुबंध**–ग1 पर प्रस्तुत);**

(ख) वर्ष 2021–22 के दौरान सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता तथा प्रमुख मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (अनुबंध–**ग2 पर प्रस्तुत);**

(ग) पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निगमित शासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र (अनुबंध**–ग3 पर प्रस्तुत)।**

घ. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की सचिवीय संपरीक्षा के लिए मैसर्स के.के.सिंह एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। लेखापरीक्षा से प्राप्त **फार्म सं. एमआर–3 में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुबंध–घ** पर संलग्न है।

ड. वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियसम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 92(3) और खंड 134(3)(क) के अनुसरण में है, फार्म **एमजीटी–9** में वार्षिक रिटर्न का सार निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध–ड.** पर उपलब्ध है।

च. खंड–188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों को या तो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रूप में या आर्म लैंथ आधार पर निष्पादित किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 188(1) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का ब्यौरा **फार्म एओसी–2** के रूप में **अनुबंध–च** पर संलग्न है।

14. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 134(5) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:–

i. वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।

ii. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2021–22 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।

iii. परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख–रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

iv. दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को ''गोइंग कंसर्न'' आधार पर तैयार किया गया है।

v. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे औरऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

vi. सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गईं थीं और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त थीं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहीं थीं।

15. लेखापरीक्षक

क. सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2021–22 के लिए कम्पनी के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स केएमजीएस एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकारों की नियुक्ति की गई थी।

ख. सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए कम्पनी की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए मैसर्स कंचन शाह एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है।

ग. आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए कम्पनी की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स एम.एम. एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को नियुक्त किया गया है।

16. एमएसई अनुपापलन

इरकॉन आईएसएल का सदैव यह प्रयास रहा है कि वह सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों (एमएसई) तथा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को सहयोग प्रदान करे। इरकॉन आईएसएल ने एमएसई से विनिर्दिष्ट मदों के प्रापण के लिए भारत सरकार सार्वजनिक प्राप्ण नीति के क्रियान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इरकॉन आईएसएल ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के एमएसई अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

17. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं प्रतितोप) अधिनियम के अनुपालन की नीति

कंपनी का उद्देश्य महिला कर्मचारियों के लिए एक अनुकूल और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। कंपनी के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक व्यापक नीति है, जिसमें सभी कर्मचारी शामिल हैं (नियमित रूप से प्रतिनियुक्त, अस्थायी, तदर्थ, अनुबंध/सेवा अनुबंध या दैनिक मजदूरी के आधार पर जो प्रत्यक्ष या एजेंसी के माध्यम से नियुक्त हैं, जिसमें ठेकेदार, सहकर्मी, अनुबंध कार्मिक, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु, प्रशिक्षु आदि) शामिल हैं और यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए चार सदस्यीय शिकायत समिति उपस्थित है, जिसमें कंपनी के तीन अधिकारी और एक बाहरी सदस्य शामिल हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

आभारोक्ति

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक कंपनी तथा रेल मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय तथा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और अन्य मंत्रालयों और ग्राहकों का कंपनी के प्रति उनकी निरंतर रूचि और सहयोग के लिए प्रशंसा एवं धन्यवाद करते हैं।

हम कंपनी के सभी स्तरों के कर्मचारियों का कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए उनके अथक प्रयासों, समर्पण और सत्यनिष्ठा के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
(डीआईएन 07654014)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2022

अनुबंध–क

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखाः

सीएसआर नीति का उद्देश्य संवर्धन और विकास के लिए समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह नीति अपने सीएसआर प्रयासों के माध्यम से समुदाय के लिए स्वस्थ और सुदृढ़ आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देकर बुनियादी क आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक स्तर के विविध क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विभिन्न अवसरों को प्रोत्साहित करने हेतु एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। निदेशक मंडल द्वारा यथाअनुमोदित सीएसआर नीति विकास के प्रमुख क्षेत्रों अर्थात शिक्षा, साक्षरता और पर्यावरण स्थिरता और स्वास्थ्य को रेखांकित किया गया है और ये कंपनी की वेबसाइट http://www.irconisl.com पर उपलब्ध है।

कंपनी की सामाजिक दृष्टिकोण अपनी विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रमुख हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और संधारणीय रीके से व्यवसाय करने की अपनी नीति के अनुरूप अपनी सीएसआर पहल का संचालन करना है। इरकॉनआईएसएल ने अपने सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से अपने सीएसआर प्रयासों द्वारा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में अपने प्रयास किए हैं, जो एक सतत तरीके से व्यवसाय और सामाजिक लक्ष्यों को एकीकृत करेंगे, समावेशी विकास और योजना के माध्यम से सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करेंगे।

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	श्री सुरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष	1	1

2	श्री अभिजीत कुमार सिन्हा	सदस्य	1	1
3	श्री पराग वर्मा सदस्य	सदस्य	1	1

नोटः धारक कंपनी द्वारा नामांकन में परिवर्तन पर, श्री सुरेंद्र सिंह और श्री अभिजीत कुमार सिन्हा को क्रमशः श्री अशोक कुमार गोयल और श्री सुरजीत दत्ता के स्थान पर इरकॉनआईएसएल के बोर्ड में दिनांक 01 जुलाई 2021 नामित निदेशक (निदेशकों) के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, धारक कंपनी द्वारा नामांकन में परिवर्तन के उपरांत, श्री सुरजीत दत्ता को 1 अक्टूबर 2021 को श्री अभिजीत कुमार सिन्हा के स्थान पर इरकॉनआईएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक (निदेशकों) के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री सुरजीत दत्ता की सेवानिवृत्ति के बाद, दिनांक 1 अप्रैल 2022 को श्री अभिजीत कुमार सिन्हा को धारक कंपनी द्वारा नामित किया गया है और श्री सुरजीत दत्ता के स्थान पर इरकॉनआईएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक (निदेशकों) के रूप में नियुक्त किया गया है।

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना का प्रकटन किया गया है– http://www.irconisl.com.

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें) – **लागू नहीं।**

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो – **लागू नहीं।**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ – 13.31 करोड़ रुपये।

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत – 0.27 करोड़ रुपये।

(ख) सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष – शून्य।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो– शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख + 7ग) – 0.27 करोड़ रुपये।

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
15,49,603.00	शून्य	लागू नहीं	पीएम केयर्स	45,103.00	08.06.2022

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण – **लागू नहीं।**

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए **चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त** अन्यों पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1.	पैरालंपिक का समर्थन और प्रचार कराना	(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	हां	नई दिल्ली		14,88,095	अप्रत्यक्ष	भारतीय पैरालंपिक समिति	सीएसआर 00009842
2.	5 स्कूलों को 30 डेस्कटॉप कम्प्यूटर औरयूपीएस प्रदान किए गए	(vii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा का संवर्धन	नहीं	(i) श्री तेजराम शर्मा इंटर कॉलेज, छपरावत, जिला। बुलंदशहर (यूपी) (ii) सरस्वती बालिका विद्या मंदिर सरस्वतीनगर, सिकंदराबाद (यूपी) (iii) सरस्वती शिशु/विद्या मंदिर,		61,508	प्रत्यक्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

				गुलाबोठी, बुलंदशहर (यूपी) (iv) पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर, गौतमबुद्ध नगर (यूपी) (v) श्रीमती। निर्मला देवी पब्लिक स्कूल, मिर्जापुर, दनकौर, गौतम बुद्ध नगर (यूपी)				
	कुल				15,49,603			

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि – शून्य

(ङ.) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो – शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+ 8घ+ 8ङ.)–रु 15,49,603/–

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो – शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण – शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः शून्य

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें –

(क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।	लागू नहीं
(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।	लागू नहीं
(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि।	लागू नहीं
(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।	लागू नहीं

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो इसके कारण बताएं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च किया है।

31.03.2022 तक निम्नलिखित गतिविधियों को पूरा न करने के कारण 11,05,397/– रुपये की राशि को सीएसआर व्यय के तहत नहीं लिया जा सका है।

अलग–अलग 05 स्कूलों को 30 डेस्कटॉप कंप्यूटर और यूपीएस उपलब्ध कराना: कंप्यूटर की आपूर्ति के लिए 11,05,294.21 रुपये का ऑर्डर इस आश्वासन के साथ दिया गया था कि इनकी डिलीवरी दिनांक 31.03.2022 से पहले पूरी हो जाएगी। इसके अलावा, दिनांक 31.03.2022 से पहले 100 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया था। हालांकि, चीन में कोविड की तीसरी लहर के परिणामस्वरूप, निर्माता/एजेंसी द्वारा डेस्कटॉप की आपूर्ति लंबे समय तक प्रभावित रही और इनकी डिलीवरी, समय पर पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण पूरे भुगतान करने के बावजूद सीएसआर

गतिविधि, वास्तविकता के आधार पर पूरी नहीं हो सकी। यह कार्य दिनांक 28.05.2022 को पूर्ण हो गया है।

धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची–VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि: 45,103/– की राशि को अव्यय छोड़ दिया गया था और इसे पीएम केयर्स फंड में जमा कर दिया गया है।

ह/–	**ह/–**
अजय पाल सिंह	**सुरेन्द्र सिंह**
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	**अध्यक्ष सीएसआर समिति**

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20.06.2022

अनुबंध –ख

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

विहंगावलोकन

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएलएस) रेल मंत्रालय के अधीन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) अनुसूची 'क', मिनी रत्न – श्रेणी–I की कंपनी है की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में 30 सितंबर 2009 को निगमित हुई थी जो कि भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुविधाएं व सहूलतें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेल की भूमि पर बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के नियोजन, अभिकल्प, विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए आरएलडीए के साथ धारक कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन का परिणाम है। 24 स्टेशनों पर 23 एमएफसी के लिए निर्माण (वॉर्म शैल) का भौतिक कार्य किया गया था। कंपनी ने 23 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्षों को उपपट्टे पर दे दिया है।

उपर्युक्त उद्देश्य कंपनी के भावी विकास के लिए सीमित थे और इसलिए, कंपनी ने विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को फैलाया जिसमें परियोजना प्रबंधन और आधारभूत अवसंरचना परामर्श यथा नियोजन, डिजाइनिंग, विकास, निर्माण, सुधार, कमीशनिंग, प्रचालन और अनुरक्षण और विभिन्न सेवाओं से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं, जैसें ट्रैक मशीनों को किराए पर देना आदि और इस प्रकार इसके उद्देश्यों में संशोधन हुआ।

व्यवसाय वातावरण

अवसंरचनात्मक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख चालक तत्व है। यह क्षेत्र भारत के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक जिम्मेदार है और देश में विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नीतियों के निर्माण हेतु सरकार का विशेष ध्यान इस ओर है। केंद्रीय बजट ने रेलवे और अवसंरचना क्षत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकारी समर्थन की गंभीरता एक बढ़ते विश्वास से प्रभावित हुई है जो मजबूत बुनियादी ढांचे को

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, मध्यम मुद्रास्फीति, आजीविका को बढ़ावा देता है और समृद्धि के संवर्धन में सहायक है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने चार नई परियोजनाओं को प्राप्त किया है और अन्य मौजूदा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की है तथा समय के भीतर लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है।

कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में अवसरों की तलाश कर रही है:

- भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
- विभिन्न निजी/सरकारी एजेंसियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पी.एम.सी)।
- निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण(बीओटी) आधार पर रियल इस्टेट परियोजनाएं।
- सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर) परियोजनाएं।

दृष्टिकोण

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी का विजन/मिशन निम्नानुसार हैं:–

विजन/मिशन

विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रुप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रुप में स्वयं को स्थापित करना।

वित्तीय निष्पादन

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने 170.85 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है, जो कि पिछले वर्ष की 194.39 करोड़ रूपए की प्रचालनिक आय से 12 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 में टर्नओवर, पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा, जिसका मुख्य कारण, कुछ परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्यों को पूरा करके सौंप दिया गया था, जबकि नई प्राप्त परियोजनाएं निष्पादन के प्रारंभिक चरण में हैं

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने 13.35 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ और 5.30 करोड रूपए का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रति शेयर आमदनी पिछले वर्ष में 0.82 रूपए है।

- दिनांक 31 मार्च 2022 को कंपनी की निवल संपत्ति 164.94 करोड़ रूपए हो गई है।

प्रचालनिक निष्पादन

क. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, इरकॉनआईएसएल ने 04 नई परियोजनाओं को प्राप्त किया है। (i) ग्रेटर मुंबई नगर निगम के लिए जी/एस वार्ड में महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास डॉ. ई.मोसेस रोड और केशवराव खड़े मार्ग पर दो आरओबी के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण परामर्श, (ii) उत्तर पूर्व रेलवे के लिए उत्तराखंड राज्य में टनकपुर से बागेश्वर (लगभग 154.58 किमी) तक नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस), (iii) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए कुल लगभग 110 किमी लंबाई के लिए मणिपुर में इम्फाल–मोरेह नई बीजी एकल लाइन परियोजना के संबंध में उपग्रह या एलआईडीएआर इमेजरी से उत्पन्न डिजिटल टेरेन/एलीवेशन मॉडल (डीटीएम/डीईएम/डीएसएम) का उपयोग करते हुए अंतिम स्थल सर्वेक्षण, भूमि पर संरेखण की स्टेकिंग, भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय मानचित्रण आदि कार्य, और (iv) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल/संपत्तियों के विकास और मुद्रीकरण के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में सूचीबद्ध।

वर्ष 2021–22 के दौरान उपरोक्त नई परियोजनाओं के साथ, निम्नलिखित मौजूदा परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, अर्थात:–

i. दुधोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) के निर्माण के लिए पीएमसी।

ii. प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए पीएमसी।

iii. लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) के लिए चार (4) लैंड पोर्ट (यथा अटारी–पंजाब, 2, जोगबनी–बिहार, पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल, 4. दवकी–मेघालय) पर सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक आवास निर्माण के लिए पीएमसी।

iv. निम्नलिखित राज्यों में कॉनकॉर के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए पीएमसीः – क. कडाकोला, मैसूर जिला, कर्नाटक, ख. पारादीप (उड़ीसा) ग. दहेज, गुजरात।

v. एक साबरकंठा (गुजरात) में और दूसरा आगर मालवा (मध्य प्रदेश) में दो स्थानों पर नवोदय विद्यालय समिति के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) के निर्माण के लिए पीएमसी।

vi. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ऊंचाहार, उत्तर प्रदेश में स्टेज–1 (2x210 मे.वा) के एमजीआर सिस्टम के पीआरसी स्लीपरों के साथ सीएसटी–9 स्लीपरों के प्रतिस्थापन के लिए पीएमसी।

vii. नागपुर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकादमी में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पीएमसी।

viii. एमएमएलपी पारादीप पोर्ट, उड़ीसा में इफको के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्ति और यह कार्य कॉनकॉर द्वारा प्रदान किया गया है।

ix. खरसिया के ट्रैक, सिविल इंजीनियरिंग, ओएचई और एस7टी परिसंपत्तियों का रखरखाव–छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड के लिए कोरिछापर नवनिर्मित बीजी खंड।

x. अहमदाबाद (आर एंड बी) डिवीजन के लिए गुजरात राज्य में अहमदाबाद बोटाद रेलवे लाइन पर एलसी नंबर 114 बी के बदले आरओबी के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण परामर्श।

xi. "महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए मध्य रेलवे के अंतर्गत महाराष्ट्र क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर समपार गेटों के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए बेयरिंग का निर्माण और स्थापना सहित रेलवे के हिस्से के भीतर स्टील सुपरस्ट्रक्चर की एसेंबली और लांचिंग के संबंधित निरीक्षण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण कार्यों के लिए एजेंसी।

ख. वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, प्रौद्योगिकी भवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय भवन के निर्माण का चरण–I पूरा हो गया है और ग्राहक अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार) को सौंप दिया गया है। भवन का उद्घाटन दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया था। इसके अलावा अटारी में सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक आवास को व्यापक स्तर तक पूरा कर लिया गया है और दिनांक 17 मार्च 2022 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।

ग. इरकॉनआईएसएल ने भारत में 23 चिन्हित रेलवे स्टेशनों पर अपने सभी 24 एमएफसी को सफलतापूर्वक विकसित किया है और तीसरे पक्ष को उप–पट्टे पर दिया है।

क्षेत्रीय निष्पादन

वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व के पांच क्षेत्र हैं यथा परामर्श, एमएफसी को उप पट्टे पर देना, श्रमशक्ति की आपूर्ति, संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना, रेलपथ का अनुरक्षण, जिनका वर्ष 2021–22 के लिए प्रचालनिक आय में परामर्श परियोजाओं का अंशदान प्रमुख है यथा कुल प्रचालनिक आय का 83 प्रतिशत है। नीचे प्रस्तुत तालिका विभिन्न क्षेत्रों से आय के भाग और कुल आय में इसके प्रतिशत अंशदान को दर्शाती है।

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	2021–22		2020–21		2019–20	
	प्रचालनिक आय	%	प्रचालनिक आय	%	प्रचालनिक आय	%
परामर्श	141.99	83	167.76	86	106.65	81.33
श्रमशक्ति की आपूर्ति	0.77	0.45	0.88	0.45	0.66	0.50
एमएफसी को उपपट्टे पर देना	14.34	8.39	11.08	5.70	16.65	12.70
अन्य प्रचालनिक राजस्व						
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	1.84	1.08	2.33	1.20	1.59	1.21
रेलपथ का अनुरक्षण	11.91	6.97	12.34	6.35	4.49	3.42
सीएसआर गतिविधियों का निष्पादन	-	-	-	-	1.09	0.84
कुल	**170.84**		**194.39**		**131.13**	

सेगमेंट–वार निष्पादन

वर्ष 2021–22 के दौरान कुल प्रचालनिक आय में विदेशी परियोजनाओं का अंशदान 0.41% है तथा कुल प्रचालनिक आय में घरेलू परियोजनाओं का अंशदान 99.59% है।

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	2021–22		2020–21		2019–20	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	0.70	0.41	2.27	1.17	7.25	5.5
घरेलू	170.14	99.59	192.11	98.83	123.88	94.5
कुल	**170.84**		**194.39**		**131.13**	

शक्तियाँ

आपकी कंपनी की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह निर्माण के क्षेत्र में व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए धारक कंपनी के अनुभव का लाभ प्राप्त कर सकती है।

जोखिम और चिन्ता

प्रगतिरत रुप से बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण का कार्य पूरा होने से, इन बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर देने का कार्य आरम्भ किया गया है जो कि अत्यंत क्षेत्र विशिष्ट और बाजार आधारित है। हालांकि, एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित परामर्शदाता द्वारा बाजार संभाव्यता का गहन अध्ययन किया गया है किन्तु राजस्व एकत्रण का जोखिम अभी भी विद्यमान है, विशेष रूप से कोविउ–19 माहामारी की स्थिति के दौरान।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसमें उचित जोखिम मूल्यांकन और शमन तंत्र की उपस्थिति पर मत प्रकट करने के अतिरिक्त पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और अनुपालन पर पर टिप्पणी करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की आवश्यकता होती है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रुप में मैसर्स एम.एम.एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को नियुक्त किया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों ने आंतरिक प्रणालियों की पर्याप्तता की जांच करने तथा निरंतर सुधारों के उपाय सुझाने के लिए दो चरणों में कंपनी की लेखापरीक्षाएं की हैं। आंतरिक लेखापरीक्षक अनुभवी लागत एवं प्रबंधन लेखाकार फर्म है, जिसका चयन एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया

है और नियुक्ति के पश्चात सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट करेगा। यह आंतरिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है, अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है और इन्हें लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

मानव संसाधन

कंपनी का लक्ष्य संगठन के लिए मानव संसाधन/कर्मचारियों के सही आकार और सही मिश्रण को प्राप्त करना है। चूंकि आपकी कंपनी एक परियोजना आधारित कंपनी है, इसलिए श्रमशक्ति की आवश्यकताओं में उतार–चढ़ाव आते हैं, जिन्हें कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, ठेके और सेवा अनुबंध पर भर्ती करके पूरा किया जाता है। भर्ती नीतियों को कंपनी की समग्र नीति के अनुरूप बनाने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है।

इरकानआईएसएल के कर्मचारी उन लोगों का एक संयोजन है जिन्हें कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है और कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में या परियोजना स्थल पर नियुक्त किया गया है और जो कर्मचारी इरकॉन से प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी इरकॉन के बांग्लादेश और अल्जीरिया परियोजना को जनशक्ति भी उपलब्ध करती है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक कंपनी की कुल श्रमशक्ति 61 कर्मचारी हैं। दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी अपने संवर्ग विकास के माध्यम से मुख्य जनशक्ति संसाधनों को बढ़ाने की योजना बना रही है।

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड

ह/–
(योगेश कुमार मिश्रा)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 07654014)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2022

अनुबंध –ग

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का दर्शन

निगमित शासन कंपनी के व्यवसाय के नैतिक आचरण के लिए प्रणालियों तथा पद्धतियों की एक व्यवस्था है। यह अपने स्टेकधारकों की आकांशाओं को पूरा करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता, समानता और मूल्यों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। कंपनी का यह निरंतर प्रयास है कि व्यावसायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में नैतिकता के उच्चतम मानकों को अपनाया जाए तथा उन्हें बनाया रखा जाए।

2. शासन संरचना

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जो कार्यप्रणाली और नीतियों का निर्धारण करता है और आवधिक रुप से कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है।

कंपनी के निष्पादन की समीक्षा धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भी की जाती है। मंडल बैठकों के कार्यवृत्त तथा कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों और व्यवस्थाओं के विवरण तथा अलेखापरीक्षित तिमाही तथा अर्धवार्षिक परिणामों को धारक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति/ बोर्ड बैठकों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में चार अंशकालीन निदेशकों के अतिरिक्त, धारक कंपनी ने कंपनी के दिन–प्रति–दिन के कार्यों के प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर से नीचे के एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नामित किया है।

3. निदेशक मंडल

3.1 निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के संगम अनुच्छेद (ए.ओ.ए)(अनुच्छेद 48) के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम तथा बारह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए.ओ.ए (अनुच्छेद 49) के अनुसार, धारक कंपनी अध्यक्ष तथा सभी निदेशकों की नियुक्ति करती है।

निदेशक मंडल के सदस्यों की वर्तमान संख्या चार है जिसमें धारक कंपनी इरकॉन द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों सहित अंशकालीन अध्यक्ष शामिल हैं।

3.2 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल
(इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक/अंशकालिक/स्वतंत्र	कंपनियों/निगमित निकायों में निदेशक पर (इरकॉन आईएसएल को छोड़कर)	समिति सदस्यता की कुल संख्या (इरकॉन आईएसएल सहित)	
			अध्यक्ष के रूप में	अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य के रूप में
श्री योगेश कुमार मिश्रा (डीआईएन 07654014) (01.10.2021 से)	अंशकालीन अध्यक्ष	1 [इरकॉन]	1	1
श्री सुरेन्द्र सिंह (डीआईएन 09214484) (01.07.2021 से)	अंशकालीन निदेशक	3 [एमसीआरएल/बीआरपीएल/आईआरपीएल]	2	1
श्री पराग वर्मा (डीआईएन 05272169) (05.04.2018 से)	अंशकालीन निदेशक	9 [आईबीएमईएल/आईआरएसडीसीएल/आईजीआरएचएल/आईएएसईएल/आईएलआरएचएल/आईपीबीटीएल/आईएसजीटीएल/आईडीएचएचएल/आईवीकेईएल]	1	4
श्री अभिजीत कुमार सिन्हा (डीआईएन 09213782) (01.04.2022 से)	अंशकालीन निदेशक	शून्य	1	2

नोटः

1. श्री योगेश कुमार मिश्रा को श्री मुकेश कुमार सिंह के स्थान पर दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से अध्यक्ष और अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
2. श्री सुरजीत दत्ता को श्री अभिजीत कुमार सिन्हा के स्थान पर दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च, 2022 तक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
3. श्री अभिजीत कुमार सिन्हा को श्री सुरजीत दत्ता के स्थान पर दिनांक 01 अप्रैल 2022 से अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

नोटः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों की अधिकतम सीमा के भीतर है (जिनमें से सार्वजनिक कंपनियों के लिए अधिकतम 10)।
2. निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ किसी प्रकार का अंतर–संबंध या संव्यवहार नहीं है।
4. निदेशक पद/समिति की सदस्यता निदेशकों से प्राप्त अद्यतन प्रकटनों के आधार पर है।
5. समिति सदस्यता के लिए सभी सार्वजनिक निजी कंपनियों की सीएसआर एवं धारणीय विकास समिति, लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति के सदस्यों पर ही विचार किया गया है।
6. निदेशकों की समिति सदस्यता संख्या डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई सीजी दिशानिर्देश) के अंतर्गत पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित 10 की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति को ही गिना जाएगा।
7. कंपनियों के पूरे नाम हैं:

   क) इरकॉन – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

   ख) एमसीआरएल – महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

   ग) बीआरपीएल – बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड

   घ) आईआरपीएल – इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड

ड.) आईजीआरएचएल– इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड

च) आईआरएसडीसी – भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड

छ) आईबीएमईएल – इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ज) आईएएसईएल – इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड

झ) आईएलआरएचएल– इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड

प) आईपीबीटीएल – इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

फ) आईएसजीटीएल – इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

ब) आईडीएचएचएल – इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

फ) आईवीकेईएल – इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

4. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कंपनी (निदेशक की बैठकें व उनकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुसार निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन के अनुसार निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं है। संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 49 के अनुसार धारक कंपनी द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन किया जाता है।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालीन निदेशक कंपनी से किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।

अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क प्रदान नहीं किया जाता है।

6. वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उनमें उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक मंडल की दिनांक 25 जून 2021, 10 अगस्त 2021, 29 अक्टूबर, 2021, 10 नवंबर, 2021, 10 फरवरी 2022 और 30 मार्च 2022 को छह बैठकों का आयोजन किया गया।

वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशकों और कंपनी सचिव की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार हैं :–

निदेशक	2021–22 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
श्री योगेश कुमार मिश्रा (डीआईएन 07654014)	4	4	नहीं
श्री सुरेन्द्र सिंह (डीआईएन 09214484)	5	5	हां
श्री पराग वर्मा (डीआईएन 05272169) (05.04.2018 से)	6	6	हां
श्री अभिजीत के. सिन्हा (डीआईएन 09213782)	1	1	हां
श्री एम.के.सिंह (डीआईएन 06607392)	2	2	हां
श्री ए.के.गोयल (डीआईएन 05308809)	1	1	नहीं
श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएन 06687032	5	5	नहीं

7 निदेशक मंडल की समितियां

7.1 लेखापरीक्षा समिति

7.11 <u>संदर्भ शर्तें</u>

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 4.90 करोड़ रुपए से बढ़कर 40 करोड़ रुपए (28.03.2013 से) हो गई है, जो 100 प्रतिशत इरकॉन द्वारा धारित है। इसके परिणामस्वरुप, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अनुपालन में, निदेशक मंडल ने 5 जुलाई 2013 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। कार्पोरेट शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अध्याय–4, पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया था। संक्षेप में इनमें शामिल हैः

1. कम्पनी की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया और प्रकटन का पर्यवेक्षण करके लेखों की परिशुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।
2. निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना। विशेष रूप से–
   - क) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 134 के उपखंड 5 की शर्तों के अनुसार निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाली अपेक्षित सामग्री को निदेशक की रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।
   - ख) लेखांकन नीतियों तथा पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो व इसके कारण।
   - ग) प्रबंधन द्वारा विवेक के प्रयोग के आधार पर अनुमानों वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
   - घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   - ड.) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।
   - च) किसी संबंधित पक्षों के संव्यवहार का प्रकटन, और
   - छ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता आदि।

3) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

4) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।

5) आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

6) महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान व उन पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु दोनों लेखा परीक्षकों – आंतरिक एवं सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ चर्चा।

7) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, स्टाफिंग तथा विभागों के कार्यालय प्रमुखों की वरियता, रिपोर्टिंग ढांचा, कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्ता की समीक्षा करना।

8) लेखापरीक्षा शुल्कों के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

9) आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पुनःनियुक्ति, पारिश्रमिक तथा निलंबन आदि की समीक्षा करना।

10) मुख्य कार्यपालक/वित्त प्रमुख द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणन/घोषणा की समीक्षा करना।

7.1.2 लेखापरीक्षा समिति – संरचना और उपस्थिति

कार्पोरेट शासन पर दिनांक 14 मई 2010 के डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार शर्तों का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की स्वीकृति से 05.07.2013 को मूल रुप से तीन अंशकालीन निदेशकों वाली बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था। धारक कंपनी द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों में जब कभी परिवर्तन किए जाते हैं तो इस समिति का पुनर्गठन किया गया जाता है। तदनुसार, सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट के माध्यम से दिनांक 26.04.2018 को समिति का पुनर्गठन किया गया था, जिसकी दिनांक 30 मई 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 43वीं बैठक पुष्टि की गई थी। इसके अतिरिक्त, नामित निदेशक में परिवर्तन के कारण, समिति का दिनांक 30 मार्च 2022 को आयोजित 61वीं बोर्ड बैठक में पुनरुगठन किया गया था।

समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

1. श्री अभिजीत कुमार सिन्हा (नमिति निदेशक) – अध्यक्ष

2. श्री सुरेन्द्र सिंह (नमिति निदेशक) – सदस्य

3. श्री पराग वर्मा (नमिति निदेशक) – सदस्य

वर्ष 2021–22 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 5 बैठकें आयोजित की गईं थीं अर्थात 25 जून 2021, 10 अगस्त 2021, 29 अक्तूबर 2021, 10 नवंबर 2021 तथा 10 फरवरी 2022.

उपस्थिति की ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	बैठकों की संख्या (वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान)	बैठक में उपस्थिति
सुरजीत दत्ता	अध्यक्ष	4	4
ए.के.गोयल	सदस्य	1	1
पराग वर्मा	सदस्य	5	5
श्री अभिजीत कुमार सिन्हा	अध्यक्ष	1	1
श्री सुरेन्द्र सिंह	सदस्य	4	4

7.2 निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की निवल संपत्ति, या 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के शुद्ध लाभ अर्जित करने वाले प्रत्येक कंपनी, बोर्ड स्तर की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

(सीएसआर) का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 12 अप्रैल 2013 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय समिति होगी जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा या किसी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो कंपनी में सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी नीतियों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट, जिसकी दिनांक 26 जून 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 22वीं बैठक में पुष्टि की गई थी, द्वारा कंपनी की सीएसआर नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा कंपनी के सीएसआर एजेंडा को वांछित दिशा की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त नीतियों तथा पद्धितियों के निर्माण में निदेशक मंडल को सहयोग प्रदान करने हेतु सीएसआर नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 13 जून, 2014 को सीएसआर के लिए एकीकृता निदेशक मंडल समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 26.04.2018 को सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट द्वारा समिति का पुनर्गठित किया गया था, जिसकी पुष्टि दिनांक 30 मई 2018 को आयोजित 43वीं बीओडी बैठक में की गई थी। इसके अतिरिक्त, नामित निदेशक में परिवर्तन के कारण समिति को दिनांक 30 मार्च 2022 को आयोजित अपनी 61वें बीओडी में पुनः गठित किया गया था।

समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार हैः

1.	श्री सुरेन्द्र सिंह (नमिति निदेशक)	–	अध्यक्ष
2.	श्री अभिजीत कुमार सिन्हा (नमिति निदेशक)	–	सदस्य
3.	श्री पराग वर्मा (नमिति निदेशक)	–	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान दिनांक 10 नवंबर 2022 को सीएसआर समिति की एक बैठक का आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

7.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 के अनुसार, 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी, या 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 50 करोड़ रुपए या अधिक के समग्र बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या डिपाजिट करने वाले प्रत्येक कंपनी, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी। इस समिति में तीन या अधिक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे जिनमें से आधे से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 मई, 2010 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए पारिश्रमिक समिति पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में एक पारिश्रमिक समिति होगी जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे, और वे सभी अंशकालीन निदेशक होंगे (यथा नामिती और स्वतंत्र निदेशक), और समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी ।

संदर्भ शर्तें

क. दिनांक 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्यपालकों और गैर–यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल तथा इसके संवितरण की नीतियां निर्धारण करना।

ख. निर्धारित मापदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों का हिह्नन/चयन हेतु नीतयों को तैयार करना और उनकी समीक्षा तथा उनके चयन और उन्हें हटाने के लिए मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।

ग. वरिष्ठ प्रबंधन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में उनके स्तर और पारिश्रमिक का निर्धारण करना।

घ. वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के संबंध में मानव संसाधन नीति (नीतियों) की समीक्षा, विचार और सिफारिश करना।

ङ. समय–समय पर कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल कोई अन्य कार्य।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 तथा डीपीई जीसी दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 के अनुसरण में 28 अगस्त, 2015 को एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। समिति की संरचना निम्नानुसार है:

दिनांक 26.04.2018 को सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट द्वारा समिति का पुनर्गठित किया गया था, जिसकी पुष्टि दिनांक 30 मई 2018 को आयोजित 43वीं बीओडी बैठक में की गई थी। इसके अतिरिक्त, नामित निदेशक में परिवर्तन के कारण समिति को दिनांक 30 मार्च 2022 को आयोजित अपनी 6वीं बीओडी बैठक में पुनः गठित किया गया था।

समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

1.	श्री सुरेन्द्र सिंह (नमिति निदेशक)	–	अध्यक्ष
2.	श्री अभिजीत कुमार सिन्हा (नमिति निदेशक)	–	सदस्य
3.	श्री पराग वर्मा (नमिति निदेशक)	–	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिनांक 25 जून 2021 को सीएसआर समिति की एक बैठक का आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

8. सामान्य आम बैठक

8.1 वार्षिक आम बैठक

पिछली 3 (तीन) वार्शिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं थीं:

वार्षिक आम बैठक की संख्या	वित्त वर्ष	बैठक की तिथि	समय	स्थल
12वीं	2020–21	17 अगस्त 2021	10:30	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

11वीं	2019–20	18 सितंबर 2020	11:00	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
10वीं	2018–19	27 अगस्त 2019	11रु00	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (2018–19 से 2020–21) में कोई विशेष संकल्प अपेक्षित या पारित नहीं किया गया है।

8.2 असाधारण आम बैठक

क) पिछली 3 (तीन) असाधारण आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं थीः

असाधारण आम बैठक संख्या	वित्त वर्ष के दौरान	बैठक की तिथि	समय	स्थल
चौथी	2014–15	20 फरवरी 2015	1700	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
तीसरी	2012–13	22 जनवरी 2013	1430	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
दूसरी	2011–12	12 मार्च 2012	1430	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

ख) विशेष संकल्प

(क) चौथी असाधारण आम बैठक 20 फरवरी 2015 को आयोजित की गई थी।

प्राधिकृत शेयर पूंजी को 40 करोड़ से बढ़ाकर 65 करोड़ करने के लिए कंपनी के समझौता ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ख) तीसरी असाधारण आम बैठक 22 जनवरी 2013 को आयोजित की गई थी।

(i) प्राधिकृत शेयर पूंजी को 10 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने के लिए कंपनी के संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) से लिए गए ऋण के 35,10,00,000 रुपए के स्तर तक के भाग को प्रत्येक 10 रुपए के 3,51,00,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना।

(ग) दूसरी असाधारण आम बैठक 12 मार्च 2012 को आयोजित की गई थी।
उद्देश्य खंड III क (मुख्य उद्देश्य) में नए उप खंडों को शामिल करके समझौता ज्ञापन में परिवर्तन किया गया।

9. प्रकटन

9.1 वर्ष के दौरान निदेशकों या उनके संबंधितयों के साथ कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का संव्यवहार नहीं हुआ है, जिसका कंपनी के हित प्रभावित हुआ हो। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में नोट सं. 35 में निर्धारित संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों के प्रकटन की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

9.2 वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (विस्तृत विवरण वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में नोट सं 35 में भी प्रकटित) के अनुसार प्रमुख कार्यपालकों को भुगतान हेतु पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

9.3 कुल व्यय के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा वित्तीय व्यय की तुलना में नीचे दर्शाया गया है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21	टिप्पणियां
प्रशासनिक व्यय	3.30	2.84	शून्य
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रशर	0.04	0.03	शून्य
कुल व्यय	164.54	185.43	शून्य
प्रशासनिक तथा अन्य व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत में)	2.00%	1.53%	शून्य
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में)	0.02%	0.02%	

9.4 कंपनी आवधिक रुप से जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं से संबंधित जोखिमों और विदेशी विनिमय प्रबंधन के विषय में बोर्ड को सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित ब्यौरा ''जोखिम एवं चिंता'' शीर्षक के अंतर्गत प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

9.5 कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी पूंजी यथा 65,00,00,000 इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) द्वारा धारित है।

9.6 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन न किए जाने की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

9.7 डीपीई ने वर्ष 2019–20 के लिए डीपीई कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अनुसपालन के लिए इरकॉन आईएसएल को उत्कृष्ट ग्रेडिंग प्रदान की है।

9.8 डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व–मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन आईएसएल ने वर्ष 2020–21 और 2021–2022 के लिए 100 में से '**94.06**' का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

9.9 संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया है और कंपनी के वित्तीय विवरण के नोटों में संगत लेखांकन मानक की अपेक्षा के अनुसार इसे प्रकट किया गया है।

9.10 कंपनी में सांविधिक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों की मॉनीटरिंग की प्रणालियां विद्यामन हैं। बोर्ड को इस स्थिति से अवगत कराया गया है ताकि कंपनी के सभी लागू नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

10. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, देय अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रुप में प्रमाणित किया है। (इस रिपोर्ट के **अनुबंध ''ग–1''** पर संलग्न है)।

11. आचार सहिंता

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता उपलबध है जो कंपनी की वेबसाइट पर है। वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा **इस रिपोर्ट के संलग्नक ''ग–2''** पर उपलब्ध है।

12. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

12.1 सम्प्रेषण के माध्यम

इरकॉन आईएसएल की वर्ष 2021–22 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.irconisl.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

12.2 चालू वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक

तारीख :	24 अगस्त, 2022
समयः	12.00 बजे अपराहन
स्थानः	कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का बोर्ड कक्ष, सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110007

12.3 श्रेणीवार शेयरधारक पैटर्न (इस रिपोर्ट की तिथि को)

श्रेणी	भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर)	शेयरधारण का प्रतिशत
प्रवर्तक (इरकॉन इंटरनेशनल लि. और इसके आठ नामिति)	6,50,00,000	100 प्रतिशत
कुल	6,50,00,000	100 प्रतिशत

धारक कंपनी द्वारा पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 100 प्रतिशत शेयर धारक कंपनी के हैं। इन शेयरों का

अंतरण करने के लिए सीईओ एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

12.4 संप्रेषण का पता

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है:
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड
प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत, नई दिल्ली–1100017
टेलीफोन : 26530266
ई–मेल : info@irconisl.com
वेबसाईट : www.irconisl.com

आपकी कंपनी ने नोएडा में अपना कॉर्पोरेट कार्यालय भी स्थापित किया है जिसका विवरण इस प्रकार है:

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
बी–40ए, दूसरी मंजिल, सेक्टर 1, नोएडा–201301
संपर्क नंबर 01202970406
ई–मेल आईडी : info@irconisl.com
वेबसाइट : www.irconisl.com

13. निगमित शासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2021–22 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **संलग्नक ''ग–3''** पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(योगेश कुमार मिश्रा)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 07654014)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24..8.2022

अनुबंध ग–1

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वित्तीय विवरणों एवं तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की हैः–

1. इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।
2. ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरुप हैं।
3. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।
4. हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उतरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।
5. हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और
6. हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/–
श्री अजय पाल सिंह
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

ह/–
श्रीमती पूजा चौरसिया
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24.08.2022

अनुबंध–ग2

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा

मैं, योगेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष, इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अशिपुष्टि की गई है।

ह/–
(योगेश कुमार मिश्रा)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 07654014)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24..8.2022

गरिमा ग्रोवर
कंपनी सचिव

कार्यालय : 17/110, दूसरा तल, सुभाष नगर, नई दिल्ली–110027

ggaconsultant2020@gmail.com, मोबाइल नं. 9999385002

....

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निगमित शासन पर डी.पी.ई के दिशानिर्देशों के अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य,
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड,
नई दिल्ली।

हमने अपकी कंपनी के संबंध में समय–समय पर डीपीई द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम हेतु निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के साथ कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है –

यह भी अवलोकन किया गया था कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार स्वतत्र निदेशकों के रूप में इसके बोर्ड में एक–तिहाई निदेशक होने चाहिए। तथापि, यह उल्लेख किया गया है कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए दिनांक 05.07.2017 के एमसीए अधिसूचना के तहत छूट प्रदान की गई है और दिनांक 16 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. 18(7)/2013–जीएम के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग यदि चाहे तो सीपीएसई में सहायक कंपनी के बोर्ड में गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूर्णता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

कृते गरिमा ग्रोवर एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
गरिमा ग्रोवर
सदस्यता संख्या–27100
सी.ओ.पी सं.23626
यूडीआईएन सं. A027100D000822785

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.08.2022

अनुबंध–घ

फार्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,

मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,

प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमनें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हमने एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः **(वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप–नियमः **(वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम **(वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यपाक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011. **(वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 1992 **(वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 **(वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)**

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन तथा कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 **(वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008 **(वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है **(वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009 **(वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं),** और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 1998 **(वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)।**

(vi) कंपनी ने निम्नलिखित अन्य कानूनों की पुष्टि की है जो विशिष्ट रूप से कंपनी पर लागू हैं :

(क) निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश।

(ख) लागू स्तर तक संबंधित श्रम कानून।

(ग) लागू स्तर तक संबंधित पर्यावरण कानून

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

(क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायितव एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, **(वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)।**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। यह उल्लिखित है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का बजट 27,00,000/– रूपए का था, और सीएसआर गतिविधियां 26,54,897 रूपए के कुल व्यय से निष्पादित की गईं थी और अवलोकन किया गया था कि इसमें से वित्तीय वर्ष के अंत तक 11,05,294 रूपए खर्च नहीं किए जा सके। बहरहाल, इस लक्ष्य को 28.05.2022 तक पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के प्रावधानों के अनुसरण में 45,103 रूपए की अव्यय राशि को दिनांक 08.06.2022 को पीएम केयर्स निधि में अंतरित किया गया था।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

वर्ष 2021–22 के दौरान, बोर्ड की संरचना में परिवर्तन किया गया था। कंपनी के निदेशक मंडल का गठन नामिति निदेशकों के साथ किया गया था और इरकॉन (धारक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, सभी नामिति निदेशकों की नियुक्ति धारक कंपनी द्वारा की गई थी।

कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। एमसीए अधिसूचना ''कंपनियों (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2017 दिनांक 5 जुलाई, 2017 के तहत' 'कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा से छूट दी गई है।

सभी निदेशकों को उपयुक्त नोटिस दिया गया है कि वे समिति बैठकों के साथ बोर्ड बैठकों की अनुसूची तैयार करें तथा सात दिन या उससे कम अवधि के पूर्व नोटिस पर कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट तैयार करें, जैसा भी मामला हो, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर कोई अन्य सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तथा निदेशको द्वारा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी की प्रणाली विद्यमान है।

प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के रूप में बोर्ड बैठकों के निर्णय एकमत से लिए जाते हैं।

हमने आगे रिपोर्ट करता हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों सहित लागू वित्तीय कानूनों का अनुपालन इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग करने और इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में कंपनी में कोई विशिष्ट घटनाएं/क्रियाएं नहीं हुई हैं जिनका कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रमुख प्रभाव पड़ा हैः

कृते कंचना साह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
कंचन साह
प्रोप्राइटर
एफसीएस : 40907
सीपी सं. : 15309
यूडीआईएन : A040907D000582844

दिनांकः 07.07.2022
स्थानः दिल्ली

(इस रिपोर्ट को अनुबंध–क के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है)।

अनुबंध–क

सेवामें,

सदस्य,
मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,
प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली–110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरा उत्तरदायित्व हमारे निष्कर्षों/लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। जांच आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। मेरा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, मेरे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं की है।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूणता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

कृते कंचन साह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
कंचन साह
प्रोप्राइटर
एफसीएस : 40907
सीपी सं. : 15309
यूडीआईएन : A040907D000582844

दिनांकः 07.07.2022
स्थानः दिल्ली

अनुबंध–ड.

फॉर्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष को

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1)के अनुसरण में)

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौराः

सीआईएन	यू 45400डीएल2009जीओआई194792
पंजीकरण तिथि	30 सितंबर, 2009
कंपनी का नाम	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	शेयर द्वारा कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	प्लॉट सं सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017 दूरभाष 011–29565666
क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा	लागू नहीं

II. कंपनी का प्रधान व्यावसायिक गतिविधियांः

कंपनी की सभी व्यावसायिक गतिविधियां जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं, निम्नानुसार हैंः

क्र.स.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1.	परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजना	7110	83.11 प्रतिशत

III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों का विवरणः

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/संबद्ध कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	यू45203डीएल1976जीओआई008171	धारक कंपनी	100 प्रतिशत	2(46)

IV. शेयर धारिता पैटर्नः

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रुप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार शेयर धारित

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) निकाय निगम	–	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	–	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	–
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान		–	–	–	–	–	–	–	–
च) कोई अन्य		–	–	–	–	–	–	–	–
उप कुल (क) (1)	–	**6,50,00,000**	**6,50,00,000**	**100%**	–	**6,50,00,000**	**6,50,00,000**	**100%**	–
(2) विदेशी									
क) एनआरआई – व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) अन्य – व्यक्तिगत									
ग) निकाय निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान									
ड.) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप कुल (क) (2)	–	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	–	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	–
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	–	**6,50,00,000**	**6,50,00,000**	**100%**	–	**6,50,00,000**	**6,50,00,000**	**100%**	–
ख. जन शेयरधारिता									
(1) संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) म्यूचुवल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड.) उपक्रम पूंजी निधि									
च) बीमा कंपनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छ) एफआईआई			–	–	–	–	–	–	–
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
निधियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट)									
उपकुल (ख)(1):		**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

(2) गैर संस्थागत									
क) निकाय निगम									
i) भारतीय	–	–			–	–	–	–	–
ii) विदेशी	–	–			–	–	–	–	–
ख) व्यक्तिगत	–	–			–	–	–	–	–
i) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1लाख रुपए तक समान्य शेयर पूंजी का धारण	–	–			–	–	–	–	–
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक समान्य शेयर पूंजी का धारण	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)	–	–	–	–	–	–		–	–
उप कुल (ख)(2)	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल जन शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	–	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	.	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सकल योग (क +ख +ग)		**6,50,00,000**	**6,50,00,000**	**100%**	–	**6,50,00,000**	**6,50,00,000**	**100%**	–

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र.सं	**शेयरधारकों के नाम**	**वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता**			**वर्ष के अंत में शेयरधारिता**			**वर्ष के दौरान धारित शेयरों मे प्रतिशत परिवर्तन**
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**	**कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**	**कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत**	
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 7 नामिति	6,50,00,000	100%	–	6,50,00,000	100 %	–	100%
	कुल	**6,50,00,000**	**100%**	**–**	**6,50,00,000**	**100%**	**–**	**100%**

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

विवरण	**वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता**		**वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता**	
	शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**
वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं			
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि):	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं			
वर्ष के अंत में	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं			

iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में	शून्य			
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):				
वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं)				

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक और केएमपी हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में	शून्य			
वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाते हुए (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि) वर्ष के दौरान तिथिवार वृद्धि/कमी :				
वर्ष के अंत में				

V. ऋणग्रस्तता :

बकाया ब्याज/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता :

(करोड़ रुपए में)

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	–	शून्य	–	शून्य
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	–	शून्य	–	शून्य
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	–	शून्य	–	शून्य
कुल (i+ii+iii)	–	शून्य	–	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- परिवर्धन	–	शून्य	–	शून्य
- कमी	–	शून्य	–	शून्य
निवल परिवर्तन	–	शून्य	–	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	–	शून्य	–	शून्य
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	–	शून्य	–	शून्य
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	–	शून्य	–	शून्य
कुल (i+ii+iii)	–	शून्य	–	शून्य

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक *:

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम (2021–22 के सम्पूर्ण वर्ष में)					कुल राशि
1	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन						
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य						
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ						
2	स्टॉक विकल्प				लागू		
3	स्वेट इक्विटी				नहीं		
4	अन्य के लाभ का प्रतिशत बतौर कमीशन, उल्लेख करें						
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)						
	कुल (क)						
	अधिनियम के अनुसार सीमा						

***इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में धारक कंपनी द्वारा नामित 4 अंशकालीन निदिेशक हैं जो कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं। अंशकालीन निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।**

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक						
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क						
	कमीशन						
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)						
	कुल (ख1)						
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक						
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क				लागू नहीं		
	कमीशन						
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें						
	कुल (ख 2)						
	कुल (ख) = (ख1 + ख 2)						
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक						
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा						

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सी.ई.ओ	**सी.एफ.ओ**	**कंपनी सचिव**	**कुल राशि**
1	सकल वेतन	25,93,949.00	17,63,756.00	6,10,803.00	49,68,508.00
(क)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन				
(ख)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2)के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य				
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	
3	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	
4	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	–लाभ के % के रूप में				
	–अन्य, स्पष्ट करें				
5	अन्य, स्पष्ट करें				
	क) अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,39,957.00	5,11,486.00	19,549.00	12,71,037.00
	ख) निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	5,80,608.00	2,81,093.00	-	8,61,701.00
	ग) अन्य लाभ	1,05,652.00	38,239.00	-	1,43,891.00
	कुल (क)	**40,20,166.00**	**25,94,574.00**	**6,30,397.00**	**72,45,137.00**
	अधिनियम के अनुसार सीमा				

VII. दंड/सज़ा/अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सज़ा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
दंड					
सज़ा					
कंपाउंडिंग			शून्य		
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
दंड					
सज़ा					
कंपाउंडिंग					

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(योगेश कुमार मिश्रा)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 07654014)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2022

फार्म सं–एओसी–2

अनुबंध–च

चौथे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म–लैंथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : **शून्य**

सामग्री संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं

क्र.सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारो की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
1	**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)**	(क) इरकॉन की कोलकाता परियोजना हेतु श्रमशक्ति आपूर्ति करार	**तिथि** : दिनांक 25.03.2019 का करार। **अवधि** : दिनांक 01.01.2019 से 1 वर्ष। **नवीकरण:** संविदा को 08.01.2022 से 1 वर्ष के लिए दिनांक 09.01. 2021 से समान दर और शर्तों व निबंधनों पर बढाया गया है।	1 अप्रेल 2021 से 8 मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान आईएसएल द्वारा प्रस्तुत कुल श्रमशक्ति बिलिंग 7.25 लाख रूपए (जीएसटी के बिना) है।	लागू नही	शून्य
		(ख) इरकॉन की अर्जनटीना परियोजना हेतु श्रमशक्ति आपूर्ति करार	**तिथि** : दिनांक 26.03.2019 का करार। **अवधि** : दिनांक 01.10.2017 के एलओए से 02 वर्ष। **नवीकरण:** संविदा को 30.09.2021 से 1 वर्ष के लिए दिनांक 01. 10.2020 से समान दर और शर्तों व निबंधनों पर बढाया गया है।	वर्ष 2021–22 के दौरान की अवधि के दौरान आईएसएल द्वारा प्रस्तुत कुल श्रमश्क्ति बिलिंग 23.34 लाख रूपए (जीएसटी के बिना) है।	लागू नही	शून्य

		(ग) इरकॉन की बांग्लादेश परियोजना हेतु श्रमशक्ति आपूर्ति करार	**तिथि** : दिनांक 22.05.2020 का करार। **अवधि** : दिनांक 07.02.2020 के एलओए से 01 वर्ष। **नवीकरण:** संविदा को 07.02.2022 से 1 वर्ष के लिए दिनांक 31. 01.2023 से समान दर और शर्तों व निबंधनों पर बढाया गया है।	वर्ष 2021–22 के दौरान की अवधि के दौरान आईएसएल द्वारा प्रस्तुत कुल श्रमश्क्ति बिलिंग 46.28 लाख रूपए (जीएसटी के बिना) है।	लागू नही	शून्य
		(घ) नोएडा भवन किराया और इरकॉन निगमित कार्यालय को साकेत कार्यालय का कमरा सं. 208	**तिथि** : दिनांक 11.10.2021 का पट्टा करार (प्रभावी तिथि 01.01. 2021)। दिनांक 1 जनवरी 2021 से इरकॉन आईएसएल का निगमित कार्यालय इरकॉन के नोएडा कार्यालय में स्थानान्तरित हो गया है।	वर्ष 2020–21 के लिए देय निकमित कार्यालय किराये के प्रति इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत कुल बिलिंग 68.28 लाख रूपए (जीएसटी के बिना) है।	लागू नही	शून्य
		(ड.) इरकॉन उत्तरी क्षेत्र को वास्तविक आधार पर नोएडा भवन की मरंम्मत और अनुरक्षण प्रभाअ और बिजली प्रभार।	**तिथि** : दिनांक 11.10.2021 का पट्टा करार (प्रभावी तिथि 01.01. 2021)। दिनांक 1 जनवरी 2021 से इरकॉन आईएसएल का निगमित कार्यालय इरकॉन के नोएडा कार्यालय में स्थानान्तरित हो गया है।	वर्ष 2020–21 के लिए देय मरम्मअ और अनुरक्षण प्रभारों के प्रति इरकॉन उत्तरी क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत कुल बिलिंग 28. 28 लाख रूपए (जीएसटी के बिना) है।	लागू नही	शून्य
		(च.) इरकॉन परियोजना (क्यूल–गया दोहरीकरण परियोजना और हाजीपुर–बछवाडा दोहरीकरण परियोजना) का डोमेटिक (ऑन लाइन ट्रेक टेम्पर मॉडल प्लासर हेवी ड्यूटी ट्रेक टेम्पर 08–32सी एमए सं. 6013 डबल हेडर)।	**तिथि** : दिनांक 16.12.2020 का करार और 20.10.2020 का शुद्वपत्र। **अवधि:** यह मशीन हायरिंग एग्रीमेंट शुरू में परियोजना में मशीन के चालू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 16.10.2019 के लिए प्रभावी होगा।	1 अप्रेल 2021 से 15 जनवरी 2022 तक के लिए इरकॉन आईएसएल द्वारा प्रस्तुत डोमेटिक मशीन के पट्टे की कुल बिलिंग 183. 99 लाख रूपए (जीएसटी के बिना) है।	लागू नही	शून्य

			नवीकरणः इस अनुबंध को आगे तीन महीनों के लिए दिनांक 15. 01.2022 तक बढ़ाया गया है।			

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(योगेश कुमार मिश्रा)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 07654014)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2022

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)
तुलन पत्र
31 मार्च 2022 को

(रूपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
I.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	3	16.05		4.55	
	(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	-		2.88	
	(ग) अमूर्त संपत्ति	5	80.82		82.97	
	(घ) वित्तीय संपत्ति	6				
	(i) ऋण	6.1	0.03		0.05	
	(ii) अन्य	6.2	2.93		0.03	
	(ड) आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	7	-		-	
				99.83		90.48
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) वस्तु सूची	8	4.32		3.04	
	(ख) वित्तीय संपत्ति	9				
	(i) व्यापार प्राप्तियां	9.1	90.68		82.29	
	(ii) नकद और नकद समतुल्य	9.2	39.34		58.37	
	(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	9.3	95.21		77.59	
	(iv) ऋण	9.4	0.02		0.03	
	(v) अन्य वित्तीय संपत्ति	9.5	6.06		7.09	
	(ग) वर्तमान कर संपत्ति (निवल)	10	0.97		-	
	(घ) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों	11	23.98		21.09	
	बिक्री के लिए धारित संपत्ति	12	1.12		-	
	कुल मौजूदा संपत्तियां			261.70		249.50
	कुल संपत्ति		**361.53**		**339.98**	
II.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	65.00		65.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	14	99.94	164.94	94.64	159.64
2	**देयताएं**					
(i)	**गैर चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देनदारियों	15				
	(i) अन्य वित्तीय देनदारियां	15.1	16.62		21.13	
	(ख) प्रावधानों	16	0.16		0.24	
	(ग) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	7	4.33		4.68	
	(घ) अन्य गैर वर्तमान देयताएं	17	31.17	52.28	31.46	57.51
4	**चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देनदारियों	18				
	(i) व्यापार देय					
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की देय राशि	18.1	1.89		8.67	
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		13.64		12.59	
	(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	18.2	17.21		7.29	
	(ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	19	107.04		88.93	
	(ग) प्रावधानों	20	0.06		0.12	
	(घ) वर्तमान कर देयता (निवल)	21	4.47	144.31	5.23	122.83
	कुल इक्विटी और देयताएं		**361.53**		**339.98**	
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	1-2				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां	3-46				

हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से

कृते के.एम.जी.एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन–004730एन

सीए ललित गोयल
(साझेदार)
स.सं.091100

पूजा चौरसिया
सी.एफ.ओ

अजय पाल सिंह
सी.ई.आ

मनीषा गोले
कंपनी सचिव

अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(डिन:09213782)

योगेश कुमार मिश्रा
निदेशक
(डिन:07654014)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक रु 23 मई 2022

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)
रोकड़ प्रवाह विवरण
31 मार्च 2022

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु	
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह					
कराधान से पहले शुद्ध लाभ		13.35		14.11	
के लिए समायोजन		-			
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि		3.49		2.92	
संपत्ति के निपटान पर हानि/(लाभ) (शुद्ध)		-		-	
वित्तीय खर्च		-		-	
ब्याज आय		(2.52)		(3.27)	
विदेशी मुद्रा नकद और नकद समकक्षों में अंतर पर विनिमय अंतर का प्रभाव		(0.20)		0.13	
चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों से पहले परिचालन लाभ	(1)	**14.12**		**13.89**	
के लिए समायोजन					
दर सूची में कमी (वृद्धि)		(1.28)		(3.03)	
व्यापार प्राप्तियों में कमी (वृद्धि)		(8.41)		(25.28)	
ऋणों में कमी (वृद्धि)		0.01		(0.01)	
अन्य वित्तीय आस्तियों में कमी/(वृद्धि)		-0.03		(1.01)	
अन्य चालू आस्तियों में कमी/(वृद्धि)		(2.89)		(1.14)	
गैर चालू वित्तीय आस्तियों में कमी/(वृद्धि)		0.02		(0.02)	
अन्य गैर चालू वित्तीय आस्तियों में कमी/(वृद्धि)		(2.89)		0.26	
अन्य गैर वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)		(0.30)		1.18	
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		(0.07)		(0.01)	
अन्य गैर चालू आस्तियों में वृद्धि/(कमी)		-		-	
व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)		(5.73)		9.07	
अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)		5.41		4.64	
अन्य वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)		18.11		(98.40)	
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		(0.06)		5.15	
		-			
	(2)	**1.89**		**(108.60)**	
संचालन से उत्पन्न नकद	(1+2)	**16.01**		**(94.71)**	
भुगतान किया गया आयकर (धन वापसी) शुद्ध		(10.12)		81.21	
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	(क)		**5.89**		**(13.50)**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह					
पीपीई, अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त पर पूंजीगत व्यय		(11.08)		(0.85)	
अचल संपत्ति की बिक्री		-		-	
वर्ष के दौरान दिए गए पूंजीगत अग्रिम		-			
प्राप्त ब्याज		3.57		0.66	
सीसीई के लिए एवं बैंक शेष के अलावा बैंक शेष में कमी/(वृद्धि)		(17.62)		(29.91)	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद	(ख)		**(25.13)**		**(30.10)**
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		-			
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त राशि		-		-	
उधार से आय		-		-	
वित्तीय लागत		-		-	
लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) भुगतान किया गया		-		-	
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद	(ग)				
विदेशी मुद्रा नकद और नकद समकक्षों के अनुवाद पर विनिमय अंतर का प्रभाव	(घ)		**0.20**		**-0.13**
नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(क+ख+ग+घ)		**(19.04)**		**(43.73)**
नकद और नकद समकक्ष के घटक					
नकद और नकद समतुल्य (उद्घाटन)	(ङ)		**58.38**		**102.10**
नकद शेष			0.03		0.01
बैंकों के साथ संतुलन			-		0.19
चालू खाता			0.35		0.46
फ्लैक्सी खाता			57.99		34.44
लघु अवधि के निवेश			-		67.00
नकद और नकद समतुल्य (समापन)	(च)		**39.34**		**58.37**
नकद शेष			0.04		0.03
पारगमन में धन			-		-
बैंकों के साथ संतुलन			-		
चालू खाता			2.50		0.35
फ्लेक्सी खाते			36.80		57.99
3 महीने से कम समय में परिपक्व होने वाली एफडीआर			-		-
नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(च-ङE)		**(19.04)**		**(43.73)**

1 चालू वर्ष के लिए अचल संपत्ति की बिक्री पर हानि: 43,206/- (पिछले वर्ष: शून्य)

नोट 1. अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करके नकद प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिससे गैर नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और पिछले या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों की किसी भी आस्थगन या प्रोद्भवन के प्रभावों के लिए कर से पहले लाभ / (हानि) को समायोजित किया जाता है। कंपनी की संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है

2 कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े नकदी के बहिर्वाह को दर्शाते हैं।

3. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ पुनर्समूहित/पुनर्निर्मित किया गया है।

हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से

कृते के.एम.जी.एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन–004730एन

सीए ललित गोयल	पूजा चौरसिया	अजय पाल सिंह	मनीषा गोले
(साझेदार)	सी.एफ.ओ	सी.ई.आ	कंपनी सचिव
स.सं.091100			

	अभिजीत कुमार सिन्हा	योगेश कुमार मिश्रा
स्थान : नई दिल्ली	निदेशक	निदेशक
दिनांक रु 23 मई 2022	(डिन:09213782)	(डिन:07654014)

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)
31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी[1]

(रूपए करोड़ में)

1 अप्रैल 2021 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान संचलन	मार्च 2022 को शेष
65.00	**-**	**65.00**	**-**	**65.00**

[1] संदर्भ नोट 13

ख अन्य इक्विटी[2]

(रूपए करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक			"अन्य व्यापक आय की वस्तुएं (बीमांकिक लाभ/(हानि)"	कुल
	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंट	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी		
1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	-	88.89	5.75	-	**94.64**
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	**-**	**88.89**	**5.75**	-	**94.64**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	-	5.30	-	**5.30**
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर को छोड़कर	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)	-	-	-	-	
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**5.30**	-	**5.30**
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान धनवापसी स्वीकार किया गया	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक शेष राशि	**-**	**88.89**	**11.05**	-	**99.94**

[2] संदर्भ नोट 14

हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से

कृते के.एम.जी.एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन–004730एन

सीए ललित गोयल
(साझेदार)
स.सं.091100

पूजा चौरसिया
सी.एफ.ओ

अजय पाल सिंह
सी.ई.आ

मनीषा गोले
कंपनी सचिव

अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(डिन:09213782)

योगेश कुमार मिश्रा
निदेशक
(डिन:07654014)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक रु 23 मई 2022

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)
31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी[1] (रूपए करोड़ में)

1 अप्रैल 2020 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान संचलन	मार्च 2021 को शेष
65.00	-	65.00	-	65.00

[1] संदर्भ नोट 13

ख अन्य इक्विटी[2] (रूपए करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक			"अन्य व्यापक आय की वस्तुएं (बीमांकिक लाभ/(हानि)"	कुल
	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी		
1 अप्रैल 2020 को शेष	-	88.89	-	-	**88.89**
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	**88.89**	-	-	**88.89**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	-	5.75	-	**5.75**
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर को छोड़कर	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	-	-	**5.75**	-	**5.75**
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान धन वापसी स्वीकार किया गया	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 तक शेष राशि	-	**88.89**	**5.75**	-	**94.64**

[2] संदर्भ नोट 14

हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से

कृते के.एम.जी.एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन–004730एन

सीए ललित गोयल
(साझेदार)
स.सं.091100

पूजा चौरसिया
सी.एफ.ओ

अजय पाल सिंह
सी.ई.आ

मनीषा गोले
कंपनी सचिव

अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(डिन:09213782)

योगेश कुमार मिश्रा
निदेशक
(डिन:07654014)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक रु 23 मई 2022

नोट 1:निगमित सूचना

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह कंपनी भारत में आधारित है और इसे भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित किया गया है। आरंभ में कंपनी का निगमन रेलवे प्रयोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों के के निर्माण और विकास के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने धीरे–धीरे धारित कंपनी सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए अवसंरचना परामर्श परियोजनाओं, डीपीआर एवं एफएस तैयार करना, परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजनाओं, श्रमशक्ति आपूर्ति, संयंत्र एवं मशीनरी का पट्टाकरण, बहुउद्देशीय परिसरों को उप पट्टे पर देने तथा सीएसआर परियोजनाओं का कार्य भी आरंभ किया है। कंपनी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के बाजारों में कार्य कर रही है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है।

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 23.05.2022 को आयोजित अपनी बैठक में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

नोट 2:इंड एस (स्टेंडएलोन) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची 3) की अनुसूची–3 के भाग–2, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2..2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण वित्तीय लेखांकन नीतियों का सार नीचे प्रस्तुत है। इन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से लागू किया गया है।

2.2.1 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

परिचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए बारह माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का कापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में शामिल है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है। मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
संयंत्र एवं मशीनरी	12 वर्ष
कम्प्यूटर्स	03 वर्ष
फर्नीचर एवं जुड़नार	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	05 वर्ष
प्रयोगशाला उपकरण	10 वर्ष
वाहन	10 वर्ष

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में किए गए

उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.2.4 निवेश परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है। निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी

लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

<u>अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास</u>

निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है।

अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्यह्रास क्रय/निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

कम्पनी अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

<u>स्वीकृति समाप्ति</u>

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों को प्रयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार यपर उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

अमूर्त परिसंपत्तियां	**उपयोगी जीवनकाल**	**आंतरिक रूप से सृजित या स्वःसृजित**
पट्टा अधिकार	एमएफसी का उपयोगी जीवनकाल	आंतरिक रूप से सृजित

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

पट्टाधारी भूमि और उनमें सुधारों को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा विधि में निम्नतर पर परिशोधित किया जाता है।

प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन/घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से/निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशिा उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा

उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन रशिि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.7 सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में इक्विटी माध्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में इक्विटी माध्यमों में निवेश को इंड एएस–27 के पृथक वित्तीय विवरणों के अनुसार लागत पर लेखांकित किया जाता है। जहां निवेश का वहन मूल्य इसके अनुमानित वसूली मूल्य से अधिक होता है, वहां इसका आकलन वसूली–योग्यता के लिए किया जाता है और स्थायी विलयन के मामले में हानि के प्रावधान को लाभ एवं हानि विवरण में रिकार्ड किया जाता है। निवेश के निपटान पर, निवल निपटान प्राप्ति और उसके वहन मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है।

संयुक्त प्रचालनों में हित

कंपनी एक संयुक्त प्रचालक है जिसे संयुक्त व्यवस्था के अन्य पक्षों के साथ संयुक्त रूप से धारित परिसंपत्तियों/वहन की गई देयताआ में अपने संयुक्त प्रचालन में अपने भाग में कंपनी हितों के रूप में स्वीकार किया गया है। राजस्व को संयुक्त प्रचालनों द्वारा आउटपुट की बिक्री से राजस्व के इसके भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है।व्ययों को संयुक्त व्यवस्था के भाग के रूप में अन्य पक्षों के साथ संयुक्त रूप से किए गए व्यय में इसके भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2.2.8 मालसूचियां

क) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ख) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

ग) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

घ) नो कास्ट प्लस संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

ड.) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.2.9 राजस्व मान्यता

(क) ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व

(i) परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीसीएम) सेवाओं से राजस्व : ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व प्राप्त किया जाता है जब माल एवं सेवाओं का नियंत्रण ग्राहकों की ऐसी धनराशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो इस आधार पर है कि कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करे।

ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को उस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा जहां तक यह संभावना हो कि कंपनी में आर्थिक लाभ प्राप्त हों और राजस्व तथा लागतों, यदि लागू हो, को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

यदि हमारे ग्राहकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने में अन्य पक्ष शामिल होता है तो कंपनी निर्धारण करती है कि ग्राहकों को किए गए वादे की प्रकृति का मूल्यांकन करके इन संव्यवहारों को करने वाला प्रधान पक्ष है या एजेंट है। राजस्व को सकल आधार पर बुक किया जाता है, जहां कंपनी प्रधान पक्ष के रूप में कार्य करती है और यदि कंपनी एजेंस के रूप में कार्य करती है तो अपनी सेवाओं के लिए प्रतिधारित निवल राशि पर। कंपनी ने संविदाओं के तथ्य पर विचार करके राजस्व को स्वीकार किया है।

सभी पीएमसी संविदाओं में, कंपनी प्रस्तुत दायित्वों की पूर्ण निष्पादन की दिया में उसकी प्रगति को मापने के पश्चात समय के साथ–साथ संतोषजनक निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करता है, उस स्थिति में जहां निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप वे माना नहीं जा सकता है किन्तु कंपनी को संतोषजनक निष्पादन के लिए लागत की वसूली की आशा होती हो, राजस्व को केवल उस समय

तक किए गए लागतों की सीमा तक स्वीकार किया जाता है, जबतक कि यह कार्यनिष्पादन दायित्व के परिणामों को यथोचित मापन नहीं है।

निष्पादन दायित्वों को इपपुट विधि के प्रयोग द्वारा मापा जाता है। जहां निष्पादन दायित्वों को इनपुट विधि द्वारा मापना संभव नहीं है वहां इन अनुबंधों के लिए आउटपुट विधि का प्रयोग किया जाता है, जो वास्तविक रूप से कंपनी के कार्यनिष्पादन को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है।

राजस्व को संव्यवहार मूल्य पर मापा ताजा है, जो निष्पादन दायित्वों हेतु आवंटित किए जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र राशि को अलग कर दिया जाता है तथा इसका समायोजन वेरियेबल दृष्टिकोण, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

संविदा के आरंभ होने के पश्चात, संव्यवहार के मूल्य विभिन्न कारकों के कारण बदल सकते हैं। संव्यवहार के मूल्य में कोई भी परिवर्तन अनुबंध में निर्धारित समय पर उसी आधार निष्पादन दायित्वों हेतु आवंटित किया जाता है। इसके परिणामस्वरुस्प, एक संतोषजनक निष्पादन दायित्व हेतु आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व में कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में संव्यवहार में परिवर्तन हुआ है।

यदि स्थिति में परिवर्तन होता है तो राजस्व, लागत या पूर्णता की दिशा में प्रगति का अनुमान संशेधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागतों के कारण परिणम में वृद्धि या कमी हो सकती है और इस परिवर्तन की अवधि में लाभ या हानि को शामिल करके स्वीकार किया जाता है, यदि परिवर्तन उसी अवधि को प्रभावित करता है या परिवर्तन की अवधि और भावी अवधि दोनों का प्रभावित करता है।

यदि कंपनी ग्राहकों द्वारा विचार किए जाने या देय भुगतान किए जाने से पूर्व किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है तो संविदागत परिसंपत्ति अर्जिन के लिए मान्यता प्राप्त है और यह स्थिति शर्त सहित है। यदि कोई ग्राहक कंपनी में सेवा स्थानांतरित करने से पहले भुगतान पर विचार करता है तो भुगतान किए जाने या भुगतान के लिए देय राशि (जो भी पहले हो) के लिए अनुबंध दायित्व

को स्वीकार किया जाएगा। अनुबंध देयता को राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है यदि कंपनी अनुबंध के तहत निष्पादन करती है।

(ii) श्रमशक्ति आपूर्ति/मशीनों को किराए पर देने से प्राप्त राजस्व

कंपनी ग्राहकों के साथ संविदा में उल्लिखित अनुसार वादा की गई सेवाओं (यथा सहमत श्रमशक्ति की आपूर्ति) के अंतरण द्वारा निष्पादन दायित्वों के संतोष पर राजस्व को स्वीकार करती है। ऐसे सेवाओं को समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्वों के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि ग्राहक कंपनी द्वारा उपलब्ध लाभों को एक साथ ही प्राप्त एवं उपभोग करता है।

अन्य प्रचालनिक आय व्यवसाय के लिए आकस्मिक गतिविधियों से अर्जित आय को दर्शाती है और इसे तब स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है और संविदा की शर्तों के अनुसार आय प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ख) अन्य राजस्व मान्यता

(i) लाभांश आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ii) ब्याज आय को कुशल ब्याज दर विधि के प्रयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है। ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय में शामिल किया गया है।

(iii) विविध आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है और संविदा की शर्तों के अनुसार आय प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.2.10 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय

भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.11 कर

(क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के ाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

(ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगति कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस समय ऑफसेट किया जाता है जब चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकारी होता है और जब आस्थगित कर शेष समान कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित हो!

2.2.12 विदेशी मुद्राएं

- **कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा**

  वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'')

करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

- **संव्यवहार एवं शेष**

  विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

  रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

  मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

- **विदेश परिचालन**

  शाखाओं से संबंधित उन विदेश परिचालनों, जिनमें उपयोग की मुद्रा के प्रति कार्यात्मक मुद्रा में भिन्नता है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के उद्‌देश्य से उपयोग की मुद्रा का प्रयोग किया गया है। समूह की विदेश स्थित शाखाओं की परिसम्पतियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक दोनों) को रिपोर्टिंग तिथि के अंत में लागू विनिमय दर के उपयोग से परिवर्तित किया गया है। यदि विनिमय दरों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं तो आय एवं व्यय की मदों को अवधि के दौरान औसत विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है अन्यथा मामलों के लिए संव्यवहार की तिथि को प्रयुक्त विनिमय दर उपयोग में लाई गई है। उत्पन्न विनिमय

भिन्नताओं, यदि कोई हैं, की स्वीकृति अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी इसका संचय विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व के रूप में किया गया है।

विदेशी परिचालनों का निपटान (परियोजना की बहियां बंद करने पर) होने पर परिचालन के संबंध में इक्विटी में संचित विनिमय भिन्नताओं का पुनःवर्गीकरण लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

2.2.13 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

- **परिभाषित अंशदायी योजना :** परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत कंपनी नियत राशि का अंशदान एक अलग इकाई में करती है तथा इससे इसके प्रति आगे किसी राशि का भुगतान करने का कोई विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान करने से संबंधित योजनाओं के संबंध में, जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, लाभ एवं हानि विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

नियमित कर्मचारियों क लिए, कंपनी एनपीएस के माध्यम से कर्मचारी पेंशन योगना के प्रति अंशदान जमा कराती है।

- **परिभाषित लाभ योजना** : परिभाषित लाभ योजना एक सेवानिवृत्ति के पश्चात की लाभ योजना है जो कि परिभाषित अंशदायी योजनाओ से भिन्न है। उपदान, भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए कंपनी की देयताओं की रूपरेखा परिभाषित लाभ योजनाओं में दर्शाई गई है।

कंपनी द्वारा उपदान का निधियन किया जाता है तथा इसको लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है। कंपनी एक नियत अंशदान ईपीएफओं की पूर्वनिर्धारित दर पर निश्चित भविष्य निधि में करती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी द्वारा बारह माह के पश्चात अग्रेषित किए जाने वाले छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत को मापन के उद्देश्य से दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ माना गया है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में दायित्व की स्वीकृति का मापन अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकन पर आधारित दायित्वों के वर्तमान मूल्य पर किया गया है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है।

अन्य :

i) कंपनी में कार्य करने वाले नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर तथा धारक कंपनी के रोल वाले कर्मचारी। दीर्घकालीन अवकाश नकदीकरण, उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान धारक कंपनी द्वारा वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii) केवल विदेशी परियोजनाओं में तैनात संविदा कर्मचारी के लिए अवकाश वेतन का प्रावधान लेखा बहियों में किया जाता है क्योंकि उन्हें कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है।

iii) नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान का प्रावधान धारक कंपनी द्वारा अपने पीएफ ट्रस्ट में संचित आधार पर किया जाता है।

2.2.14 रोकड प्रवाह विवरण

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं तथा बैंक ओवरड्रफ्ट।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल हैं जैसाकि ऊपर परिशषित किया गया है तथा बकार्यों बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

2.2.5 लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश के संवितरण को उस अवधि के लिए देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में लाभांश को स्वीकृति प्रदान की गई है। किसी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत अनुसार देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है। देय लाभांश और लाभांश संवितरण कर को प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

(क) प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली,जब उचित हो, पूर्व कर दर

के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

कंपनी द्वारा स्वीकृत प्रावधानों में शामिल हैं अनुरक्षण, डीमोबिलाइजेशन, अभिकल्प गारंटी, विधिक मामलों, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान।

ख) दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

ग) आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक

लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.17 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली

परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

सावधिक पट्टे पर अधिग्रहित पट्टाधारी भूमि को परिशोधित नहीं किया जाता।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

ii) पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का

सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

iii) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

कंपनी ने दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी होने वाले इंड एएस 116 के अनुसार पट्टा लेखांकन को समायोजित किया है और सभी संबंधित आंकड़ों को इंड एएस 116 की अपेक्षाओं को प्रभावी बनाने के लिए पुनवर्गीकृत/पुनसमूहित किया गया है।

ख) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न

किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.2.18 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया हैः

- **परिशोधन लागत पर नामे उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैः

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- **अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण (एफवीटीओसीआई)**

  निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या

हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण**

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **इक्विटी उपकरण**

इंड एएस 109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरणएफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण – वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया हैः

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया हैः

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा

- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता ानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया हैः–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा

मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।

- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय/व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

<u>वित्तीय परिसंपत्तियों की अस्वीकृति</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को अस्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाहों का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों और तत्पश्चात परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों के स्वामित्व का का अंतरण करते हैं।

वहन मूल्य और प्राप्त/प्राप्य राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के ए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब

होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ड.) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.2.19 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैंः–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण

किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.19 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस 105 ''बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन – (1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.2.21 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.2.22 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते

हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(क) ग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

(ख) निर्धारित लाभ योजनाएं

सेवानिवृत्ति के बाद लाभ दायित्व की लागत बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अवधारणाओं का निर्धारण शामिल है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और भविष्य की पेंशन वृद्धि शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक निर्धारित लाभ दायित्व, इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है।

(ग) आकस्मिताएं

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित

भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

(घ) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

(ड.) कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की

आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

(च) गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

(छ) बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्तें पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर।

(ज) पट्टा– संवर्धात्मक ऋण दर का अनुमान

कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक

परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

(झ) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

अनुमोनों की आवश्यकता संविदा के निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में भी होती है।

- समापन के स्तर का निर्धारण
- परियोजना समापन तिथि का अनुमान
- भावी हानियों हेतु प्रावधान

- विभिन्न दावों और अंतरों सहित समापन पर अनुमानित कुल राजस्व और अनुमानित कुल लागत।

इनकी समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए इनमें समायोजन किया जाता है।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध कियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नोट

3 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	संयंत्र और मशीनरी	कम्प्यूटर	फर्नीचर फिक्सचर फर्निशिंग	वातानुकूलन	विद्युत उपकरण	कार्यालय उपकरण	प्रयोगशाला उपकरण	वाहन	कुल
<u>लागत या मूल्यांकन आधार पर</u>									
1 अप्रैल 2020	**11.24**	**0.32**	**0.07**	**0.02**	**0.02**	**0.05**	**-**	**0.03**	**11.75**
परिवर्धन	0.08	0.09	0.09	-	-	0.01	-	-	**0.27**
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021	**11.32**	**0.41**	**0.16**	**0.02**	**0.02**	**0.06**	**-**	**0.03**	**12.02**
परिवर्धन	12.04	0.05	-	-	-	0.01	-	-	**12.10**
निपटान/समायोजन	-	0.09	-	-	-	-	-	-	**0.09**
31 मार्च 2022 को	**23.36**	**0.37**	**0.16**	**0.02**	**0.02**	**0.07**	**-**	**0.03**	**24.03**
<u>संचित मूल्यह्रास</u>									
1 अप्रैल 2020	**6.48**	**0.18**	**0.02**	**0.01**	**-**	**0.02**	**-**	**-**	**6.70**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	0.65	0.09	0.01	-	-	0.02	-	-	**0.77**
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021	**7.13**	**0.27**	**0.03**	**0.01**	**-**	**0.04**	**-**	**-**	**7.47**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	0.49	0.06	0.02	-	-	0.02	-	-	**0.59**
निपटान/समायोजन	-	0.08	-	-	-	-	-	-	**0.08**
31 मार्च 2022 को	**7.62**	**0.25**	**0.05**	**0.01**	**-**	**0.06**	**-**	**-**	**7.98**
<u>निवल बही मूल्य</u>									
31 मार्च 2022 को	**15.74**	**0.12**	**0.11**	**0.01**	**0.02**	**0.01**	**-**	**0.03**	**16.05**
31 मार्च 2021	**4.19**	**0.14**	**0.13**	**0.01**	**0.02**	**0.02**	**-**	**0.03**	**4.55**

4 गैर चालू परिसंपत्तियां

पूंजीगत प्रगतिरत कार्य

विवरण	(रूपए करोड़ में) राशि
1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष राशि	
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	
समायोजन	
1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष राशि	**2.17**
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	0.06
समायोजन	-
1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष राशि	**2.23**
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	0.07
समायोजन	-
1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग बैलेंस	**2.30**
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	0.58
समायोजन	-
31 मार्च 2021 को अंतिम शेष राशि	**2.88**
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	2.30
समायोजन	-4.43
हानि	-0.75
31 मार्च 2022 को अंतिम शेष राशि	-

कुल बही मूल्य	
31 मार्च 2022 तक सीडब्ल्यूआईपी	-
31 मार्च 2021	**2.88**

4.1 पूंजीगत कार्य प्रगति में वृद्धावस्था अनुसूची

31 मार्च 2022 तक

(रूपए करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति में हैं	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

31 मार्च 2021 तक

(रूपए करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी	**अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि**				**कुल**
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
परियोजनाएं प्रगति में हैं 1	-	-	-	2.88	**2.88**
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

1 प्रगति में परियोजनाओं में विकास के तहत ट्रैक मशीनें शामिल हैं

31 मार्च 2022 तक

सीडब्ल्यूआईपी	**अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि**				**कुल**
परियोजनाएं प्रगति में हैं	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
	-	-	-	-	-

31 मार्च 2021 तक

सीडब्ल्यूआईपी	**पूरी की जाने वाली अवधि**				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजनाएं प्रगति में हैं	-	-	-	**2.88**	**2.88**

पूंजीगत प्रगति कार्यों का विवरण

(रूपए करोड़ में)

*विकासाधीन आस्तियों का विवरण	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेषराशि	वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन	सीडब्ल्यूआईपी से अमूर्त आस्तियों में पूंजीकरण / बिक्री के लिए धारित आस्तियों में अंतरण	31 मार्च 2022 तक शेषराशि
*विकासाधीन आस्तियों का विवरण				
पूंजीगत कार्य प्रगति में है (ट्रैक मशीनें)	0.84	0.09	0.94	-
ट्रैक मशीन सीएसएम-06	0.84	0.09	0.94	-
ट्रैक मशीन सीएसएम-11	1.20	2.11	3.31	-
कुल	**2.88**	**2.29**	**5.19**	**-**

(रूपए करोड़ में)

*विकासाधीन आस्तियों का विवरण	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेषराशि	वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्धन	सीडब्ल्यूआईपी से अमूर्त आस्तियों में पूंजीकरण	31 मार्च 2021 तक शेषराशि
पूंजीगत कार्य प्रगति में है (ट्रैक मशीनें)				
ट्रैक मशीन सीएसएम-06	0.78	0.06	-	0.84
ट्रैक मशीन सीएसएम-11	0.78	0.06	-	0.84
ट्रैक मशीन यूएनआईएम-[illegible]	0.74	0.46	-	1.20
कुल	**2.30**	**0.58**	**-**	**2.88**

5 अमूर्त परिसंपति

(रूपए करोड़ में)

विवरण	साफ्टवेयर	पट्टा अधिकार	कुल
1 अप्रैल 2020 को आरंभिक शेष	**-**	**95.15**	**95.15**
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-
समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2021 को अंतिम शेष राशि	**-**	**95.15**	**95.15**
वर्ष के दौरान वृद्धि			
समायोजन			
31 मार्च 2022 पर अंतिम शेष राशि	**-**	**95.15**	**95.15**
1 अप्रैल 2020 को आरंभिक शेष	**-**	**10.03**	**10.03**
ऋणमुक्ति	-	2.15	2.15
हानि	-	-	-
समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2021 को अंतिम शेष राशि	**-**	**12.18**	**12.18**
ऋणमुक्ति	-	2.15	2.15
हानि	-	-	-
समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2022 पर अंतिम शेष राशि	**-**	**14.33**	**14.33**
कुल पुस्तक मूल्य			
31 मार्च 2022 को	**-**	**80.82**	**80.82**
31 मार्च 2021	**-**	**82.97**	**82.97**

1. पट्टा अधिकार :- कंपनी ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी) बनाने के लिए आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) के साथ एक समझौता किया है। भूमि रेलवे की है और कंपनी ने उसी पर भवनों का निर्माण किया है और एमएफसी के शुरू होने की तारीख से 45 वर्षों के पट्टे के अधिकार (वाणिज्यिक अधिकार) हैं।

2. पट्टे की अवधि में पट्टा अधिकारों का परिशोधन उस तारीख से किया गया है जब संबंधित परियोजना यथानुपात आधार पर वाणिज्यिक संचालन में आती है। वर्ष के दौरान परिशोधित राशि 2.15 करोड़ रुपये (वित वर्ष 2020-21 रुपये 2.15 करोड़) है।

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट

6 गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपतियां

6.1 ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2022 को**
स्टाफ ऋण1		
क. वसूलीयोग्य : रक्षित	-	-
ख. वसूलीयोग्य : अरक्षित	0.03	0.05
कुल	**0.03**	**0.05**

[1]उपरोक्त वर्णित ऋण और अग्रिम में कंपनी के अधिकारियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, फर्म जिसमें निदेशक एक भागीदार या निजी कंपनी है जिसमें निदेशक एक सदस्य है।

6.2 अन्य वित्तीय संपत्ति

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2022 को**
वसूलीयोग्य : रक्षित		
12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा	-	-
12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा (बैंक गारंटी)2	2.90	0.01
स्टाफ ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज	0.03	0.02
वसूलीयोग्य : रक्षित		
जमा		
- सांविधिक विभागों के साथ -	-	-
कुल	**2.93**	**0.03**

[2] 31 मार्च 2022 को 90 करोड़ (31 मार्च 2021 रुपये 0.01 करोड़) की स्थिति के अनुसार, सांविधिक अधिकारियों को गिरवी रखी गई सावधि जमा/म्यांमार सड़क परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय को जारी बीजी के लिए 100% मार्जिन के प्रति (सांविधिक प्राधिकारियों को गिरवी रखने के विरुद्ध एफडीआर)।

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

7 आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आयकर

इंड एएस 12-आयकर संबंधी प्रकटन

(क) 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक है :

(रूपए करोड में)

क्र. सं	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2020
1	**लाभ और हानि खंड**		
	वर्तमान आयकर:		
	वर्तमान आयकर शुल्क	3.62	4.21
	पिछले वर्ष के वर्तमान कर के संबंध में समायोजन	4.78	4.00
	आस्थगित कर :	-	-
	अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण से संबंधित	-0.35	0.15
	लाभ और हानि खंड में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	**8.05**	**8.36**
2	**अन्य वृहत आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आयकर:		
	परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर शुद्ध हानि/(लाभ)	-	-
	विदेशी परिचालन अंतरण पर शुद्ध हानि/(लाभ)		
	ओसीआई खंड में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	-	-

(ख) 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 हेतु भारतीय घरेलू कर दर के गुणांक में कर व्यय और लेखांकन लाभ का समायोजन :

(रूपए करोड में)

क्र. सं	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2020
1	आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	13.35	14.11
2	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कॉर्पोरेट कर की दर	0.29	0.29
3	लेखांकन लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	3.89	4.11
4	कर समायोजन का प्रभाव:	-	-
(i)	पिछले वर्षों के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	4.78	4.00
(ii)	पहले से गैर-मान्यता प्राप्त कर हानियों का उपयोग		
(iii)	दर अंतर का प्रभाव	-	-
(iv)	आय पर कर कर से छूट	-	-

(v)	कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती योग्य खर्च:	-	-
	अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर	-	-
	अन्य गैर कटौतर व्यय	-	-
(vi)	विभिन्न अन्य मदों का कर प्रभाव	-0.62	0.25
5	**लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय**	**8.05**	**8.36**
6	प्रभावी कर की दर		

(ग) तुलन पत्र और लाभ या हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर (परिसंपत्तियों) और देयताओं के घटक

(रूपए करोड में)

क्र. सं	**विवरण**	**तुलन पत्र**		**लाभ हानि विवरण**	
		31 मार्च 2022	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2020**
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	9.02	9.33	(0.31)	-
2	प्रावधानों	(0.56)	(0.33)	(0.23)	(0.02)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें			-	-
4	चालू वर्ष और पूर्व वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित व्यय कर प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य			-	-
5	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन			-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ / हानि			-	-
7	एमएफसी के एकमुश्त डाउनपेमेंट पर आस्थगित कर परिसंपत्तियां	(4.13)	(4.32)	0.19	0.17
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**4.33**	**4.68**	**(0.35)**	**0.15**

(घ) तुलन पत्र में प्रदर्शित निम्नानुसार :

(रूपए करोड में)

क्र. सं	**विवरण**	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2020**
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	(4.69)	(4.65)
2	विलम्बित कर देयता	9.02	9.33
	आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयताएं) (शुद्ध)	**4.33**	**4.68**

नोट: आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियों को ऑफसेट कर दिया गया है क्योंकि वे एक ही शासी कानूनों से संबंधित हैं।

(ड.)

आस्थगित कर (देयताओं)/परिसंपत्यिों का समायोजन:

31 मार्च 2022 को **(रूपए करोड में)**

क्र. सं	**विवरण**	**1 अप्रैल 2021 को निवल शेष**	**लाभ और हानि विवरण में स्वीकृति**	**ओसीआई में स्वीकृति**	**31 मार्च 2022 को निवल शेष**
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	9.33	-0.31	-	9.02
2	प्रावधानों	(0.33)	(0.23)	-	(0.56)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
4	चालू वर्ष और पूर्व वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित व्यय कर प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	-	-	-	-
5	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ / हानि	-	-	-	-
7	एमएफसी के एकमुश्त डाउनपेमेंट पर आस्थगित कर परिसंपत्तियां	(4.32)	0.19	-	(4.13)
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**4.68**	**-0.35**	**-**	**4.33**

31 मार्च 2021 को **(रूपए करोड में)**

क्र. सं	**विवरण**	**1 अप्रैल 2020 को निवल शेष**	**लाभ और हानि विवरण में स्वीकृति**	**ओसीआई में स्वीकृति**	**31 मार्च 2021 को निवल शेष**
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	9.33	-	-	9.33
2	प्रावधानों	(0.31)	(0.02)	-	(0.33)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
4	चालू वर्ष और पूर्व वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित व्यय कर प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	-	-	-	-
5	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ / हानि	-	-	-	-
7	एमएफसी के एकमुश्त डाउनपेमेंट पर आस्थगित कर परिसंपत्तियां	(4.49)	0.17	-	(4.32)
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**4.53**	**0.15**	**-**	**4.68**

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

8 चालू परिसंपत्तियां

दरसूचियां

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
कच्चा माल (लागत या एनआरवी पर मूल्य निर्धारण, जो कोई कम हो)		
सामग्री और भंडारण		
- उपलब्ध	4.32	3.04
- तीसरे पक्ष के पास	-	-
- पारगमन में	-	-
कुल	**4.32**	**3.04**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

9 वित्तीय परिसंपत्तियां

9.1 व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वसूली योग्य - अरक्षित		
व्यापार प्राप्त 1	90.68	82.29
कुल	**90.68**	**82.29**

1व्यापार प्राप्तियों के लिए ब्रेक-अप

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
रक्षित, वसूली योग्य	-	-
अरक्षित, वसूली योग्य		
(क) संबंधित पार्टी से - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड2	0.19	0.23
(बी) दूसरों से3	90.49	82.06
व्यापार प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-
व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-
	90.68	82.29
हानि भत्ता (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता)	-	-
अरक्षित, वसूली योग्य		
व्यापार प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-
व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-
	-	-
कुल व्यापार प्राप्त	**90.68**	**82.29**

[1]ऊपर बताए गए व्यापार प्राप्य में निदेशकों, कंपनी के अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, फर्म जिसमें निदेशक एक भागीदार या निजी कंपनी है जिसमें निदेशक एक सदस्य है, सिवाय नीचे बताए गए अनुसार:

[2]संदर्भ नोट सं. 33(घ)

[3] अन्य व्यापार प्राप्य में 1.99 करोड़ रुपये की प्राप्य राशि शामिल है, जो विवादित हैं।.

व्यापार प्राप्य अवधि अनुसूची -

विवरण	**बिना बिल**	**अदेय**	**भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया**					**कुल**
			6 महीने से कम	**6 महीने से 1 वर्ष**	**1-2वर्ष**	**2-3वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - वसूलीयोग्य			21.65	8.08	18.04	19.69	21.23	**88.69**
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई								-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि							-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूली योग्य							1.99	**1.99**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई								-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि								-
कुल			**21.65**	**8.08**	**18.04**	**19.69**	**23.22**	**90.68**

विवरण	**बिना बिल**	**अदेय**	**भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया**					**कुल**
			6 महीने से कम	**6 महीने से 1 वर्ष**	**1-2वर्ष**	**2-3वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - वसूलीयोग्य			28.78	3.67	16.26	15.91	15.68	**80.30**
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई								-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि								-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूली योग्य							1.99	**1.99**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई								-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि								-
कुल			**28.78**	**3.67**	**16.26**	**15.91**	**17.67**	**82.29**

वित्तीय परिसंपत्तियां जारी........

9.2 रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
उपलबध रोकड़	0.04	0.03
पारगमन में प्रेषण	-	-
हाथ में चेक/ड्राफ्ट	-	-
बैंकों के साथ शेष राशि:	-	-
चालू खातों में	2.50	0.35
फ्लेक्सी खाते में	36.80	57.99
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियां	-	-
कुल	**39.34**	**58.37**

39.34 करोड़ रुपये में से 32.57 करोड़ 31 मार्च 2022 (31 मार्च 2021) को ग्राहक से प्राप्त धन है। 58.37 करोड़ रुपये में से, 30.07 करोड़ रुपये ग्राहक से प्राप्त धन है, जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है।

9.3 अन्य बैंक शेष

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
अन्य बैंक शेष		
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियां 1	95.21	74.80
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियां (बैंक गारंटी) 2	-	2.79
कुल	**95.21**	**77.59**

1 95.21 करोड़ रु. में से 31 मार्च 2022 को 56.21 करोड़ रुपये क्लाइंट फंड हैं (31 मार्च 2021 को 74.20 करोड़ रुपये में से, 42.80 करोड़ रुपये क्लाइंट फंड हैं) जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है।

[2] 31 मार्च 2022 को शून्य रु. (31 मार्च 2021 रु. 2.79 करोड़ म्यांमार सड़क परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय को जारी बैंक गारंटी के एवज में रखी गई सावधि जमा राशि को दर्शाता है)।

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

वित्तीय परिसंपत्तियां जारी ....

9.4 ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
<u>वसूलीयोग्य : अरक्षित</u>		
रक्षित जमा राशि		
<u>कर्मचारी ऋण*</u>		
क. वसूली योग्य : रक्षित	-	-
ख. वसूली योग्य :अरक्षित	0.02	0.03
कुल	**0.02**	**0.03**

*उपरोक्त ऋण और अग्रिम में कंपनी, फर्म जिसमें निदेशक भागीदार हैं या निजी कंपनी, जिसमें निदेशक सदस्य है, के अधिकारियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं ।

9.5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
क) वसूलीयोग्य - रक्षित		
12 महीने से कम की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा	-	-
12 महीने से कम की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा (बैंक गारंटी)2	0.27	0.26
ख) वसूली योग्य : अरक्षित		
प्रतिभूति जमा	0.03	0.03
जमा		
- सांविधिक विभागों के साथ -	0.02	0.05
	-	-
बैंक के साथ एफडीआर पर अर्जित ब्याज	2.58	3.63
बयाना राशि	0.20	0.09
दूसरों से वसूली योग्य राशि	0.17	0.24
<u>ग) अनुबंध संपत्ति</u>		
- बिल योग्य राजस्व	1.49	2.20
- ग्राहक के साथ प्रतिधारण राशि	1.10	0.57
- ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि	0.20	0.02
कुल	**6.06**	**7.09**

[2]. 31 मार्च 2022 तक, 0.27 करोड़ रूपए (31 मार्च 2021 को 0.26 करोड़ रुपये) हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को जारी बैंक गारंटी के खिलाफ रखी गई सावधि जमा का प्रतिनिधित्व करता है।

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

10 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आयकर का प्रावधान (अग्रिम कर और टीडीएस का शुद्ध)	0.97	-
पिछले वर्षो के लिए आयकर वापसी योग्य / (कर देयता)	-	-
कुल	**0.97**	**-**

11 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
<u>वसूली योग्य : अरक्षित</u>		
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
ठेकेदार को अग्रिम	6.94	4.62
ठेकेदार को अग्रिम पर अर्जित ब्याज	0.41	0.17
अन्य		
पूर्व प्रदत्त व्यय	0.02	0.04
कर्मचारियों को अग्रदाय	0.01	0.01
जीएसटी इनपुट टैक्स निवल	16.60	16.25
कुल	**23.98**	**21.09**

12 बिक्री के लिए धारित संपत्ति

विवरण	**-**	**-**
निपटान के लिए धारित परिसंपत्तियां 1	1.12	-
	1.12	**-**

1 संदर्भ नोट 36

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

13 इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
प्रत्येक 10 रुपये के 6,50,00,000 पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर		
(31.03.2021 को 6,50,00,000 रुपये के इक्विटी शेयर 10 रुपये	65.00	65.00
जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक 10 रुपये के 6,50,00,000 पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर		
(31.03.2021 को 6,50,00,000 रुपये के इक्विटी शेयर 10 रुपये	65.00	65.00
	65.00	65.00

कंपनी में 5% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

(संख्या में)

शेयरधारकों के नाम	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड- होल्डिंग कंपनी (इरकॉन) और सात नामिति	650,00,000.00	**100.00**	650,00,000.00	**100.00**
कुल	**650,00,000.00**	**100.00**	**650,00,000.00**	**100.00**

बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या, नकद के अतिरिक्त अन्य जारी किए गए शेयर और रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच साल की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
	संख्या में	संख्या में	संख्या में	संख्या में	संख्या में ....
नकद के अतिरिक्त अन्य आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
बोनस रूप में जारी क्विटी शेयर	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का समाधान

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में
वर्ष की शुरुआत में जारी/अंशदान और चुकता इक्विटी पूंजी बकाया	650,00,000.00	65.00	650,00,000.00	65.00
जमा: पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष की शुरुआत में पुनः शेष राशि	650,00,000.00	65.00	650,00,000.00	65.00
जमा : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/सदस्यता और चुकता इक्विटी पूंजी बकाया	**650,00,000.00**	**65.00**	**650,00,000.00**	**65.00**

नोट:

इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें/अधिकारी :

(i) वोटिंग

कंपनी के पास केवल 10 रुपये प्रति शेयर के बराबर मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का एक वर्ग है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ii) परिसमापन

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

प्रमोटर शेयरधारकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	अवधि / वर्ष के अंत में प्रमोटर द्वारा धारित शेयर				वर्ष/अवधि के दौरान परिवर्तन प्रतिषत
	क्र.सं	प्रमोटर का नाम •	शेयरो की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिषत	
31 मार्च 2022 को	1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड- होल्डिंग कंपनी (इरकॉन) और सात नामिति	650,00,000	100.00%	-
					-

विवरण	अवधि / वर्ष के अंत में प्रमोटर द्वारा धारित शेयर				वर्ष/अवधि के दौरान परिवर्तन प्रतिषत
	क्र.सं	प्रमोटर का नाम •	शेयरो की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिषत	
31 मार्च 2021 को	1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड- होल्डिंग कंपनी (इरकॉन) और सात नामिति	650,00,000	100.00%	-
					-

14 अन्य इक्विटी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2022 को**
प्रतिधारित आमदनी	11.05	5.75
सामान्य आरक्षित निधि	88.89	88.89
शेयर आवेदन राशि, आवंटन हेतु लंबित		
कुल	**99.94**	**94.64**

14.1 प्रतिधारण आमदनी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2022 को**
प्रारंभिक जमा	5.75	-
जमा : लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित लाभ	5.30	5.75
जमा: परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप से उत्पन्न होने वाली		
अन्य व्यापक आय	-	-
घटा: सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	-	-
समापन शेष	11.05	5.75

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

14.2 आरक्षित निधि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2022 को**
प्रारंभिक जमा	88.89	88.89
जमा: लाभ और हानि विवरण से स्थानांतरित	-	-
समापन शेष	**88.89**	**88.89**

आरक्षित निधि की प्रकृति और प्रयोजन

(क) प्रतिधारण आमदनियां

प्रतिधारित आय कंपनी के अविभाजित लाभ का प्रतिनिधित्व करती

(ख) आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि, वैधानिक भंडार को दर्शाती है, यह कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है, जिसमें लाभ का एक हिस्सा आरक्षित निधि में विभाजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, किसी भी राशि को

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

15 गैर चालू देयताएं

15.1 अन्य वित्तीय देयता

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
वसूली योग्य - अररक्षित माना गया		
प्रतिधारण धन	16.62	21.13
कुल	**16.62**	**21.13**

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

गैर चालू परिसंपत्तियां, जारी.......

16 प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मर्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान:		
i) उपदान 1	0.05	0.04
ii) वेतन अवकाश	0.11	0.20
		-
प्रावधान - अन्य		
व्यय के लिए प्रावधान	-	-
कुल	**0.16**	**0.24**

1 नोट 33(i) देखें

17 अन्य गैर-चालू देयता

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मर्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
एमएफसी के उप-पट्टा से अग्रिम राशि	31.17	31.46
कुल	**31.17**	**31.46**

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

चालू देयताएं

18 वित्तीय देयताएं

18 व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च	31 मार्च
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 1	1.89	8.67
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अतिरिक्त		
(क) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	12.11	11.07
(ख) संबंधित पार्टियां 2	-	-
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	1.53	1.52
कुल	**15.53**	**21.26**

[1]संदर्भ नोट 40 और [2] संदर्भ नोट 35(घ)

व्यापार देय अवधि अनुसूची

(रूपए करोड में)

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2022 को				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2वर्ष	2-3वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि			1.89				**1.89**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि			11.88	1.53	0.01	0.22	**13.64**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि							
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि							
कुल			**13.77**	**1.53**	**0.01**	**0.22**	**15.53**

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2022 को				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2वर्ष	2-3वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि			8.67	-	-	-	**8.67**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि			12.36	0.01	-	**0.22**	**12.59**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि							**-**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि							
कुल			**21.03**	**0.01**	**-**	**0.22**	**21.26**

18.2 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अन्य देनदारियां		
कर्मचारी देय	0.46	0.57
जमा, प्रतिधारण धन	11.39	3.29
अन्य	-	-
अन्य व्यय-प्रावधान	2.30	1.37
	-	-
अन्य देय- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	-	-
ऋण पर देय ब्याज	-	-
कर्मचारियों के पारिश्रमिक, अन्य व्यय आदि की प्रतिपूर्ति के लिए	3.06	2.01
किराए के भुगतान की ओर	-	0.05
कुल	**17.21**	**7.29**

19 अन्य वर्तमान देनदारियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अन्य		
वैधानिक बकाया:	2.18	1.91
एमएफसी के उप-पट्टे से अग्रिम राशि	1.39	1.43
संविदागत देयता:		
ग्राहकों से अग्रिम	103.47	85.59
कुल	**107.04**	**88.93**

20 प्रावधानों

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान:		
मैं) उपदान	-	-
ii) वेतन अवकाश	-	-
iii) पीआरपी	0.06	0.12
कुल	**0.06**	**0.12**

21 वर्तमान कर देयता

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आयकर का प्रावधान (अग्रिम कर और टीडीएस का शुद्ध)	-	1.82
पिछले वर्ष की कर देयता	4.47	3.41
कुल	**4.47**	**5.23**

22 संचालन से राजस्व

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व		
(क) परियोजना प्रबंधन परामर्श		
पीएमसी परियोजनाओं से	141.92	167.76
अन्य	0.07	-
सम्बंधित दल		
उप- कुल	141.99	167.76
(ख) एमएफसी के उप पट्टे से पट्टा किराया		
1 अन्य	14.34	11.08
सम्बंधित पक्ष		
उप- कुल	14.34	11.08
(ग) ट्रैक का रखरखाव		
अन्य	11.91	12.34
सम्बंधित पक्ष	-	-
उप- कुल	11.91	12.34
(घ) अन्य परिचालन राजस्व		
सेवाओं की बिक्री		
जनशक्ति की आपूर्ति		
अन्य	-	-
सम्बंधित पक्ष	0.77	0.88
उप- कुल	0.77	0.88
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना		
अन्य	-	-
सम्बंधित पक्ष	1.84	2.33
उप- कुल	1.84	2.33
कुल	**170.84**	**194.39**

1 देखें नोट 39 और 45

23 अन्य आय

(रूपए करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंक ब्याज सकल	4.07		8.93	
घटाएं: ग्राहकों को दिया गया बैंक ब्याज	-1.56	2.51	-5.66	3.27
अन्य अग्रिमों/दावों पर ब्याज	0.43		0.41	
घटा: ग्राहकों को दिया गया ब्याज	-0.43	-	-0.41	-
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज		0.01		-
प्राप्य और अग्रिम पर ब्याज		4.18		1.72
आयकर की वापसी पर ब्याज		-		-
संपत्ति की बिक्री पर लाभ				
विनिमय उतार-चढ़ाव लाभ (शुद्ध)		0.20		-
अन्य गैर-परिचालन आय		-		-
दूसरों से		0.15		0.16
संबंधित पक्षों से (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)		-		-
कुल		**7.05**		**5.15**

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

24 प्रयुक्त सामग्री और भंडारण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
प्रारंभिक जमा	3.03		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रापण	1.06		4.44	
	4.09		4.44	
घटा: समापन शेष	-4.05	0.04	-3.03	1.41
कुल		0.04		1.41

25 परिचालन व्यय-

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु
संचालन की लागत	146.32	166.66
कुल	**146.32**	**166.66**

i) परिचालन लागत का ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु
कार्य व्यय-परामर्श कार्य	0.46	-
[1]कार्य व्यय-एमएफसी को पट्टे पर देना	5.74	2.80
कार्य व्यय-सीईआरएल ट्रैक रखरखाव	4.11	6.44
कार्य व्यय-जनशक्ति की आपूर्ति	0.53	0.60
कार्य व्यय-ट्रैक मशीन	0.42	0.06
अन्य परियोजनाओं के लिए कार्य व्यय	135.06	156.76
कुल	**146.32**	**166.66**

[1]संदर्भ नोट 45

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

26 कर्मचारी लाभ व्यय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु**	**31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु**
वेतन & मजदूरी	10.47	10.70
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	0.88	0.87
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
कुल	**11.35**	**11.57**

27 वित्तीय लागत

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु**	**31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु**
ब्याज व्यय		
संबंधित पार्टी से ऋण पर ब्याज	-	-
(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)		
आयकर पर ब्याज1	-	-
बैंक और अन्य वित्तीय शुल्क	0.03	0.03
कुल	**0.04**	**0.03**

[1] 0.0002 करोड़ रुपये का आंकड़ा शामिल है (31 मार्च 2021 को 0 करोड़ रुपये)

28 मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु**	**31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु**
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	0.59	0.77
अमूर्त संपत्ति	2.15	2.15
संपत्ति की अनुपस्थिति	0.75	
कुल	**3.49**	**2.92**

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (CIN - U45400DL2009GOI194792)
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

29 अन्य व्यय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु**	**31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु**
दरें और कर	-	0.02
यात्रा और परिवहन	0.31	0.16
छपाई और स्टेशनरी	0.08	0.05
डाक, टेलीफोन और टेलेक्स	0.03	0.04
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	0.39	0.50
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि 1	-	-
व्यवसाय संवर्धन	0.02	0.02
किराया	0.97	0.47
वाहन संचालन और रखरखाव	0.44	0.40
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (विवरण के लिए अंक (i) देखें)	0.03	0.02
विज्ञापन और प्रचार	0.03	0.07
ऊर्जा, बिजली और पानी के शुल्क	0.17	0.03
विविध व्यय	0.30	0.43
सांविधिक देय राशि के देर से भुगतान पर ब्याज	0.01	0.12
शुल्क और सदस्यता शुल्क	0.05	0.03
मरम्मत एवं रखरखाव	0.31	0.02
सीएसआर 2	0.16	0.33
विनिमय उतार-चढ़ाव हानि	-	0.13
कुल	**3.30**	**2.84**

[1] चालू वर्ष के लिए अचल संपत्ति की बिक्री पर हानि रु.0.004 करोड़/- है (पिछले वर्ष रु. शून्य)

[2] संदर्भ नोट 42

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भगतान :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु**	**31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु**
विवरण	0.02	0.01
(I) लेखा परीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	-	-
(ii) कर लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष 2	0.01	-
(iii) सीमित समीक्षा शुल्क 2	-	-
(iv) यात्रा और जेब खर्च: 2	-	-
कुल	**0.03**	**0.01**

[2] इसमें कर लेखापरीक्षा शुल्क, सीमित समीक्षा शुल्क और यात्रा और आउट ऑफ पॉकेट व्यय के संबंध में क्रमशः 0.003 करोड़ रुपये, 0.008 करोड़ और 0.002 करोड़ रुपये के व्यय शामिल हैं।

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

30 अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

परिवर्तन का पृथक्करण नीचे दिखाया गया है

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु**	**31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप [1]	-	-
परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप का कर घटक	-	-
कुल	**-**	**-**

[1] चालू वर्ष के लिए परिभाषित लाभ योजना रु. 0.0027 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.0006) और उस पर कर घटक क्रमशः रु. 0.0007 करोड़ (रु., 0.0002 करोड़) है।

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (CIN - U45400DL2009G0I194792)
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

नोट 31. प्रति शेयर आय

इड एएस-33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण।

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ को विभाजित करके मूल ईपीएस की गणना की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना इक्विटी धारकों हेतु वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है, जो वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जमा सभी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या व इक्विटी शेयरों में संभावित द्वारा प्रभावित होते हैं।

(i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय (रुपए में)

(i) मूल और विलयित आय प्रति शेयर (रु. में)			
विवरण	**नोट**	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**
इक्विटी धारकों के प्रति लाभ (रु.करोड़ में)	(Ii)	5.30	5.75
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	(Iii)	65,000,000	65,000,000
प्रति शेयर आय (मूल)		0.82	0.88
प्रति शेयर आय (विलयित)		0.82	0.88
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)			

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (अंश के रूप में प्रयुक्त) (रुपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	5.30	5.75
ईपीएस की गणना के लिए उपयोग किए गए कंपनी के इक्विटी धारकों हेतु लाभ	5.30	5.75

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)

(करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	6,50,00,000.00	6,50,00,000.00
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर		
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**6,50,00,000.00**	**6,50,00,000.00**
विलयित प्रभाव:		
जमा: वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	-	-
विलयित ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	**6,50,00,000.00**	**6,50,00,000.00**

नोट 32 इंड एएस-8 द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां"

(क) वर्ष के दौरान कंपनी ने "लाभांश" से संबंधित लेखा नीति में परिवर्तन किया है। कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और संशोधित लेखा नीति नीचे दी गई है और बोल्ड किए गए भागों में संशोधनों पर प्रकाश डाला गया है।

लेखांकन नीति में प्रस्तावित संशोधन
लाभांश कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दी जाती है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है। लाभांश देय और लाभांश वितरण पर संबंधित कर, यदि कोई हो, को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।"

नोट 33. कर्मचारी लाभ

इंड एएस-19 "कर्मचारी लाभ" के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है:

उपदान

उपदान उन पात्र कर्मचारियों को प्रत्येक पूरे किए गए सेवा वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दस से संगठन से अलग होन (यथा अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र शारीरिक अक्षमता या मृत्यु) पर देय होती है, जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी की है।।

इंड एएस-19 बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए उपदान क संबंध में दिनांक 31 मार्च 2022 को 0.05 करोड़ रूपए (31 मार्च 2021 के लिए 0.04 करोड़ रूपए) का प्रावधान है।

i) वर्ष के दौरान निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अवधि की आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व	0.04	0.03
अधिग्रहित समायोजन	-	-
ब्याज लागत	0.00	0.00
सेवा लागत	0.01	0.01
आवर्धित लाभ/हानियों सहित पूर्व सेवा लागत		
प्रदत्त लाभ	-	-
दायित्वों पर कुल बीमांकक (लाभ) / हानि	(0.00)	0.01
अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	0.05	0.04

ii) योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		

नियोक्ता अंशदान	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	**-**

iii) तुलन पत्र तथा संबंधित विश्लेषण :

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.05	0.04
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		-
तुलन पत्र मे अवित्तपोषित देयता/प्रावधान	(0.05)	(0.04)

iv) आय विवरण में स्वीकृत राशि

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल सेवा लागत	0.01	0.01
निवल ब्याज लागत	0.00	0.00
आय विवरण में स्वीकृत राशि	0.01	0.01

v) अन्य वृहत आय:

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
निवल संचित अस्वीकृत बीमांकक लाभ/(हानि) आरंभिक		
पीबीओ पर वर्ष हेतु बीमांकक लाभ/(हानि)	0.00	(0.01)
परिसंपत्ति पर वर्ष हेतु बीमांकक लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष हेतु अस्वीकृत बीमांकक लाभ/(हानि)	0.00	(0.01)

vi) योजना परिसंपत्त्यिों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत में) : नीचे तालिका में दिए गए आंकड़े कंपनी द्‌वारा उपलब्ध कराए गए हैं :

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-
राज्य सरकारकी प्रतिभूतियां	-	-
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	-	-
सूचीबद्‌ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	-	-
संपत्ति	-	-
बीमाकर्ता द्‌वारा प्रबंधित फंड	-	-
बैंक राशि	-	-
कुल	-	-

vii) (क) आर्थिक अनुमान :

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
रियायती दर	7.22	6.76
भविष्य की वेतन वृद्‌धि	8.00	8.00

vii) (ख) जनसांख्यिकीय अनुमान :

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
(ii) निशक्तता हेतु प्रावधान सहित मृत्यु दर **	आहरण दर (%)	आहरण दर (%)

(iii) आयु संघर्षण	3	3
30 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष तक	1	1

यह नोट किया जाए कि सेवानिवृत्ति से ऊपर की आयु वाले कर्मचारियों के मामले में, मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, यह माना गया है कि वे तत्काल सेवानिवृत्त हो जाएंगे और लाभ का आकलन वास्तविक सेवानिवृत्ति आयु तक किया जाएगा।

viii) निर्धारित लाभ दायित्वों का संवेदी विश्लेषण:

दिनांक 31.03.2022 को बीओडी पर ग्रेच्युटी योजना का प्रभाव	
(क) रियायत दर में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.05
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.00)
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	0.01
(ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.05
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	0.00
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(0.00)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया गया है। भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

ix) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान :

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सेवा लागत	0.01	0.01
निवल ब्याज लागत	0.00	0.00
अगले वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित व्यय	0.01	0.01

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए निर्धारित लाभ योजना का संभावित अंशदान 1.19 लाख रूपए है।

x) निर्धारित लाभ दायित्व की परिपक्वता :

वर्ष	राशि
0 से 1 वर्ष	0.00
1 से 2 वर्ष	0.00
2 से 3 वर्ष	0.00
3 से 4 वर्ष	0.00
4 से 5 वर्ष	0.00
5 से 6 वर्ष	0.00
6 वर्ष से आगे	0.05
	0.05

जोखिम संभावनाओं का विवरण

मूल्यांकन, कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी को निम्नानुसार विभिन्न जोखिमों का खतरा रहता है

वेतन वृद्धि

वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ेगी। भविष्य के मूल्यांकन में वेतन वृद्धि दर धारणा में वृद्धि से दायित्व भी बढ़ेगा।

निवेश जोखिम

यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है, तो संपत्ति देनदारियां मेल नहीं खाती हैं और अंतिम मूल्यांकन तिथि पर अनुमानित छूट दर से कम संपत्ति पर वास्तविक निवेश रिटर्न देयता को प्रभावित कर सकता है।

रियायत दर

आगामी मूल्यांकनों में रियायत दर में कमी से योजना से देनदारी बढ़ सकती है।

मृत्यु दर और निशक्तता

वास्तविक मृत्यु और निशक्तता के मामले, जो मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक सिद्ध होते हैं, देनदारियों को प्रभावित कर सकते हैं।

आहरण

अनुमानित से अधिक या कम सिद्ध होने वाली वास्तविक निकासी और आगामी मूल्यांकनों पर निकासी दरों में परिवर्तन, योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

(ii) अर्जित अवकाश

छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) के नियमों का अनुसरण किया गया है, इसलिए, कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के प्रावधान को प्रोद्भवन आधार पर बहियों में लेखांकित किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2022 के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन इंड एएस-19 के अनुसार कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण 0.06 करोड़ रूपए (31 मार्च 2021 में 0.04 करोड़ रूपए) है।

कंपनी के पास विभिन्न परियोजनाओं के लिए अल्पावधि अनुबंध के आधार पर कुछ कर्मचारी भी हैं। नियुक्ति के अनुबंध के अनुसार, विदेशी परियोजना में तैनात संविदागत कर्मचारी केवल अवकाश वेतन के हकदार हैं और उन्हें कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है। तदनुसार, लेखा पुस्तकों में अवकाश वेतन के लिए 0.05 करोड रूपए (31 मार्च 2021 को 0.16 करोड रूपए) का प्रावधान किया गया है।

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड में कार्यरत कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात हैं और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) के पे-रोल पर हैं। धारक कंपनी से प्राप्त आदेश के आधार पर उनके पीएफ योगदान, उपदान, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन किया गया गया है। इंड-एएस-19 के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जा रहा है।"

i) वर्ष के दौरान निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अवधि की आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व	0.04	0.04
अधिग्रहित समायोजन	--	--
कुल सेवा लागत	0.01	0.01

निवल ब्याज लागत (आय)	0.00	0.00
पुन-मापन	0.01	(0.01)
निधि के लिए प्रदत्त अंशदान	--	--
उद्ययोग द्वारा प्रत्यक्ष प्रदत्त लाभ	--	--
अवधि के अंत में निवल निर्धारित लाभ दायित्व	0.06	0.04

ii) योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक प्रतिफल	-	-
नियोक्ता अंशदान	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

iii) तुलन पत्र तथा संबंधित विश्लेषण :

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.06	0.04
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		-
तुलन पत्र मे अवित्तपोषित देयता/प्रावधान	(0.06)	(0.04)

iv) आय विवरण में स्वीकृत राशि

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल सेवा लागत	0.01	0.01
निवल ब्याज लागत	0.00	0.00
अवधि के लिए स्वीकृत निवल बीमांकक (लाभ)/हानि	0.01	(0.01)

आय विवरण में स्वीकृत व्यय	0.02	0.00

v) योजना परिसंपत्त्यिों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत में) : नीचे तालिका में दिए गए आंकड़े कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं :

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	-	-
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	-	-
संपत्ति	-	-
विशेष जमा योजना		
बीमाकर्ता द्वक्षरा		
बैंक राशि	-	-
कुल	-	-

vi) (क) आर्थिक अनुमान :

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
रियायती दर	7.22	6.76
भविष्य की वेतन वृद्धि	8.00	8.00

vi) (ख) जनसांख्यिकीय अनुमान :

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) सेवानिवृत्ति आय (वर्ष)	आईएएलएम का	आईएएलएम का 100%

	100% (2012 - 14)	(2012-14)
(ii) निशक्तता हेतु प्रावधान सहित मृत्यु दर **	आहरण दर (%)	आहरण दर (%)
(iii) आयु संघर्षण	3	3
30 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष तक	1	1
(iv) अवकाश		
अवकार प्राप्ति दर	2.50%	2.50%
सेवा में अवकाश व्यपगत दर	शून्य	शून्य
निकासी पर अवकाश व्यपगत दर	शून्य	शून्य
सेवा में अवकाश नकदीकरण दर	शून्य	शून्य

यह नोट किया जाए कि सेवानिवृत्ति से ऊपर की आयु वाले कर्मचारियों के मामले में, मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, यह माना गया है कि वे तत्काल सेवानिवृत्त हो जाएंगे और लाभ का आकलन वास्तविक सेवानिवृत्ति आयु तक किया जाएगा।

vii) निर्धारित लाभ दायित्वों का संवेदी विश्लेषण:

(क) रियायत दर में परिवर्तन का प्रभाव	**(रूपए करोड़ में)**
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**0.06**
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.01)
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	0.01
(ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	**(रूपए करोड़ में)**
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**0.06**
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	0.01
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(0.01)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया गया है। भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

viii) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान :

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सेवा लागत	0.01	0.01
निवल ब्याज लागत	0.00	0.00
अगले वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित व्यय	0.01	0.01

x) निर्धारित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल : **(रूपए करोड़ में)**

वर्ष	राशि
0 से 1 वर्ष	0.00
1 से 2 वर्ष	0.00
2 से 3 वर्ष	0.00
3 से 4 वर्ष	0.00
4 से 5 वर्ष	0.00
5 से 6 वर्ष	0.00
6 वर्ष से आगे	0.00
	0.05

जोखिम संभावनाओं का विवरण

मूल्यांकन, कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी को निम्नानुसार विभिन्न जोखिमों का खतरा रहता है -

वेतन वृद्धि

वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ेगी। भविष्य के मूल्यांकन में वेतन वृद्धि दर धारणा में वृद्धि से दायित्व भी बढ़ेगा।

निवेश जोखिम

यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है, तो संपत्ति देनदारियां मेल नहीं खाती हैं और अंतिम मूल्यांकन तिथि पर अनुमानित छूट दर से कम संपत्ति पर वास्तविक निवेश रिटर्न देयता को प्रभावित कर सकता है।

रियायत दर

आगामी मूल्यांकनों में रियायत दर में कमी से योजना से देनदारी बढ़ सकती है।

मृत्यु दर और निशक्तता

वास्तविक मृत्यु और निशक्तता के मामले, जो मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक सिद्ध होते हैं, देनदारियों को प्रभावित कर सकते हैं।

आहरण

अनुमानित से अधिक या कम सिद्ध होने वाली वास्तविक निकासी और आगामी मूल्यांकनों पर निकासी दरों में परिवर्तन, योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

(iii) पेंशन

इरकॉन आईएसएल के नियमित कर्मचारियों को देय पेंशन के संबंध में, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) की नीति अपनाई गई है और तदनुसार, पेंशन की एनपीएस योजना में अंशदान किया जा रहा है और इसे नियमित आधार पर अनुमोदित मान्यता प्राप्त निधि में जमा किया जा रहा है।

नोट सं. 34 (क) लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत विदेशी विनिमय :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ या हानि	0.20	(0.13)
अन्य वृहत आय 1	0.00	0.00
कुल	**0.20**	**(0.13)**

(ख) विदेशी मुद्रा में आय (क्रमिक आधार पर):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्य प्राप्ति	0.51	0.57
बैंक का ब्याज	-	-
अन्य ब्याज	-	0.13
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (निवल)	1.74	2.58
अन्य	**2.25**	**3.28**
कुल	0.51	0.57

(ग) विदेशी मुद्रा में व्यय (आकस्मिक आधार पर): **(करोड़ रुपए में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनिक व्यय	0.51	0.57
परामर्श शुल्क	-	-
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव से हानि (निवल)	-	0.13
[1]प्रशासनिक और अन्य व्यय	1.74	2.58
कुल	**2.25**	**3.28**

1 प्रशासनिक व्यय में म्यांमार परियोजना संबंधी व्यय शामिल हैं, जो स्थानीय मुद्रा (क्यात) में किया गया है, हालांकि यह भुगतान ग्राहक अर्थात विदेश मंत्रालय (एमईए) से भारतीय मुद्रा में प्राप्त हुआ है

(घ) आयात का सीआईएफ मूल्य*:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
सामग्री / मशीनरी	-	-
उपभोग्य सामग्रियों, घटकों और पुर्जों	-	-
कुल	-	-

(ङ.) प्रयुक्त सामग्री और भंडारण :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**		**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
आयातित				
स्वदेशी				
कुल	-	-	-	-

नोट 35 : संबंधित पक्ष संव्यवहार

इंड एएस-24 "संबंधित पक्ष का प्रकटन" के अनुपालन में प्रकटन निम्नानुसार हैं:

क) संबंधित पक्षों की सूची

कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अधिकारक्षेत्र में है।

ख) संबंधित पक्षों के संबंध और नाम हैं:

संबंध की प्रकृति		**संबंधित पक्ष का नाम**
i. धारक कंपनी		इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
ii। प्रमुख प्रबंधन कर्मी:	निदेशक:	श्री मुकेश कुमार सिंह (अध्यक्ष) (01.04.2021 से 30.09.2021) और श्री योगेश कुमार मिश्रा (अध्यक्ष), दिनांक 01.10.2021 से
		श्री सुरजीत दत्ता (निदेशक) 31.03.2022 तक और श्री अभिजीत कुमार सिन्हा (निदेशक), दिनांक 01.04.2022 से
		श्री सुरिंदर कुमार सिंह (निदेशक)
		श्री पराग वर्मा (निदेशक)

	अन्य	श्री अजय पाल सिंह (सीईओ) श्रीमती पूजा चौरसिया (सीएफओ) सुश्री मनीषा गोले, कंपनी सचिव

ग) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को पारिश्रमिक निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
क)	अल्पकालिक लाभ	0.51	0.50
ख)	नियोजन पश्चात लाभ*	0.21	0.19
ख)	अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.00	0.00
	कुल	**0.72**	**0.69**

कंपनी के निदेशकों को धारक कंपनी द्वारा नियुक्त / नामित किया जाता है और कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक ऊपर दिखाया गया है।

घ) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	लेन-देन		बकाया राशि	
		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए पारिश्रमिक	**नोट सं.35 (ग) के अनुसार**		**0.01**	**0.00**
1.1	धारक कंपनी से वस्तुओं की खरीद				

	घारक कंपनी से प्राप्त सेवाओं और सामग्री की खरीद के प्रति देय राशि	**0.98**	2.81	**-1.53**	-1.57
1.2	धारक कंपनी से राजस्व आय	**2.61**	3.20	**0.19**	0.23
1.3	वेतन की प्रतिपूर्ति अर्थात कर्मचारियों के वेतन, पीएफ अंशदान, यात्रा, आदि के रूप में पारिश्रमिक	**3.33**	3.38	**-3.06**	-2.01

नोट 36 : संपत्तियों की हानि

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015 और कंपनी और कंपनी संशोधन नियम, 2016 के नियम-III के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-133 के तहत अधिसूचित इंडएएस-36 "संपत्ति की हानि" के संदर्भ में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और वहन लागत के आधार पर वसूली योग्य राशि की गणना करके व्यक्तिगत संपत्तियों की हानि पर आकलन किया है। तदनुसार 0.75 करोड़ रुपये (31 मार्च 2021 के लिए शून्य रुपये) की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

इंड एएस 105 के अनुसार प्रकटन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट [1]	31 मार्च 2022 को	
		सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी	(1)	1.12	1.12

[1] लेखा बहियों में पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में प्रदर्शित होने वाली कुछ परिसंपत्तियों को इंड-एएस **105** के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार "बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया है**,** जिसके लिए निपटान की अपेक्षित प्रक्रिया ई-नीलामी है और निपटान के लिए अपेक्षित समय वर्ष **2022** के अंत तक है।

नोट 37: प्रावधान, आकस्मिकताएं

(i) आकस्मिक देयता

इंड-एएस 37 'प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों' के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क) न्यायालय में लंबित कर्मचारियों से संबंधित मामलों के लिए आकस्मिक देयता 2.93 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2020-21 **हेतु** 2.38 करोड़ रूपए) हैं। उक्त देयता पर दावित ब्याज की राशि निर्धारण योग्य नहीं है।

नोट 38 राजस्व

ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व पर इंड एएस-115 के अंतर्गत प्रकटन*

(क) राजस्व का विघटन

प्रचालनिक सेगमेंट और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार में ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विघटन नीचे प्रस्तुत है:

(रूपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवाओं का प्रकार	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व को मापने की विधि		अन्य राजस्व	लाभ एवं हानि विवरण / सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
भवन	141.99	-	**141.99**	**141.99**		-	**141.99**
सड़क	-	-	-	-		-	-
अन्य	11.96	**0.70**	**12.66**	**12.66**		**16.18**	**28.84**
कुल	**153.95**	**0.70**	**154.65**	**154.65**	-	**16.18**	**170.84**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के तहत स्वीकृत कुल राजस्व में से, समयावधि में 154.65 करोड़ रुपये और समय बिंदु पर शून्य करोड रूपए को स्वीकार किया गया है (नोट 22 का संदर्भ लें)।

(रूपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवाओं का प्रकार	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व को मापने की विधि		अन्य राजस्व	लाभ एवं हानि विवरण / सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
भवन	166.29		**166.29**	**166.29**		**-**	**166.29**
सड़क	-	**1.46**	**1.46**	**1.46**		**-**	**1.46**
अन्य	12.41	**0.81**	**13.21**	**13.21**		**13.41**	**26.65**
कुल	**178.70**	**2.27**	**180.97**	**180.97**	**-**	**13.41**	**194.39**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के तहत स्वीकृत कुल राजस्व में से, समयावधि में 180.97 करोड़ रुपये और समय बिंदु पर शून्य करोड रूपए को स्वीकार किया गया है (नोट 22 का संदर्भ लें)।

(ख) **कंपनी ने इंड एएस 115 ''ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व'' के अनुप्रयोग के लिए आशोधित पूर्वव्यापी परिदृश्य का प्रयोग किया है और दिनांक 01 अप्रैल 2021 को प्रतिधारित आमदनी शून्य है।**

(ग) **संविदा शेष:**

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
व्यापार प्राप्य (नोट 9.1)	90.68	82.29
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 9.5 ग)	2.79	2.79
संविदा देयताएं (नोट 19)	103.47	85.59

(i) व्यापार प्राप्य पर ब्याज निर्धारित नहीं किया जाता है और ग्राहकों के प्रोफाइल में शामिल हैं रेल मंत्रालपय, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, भारत तथा विदेश में राज्य

स्वामित्व वाली कंपनियां। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 15 से 24 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में शामिल हैं मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि के लिए मासिक प्रगति भुगतान।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है, ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार के प्रतिनिधित्व के लिए सेवाओं का निष्पादन किया गया है। इसमें निर्माण संविदाओं के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष राशियां शामि हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, तथापि, राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। पूर्व में संविदा परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी राशि को संलग्न शर्तों को पूरा किए जाने पर व्यापार प्राप्यों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है यथा बिलिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भावी सेवा।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों में संचलन

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां	2.79	2.04
वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्तियां	2.79	2.79
निवल वद्धि/कमी	**(0.00)**	**0.76**

वर्ष 2021–22 के लिए, संविदागत परिसंपत्तियों में 0.00 करोड रूपए (वित्तीय वर्ष 2020–21 को 0.76 करोड रूपए) का संचलन हुआ है।

(iii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष राशियां है, और ये उस समय उत्पन्न होती हैं जब इनपुट विधि के अंतर्गत विशिष्ट माइलस्टोन भुगतान निर्धारित तिथि को स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है और दीर्घकालीन संविदा परियोजनाआं में अग्रिम प्राप्त होता है। अग्रिम रूप में प्राप्त राशि, ग्राहकों द्वारा इनवाइस तैयार किए जाने पर निर्माण अवधि में समायोजित कर दी जाती है।

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं	85.59	95.62
वर्ष के अंत में संविदा देयताएं	103.47	85.59
निवल वद्धि/कमी	**17.88**	**(10.03)**

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 और 2020–21 में 17.88 करोड रूपए की निवल वृद्वि और (10.03 करोड रूपए) की निवल कमी हुई है, जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान किए गए कार्यों के प्रति ग्राहक से प्राप्त अग्रिम भुगतान के समायोजन के कारण हैं।

(ड.) स्वीकृत राजस्व की राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वर्ष के आरंभ में संविदागत दायित्वों में शामिल राशि	85.59	95.62
पिछले वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्व	64.60	76.87

च) संविदा को प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च, 2022 को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य रूपए (31 मार्च, 2021 को शून्य रूपए) है।

वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में परिशोधन की राशि शून्य रूपए (वित्तीय वर्ष 2020-21 में शून्य रूपए) है।

छ) निष्पादन दायित्व

कंपनी के कार्यनिष्पादन दायित्वों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

31 मार्च को शेष प्रनिष्पादन दायित्व (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित लेनदेन मूल्य निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड में)

	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
एक वर्ष या कम में	**150**	**110**
एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक	**300**	**375**
दो वर्ष से अधिक		
कुल	**450.00**	**485.00**

नोट 39 पट्टे

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टे अनुबंधों में प्रवेश किया है, जिसमें कार्यालय स्थल, गेस्ट हाउस और वाहनों के पट्टे शामिल हैं। इंड एएस-116 को स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टों (पट्टेदार के रूप में) को आरंभ तारीख को वित्तीय पट्टे या प्रचालनिक पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था।

कंपनी के पास 12 महीने या उससे कम अवधि के पट्टे के साथ कार्यालयों और गेस्ट हाउस के पट्टे भी प्राप्त किए हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पकालिक पट्टा' स्वीकृति छूट प्राप्त करती है।

परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार

वर्ष के दौरान स्वीकृत अैर संचलित परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार की वहन राशि शून्य है।

पट्टा देयता

वर्ष के दौरान स्वीकृत अैर संचलित पट्टा देयताओं की वहन राशि शून्य है।

अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (संदर्भ नोट 29) 0.97 करोड रूपए है (वित्तीय वर्ष 2020-21 में 0.47 करोड रूपए)।

ख) ऋणदाता के रूप में कंपनी

बहु-उद्देशीय परिसरों के लिए प्रचालनिक पट्टे:

"कंपनी ने विभिन्न उप-पट्टेदारों को उप-पट्टे पर 23 (तेईस) एमएफसी सौंपे हैं, जिनमें से रामपुरथाट, तिरुवल्ला और रागीर में 3 एमएफसी के उप-पट्टा समझौते को समाप्त कर दिया गया है और इन 3 एमएफसी की सभी पट्टा संपत्तियां को वर्ष 2019-2020 में आरएलडीए में वापस लौटा दिया गया है।

आज की तारीख में 20 परिचालनिक एमएफसी, परिचालन पट्टे के अंतर्गत कार्यरत हैं। उप-पट्टा समझौते के अनुसार एमएफसी को एलओए जारी होने के 6 महीने के भीतर चालू करने की योजना थी, हालांकि, विभिन्न अपरिहार्य कारणों जैसे कि अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्राप्त करने में देरी के कारण कई एमएफसी के परिचालनीकरण में व्यापक विलिंब हुआ है।

प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर प्रबंधन द्वारा रियायतग्राहियों के अभ्यावेदन की समीक्षा की गई है और एक अतिरिक्त किराया-मुक्त अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, बशर्ते कि पुराने बकाया का चरणबद्ध तरीके से निपटान किया जाए। विवादित अवधि के लिए इंड एएस के तहत लेखांकन, दोनों पक्षों द्वारा कार्यविधि को अंतिम रूप दिए जाने और इसे स्वीकार किए जाने पर तथा अनूपूरक करार पर हस्ताक्षर किए जाने पर किया जाएगा।

ii. गैर-रद्दीकरण पट्टे के अंतर्गत देय/प्राप्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ों में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से पांच वर्ष तक	पांच वर्ष से अधिक
प्राप्य	20.25 (18.22)	117.39 (112.72)	590.76 (597.47)
देय	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)

ख. वर्ष के लिए पट्टायुक्त एमएफसी के संबंध में मूल्यह्रास /परिशोधन का प्रकटीकरण :

(रूपए करोड में)

संपत्तियों का विवरण	2021-22	2020-21
सकल संपत्ति की राशि	**96.77**	96.77
संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	**15.95**	13.80
वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	**2.15**	2.15

उपर्युक्त एमएफसी के लिए , कंपनी को उप-पट्टाधारक से एकमुश्त भुगतान और मासिक किराये की प्राप्ति हुई/होगी। पट्टे के तहत कुल राजस्व **14.34 करोड़ रूपए** (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 11.08 करोड़ रूपए) स्वीकार किया गया है।

उप-पट्टेदार से प्राप्त/प्राप्य एकमुश्त डाउन पेमेंट को प्रो-राटा आधार पर पट्टा अवधि पर सीधी-रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में पहचाना जाता है"

नोट 40: सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित अनुसार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के संबंध में सूचना:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(1) प्रत्येक लेखांकन वर्ष को समाप्त वर्ष को किसी आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त मूल राशि व उसपर ब्याज	1.89	8.67
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि	1.89	8.67
उपर्युक्त पर ब्याज	शून्य	शून्य
(2) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की शर्तों के अनुसार रीजन द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि और निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
(3) किए गए भुगतान (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित तिथि के पश्चात) में विलंब की अवधि के लिए देय और प्रदत्त ब्याज की राशि किन्तु सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना।	शून्य	शून्य
(4) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में संचित तथा शेष अप्रदत्त ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
(5) आगामी वर्षों में भी देय एवं प्रदत्त ब्याज की शेष राशि, उस तिथि तक, जब कि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के खंड 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य व्यय के अस्वीकार्य के प्रयोजन हेतु लघु उपक्रम को वास्तव में इन देय राशियों का भुगतान किया गया हो।	शून्य	शून्य

कंपनी ने यह जानने के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं को पत्र भेजे हैं कि क्या वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत शामिल होते हैं या नहीं। कंपनी ने पाया कि केवल कुछ ही आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आते हैं और इसलिए, केवल उन्हीं पक्षों को एमएसएमई के अंतर्गत माना जाता है जीनि एमएसएमई प्रमाणपत्र/शपत प्राप्त होता है।

कंपनी को अपने किसी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वह लघु उद्यम इकाई है। इस सूचना के आधार पर, 31 मार्च 2022 को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए लधु आद्योगिक उपक्रम के प्रति देय राशि शून्य रूपए तथा 31 मार्च 2021 को (शून्य रूपए) है।

नोट 41. खंड रिपोर्टिंग

इंड एएस 108 प्रचालनिक सेगमेंट के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

प्रचालनिक सेगमेंट को मुख्य संचालन नीति निर्धारक को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप विधि द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। तदनुसार, कंपनी ने परियोजना परामर्श, जनशक्ति की आपूर्ति, एमएफसी की उप–पट्टा व्यवस्था और संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देने और अन्य परिचालन राजस्व के आधार पर पांच परिचालन रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

परियोजना के भौगोलिक स्थल के आधार पर दो प्रचालनिक सेगमेंट हैं घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय

(रुपए करोड में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2021-2022	2020-2021	**2021-2022**	2020-2021	**2021-2022**	2020-2021
सेकमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	**0.70**	2.27	**170.14**	192.12	**170.84**	194.39
जमाः एकीकृत संयुक्त प्रचालनों टर्नओवन में कंपनी का भाग	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल प्रचालन राजस्व	**0.70**	2.27	**170.14**	192.12	**170.84**	194.39
ब्याज आय		-	**6.70**	3.28	**6.70**	3.28
अन्य आय	**0.20**	-	**0.15**	1.87	**0.35**	1.87
अंतःसेगमेंट		-		-	**-**	-
कुल राजस्व	**0.90**	2.27	**176.99**	197.27	**177.89**	199.54
सेगमेंट परिणाम					**-**	
प्रावधान पूर्व लाभ, मूल्यह्रास, ब्याज और कर	-				**-**	
घटा :प्रावधान और पश्चलिखित	-				**-**	
घटाः मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	**(1.34)**	(0.89)	**20.69**	19.56	**19.35**	18.67
घटाः ब्याज		-	**2.47**	1.61	**2.47**	1.61

कर पूर्व लाभ	**0.01**	0.02	**3.48**	2.90	**3.49**	2.92
घटा: कर व्यय	**0.00**	0.00	**0.04**	0.03	**0.04**	0.03
कर पश्चात लाभ	**(1.35)**	(0.91)	**14.70**	15.02	**13.35**	14.11
घटा : अन्य वृहद आय	**(0.37)**	(0.26)	**8.42**	8.62	**8.05**	8.36
कर पश्चात लाभ	**(0.98)**	(0.65)	**6.28**	6.40	**5.30**	5.75

ग. अन्य सूचना

(रुपए करोड में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2021-2022	2020-2021	**2021-2022**	2020-2021	**2021-22**	2020-2021
कुल परिसंपत्तियां	**4.62**	4.45	**356.91**	335.53	**361.53**	339.98
कुल देयताएं	**0.37**	0.24	**196.22**	180.10	**196.59**	180.34
इक्विटी विधि द्वारा लेखांकित संयुक्त उपक्रमों में निवेश	**0.00**	0.00	**0.00**	-	**-**	-
वित्तीय प्रलेखों, आस्थगित कर परिसंपत्तियों, निवल निर्धारित लाभ परिसंपत्तियों के अतिरिक्त गैर चालू परिसंपत्तियां	**0.00**	0.00	**0.00**	-	**-**	-
वर्ष की समाप्ति पर पूंजीगत व्यय (पीपीपी, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश परिसंपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों, विकासाधीन और प्रयोग अधिकारी अमूर्त परिसंपत्त्यिों में संवर्धन)	**0.00**	0.01	**12.10**	0.85	**12.10**	0.86

परियोजना के भौगोलिक स्थल के आधार पर दो प्रचालनिक सेगमेंट हैं घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय

(रूपए करोड में)

विवरण	प्रचालन आय		सेगमैन्ट परिसम्पतियां		स्थिर परिसंपतियां जोड़कर	
	2021-2022	2020-2021	**2021-22**	2020-2021	**2021-22**	2020-2021
परामर्श परियोजनाएं	**141.99**	167.76	**165.63**	163.63	**0.08**	-
जनशक्ति की आपूर्ति	**14.34**	11.08	**153.49**	137.73		-
एमएफसी को उपपट्टे पर देना	**11.91**	12.34	**10.90**	6.53		0.08
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	**1.84**	2.33	**29.01**	29.37	**12.02**	0.58
रेलपथ अनुरक्षण	**0.77**	0.88	**0.34**	0.47		0.20
अन्य	**-**	-	**2.16**	2.25		-
कुल	**170.84**	194.39	**361.53**	339.98	**12.10**	0.86

नोट 42: कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (सीएसआर)

(रूपए करोड में)

		31 मार्च 2022 को		**31 मार्च 2021 को**
क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि		0.27		0.26
ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड दवारा अनुमोदित राशि[1]		0.27		0.33
ग) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:	**नकद में**	**कमी[2]**		**कुल**
i) किसी संपति का निर्माण/अधिग्रहण	0.01	0.11		0.12
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	0.14	0.02		0.15
ग) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:	**नकद में**	**कमी**		**कुल**
i) किसी संपति का निर्माण/अधिग्रहण	0.24	—	—	0.24
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	0.09	0.01	—	0.10
ई) खर्च/अव्ययित दायित्वों से संबंधित विवरण:		**31 मार्च 2022 को**		**31 मार्च 2021 को**
i) सार्वजनिक ट्रस्ट में योगदान				
ii) खर्च/अव्ययित दायित्वों से संबंधित विवरण:		0.15		
iii) के संबंध में अव्ययित राशि:				
चालू परियोजनाएं				
चालू परियोजनाओं से इतर		0.13		0.01

सीएसआर व्यय से संबंधित खातों की टिप्पणियों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे :

[1](i) वित्त वर्ष 2020-21 की स्वीकृत राशि में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 0.07 करोड़ रुपये की कम खर्च की गई राशि शामिल है

[2](ii) 0.27 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि की तुलना में 0.12 करोड़ रुपये की राशि वित्त वर्ष 2021-22 के समापन से पूर्व सीएसआर कार्य के लिए प्रतिबद्ध है, हालांकि कुछ कारणों से संगठन के नियंत्रण से परे के कार्यों को निर्धारित सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, उक्त अव्ययित राशि में से, 0.11 करोड़ रुपये की राशि पहले ही अग्रिम के रूप में भुगतान की जा चुकी है, लेकिन महामारी (चीन में तीसरी लहर) के वैश्विक प्रभाव के कारण आपूर्ति समय पर पूरी नहीं हो सकी जिसके कारण सीएसआर का समय पर पूरा होना प्रभावित हुआ है।

जहां तक 0.005 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि का संबंध है, उसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के विस्तार नियमों के अनुसार किया जाएगा।"

सीएसआर पर आईसीएआई दिशानिर्देश नोट के अनुसार

चालू परियोजनाओं और चालू परियोजनाओं से इतर की परियोजनाओं का ब्यौरा

अनुच्छेद 135 (6) के मामले में (चालू परियोजनाएं)						
आरंभिक शेष			वर्ष के दौरारन खर्च की गई राशि		समापन शेष	
कंपनी सहित	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में	वर्ष के दौरान व्यय हेतु अपेक्षित राशि	कंपनी के बैंक खाते से	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते से	कंपनी के साथ	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में
स्वयं	-	0.27	0.14	-	0.13	-

अनुच्छेद 135 (6) के मामले में (चालू परियोजनाएं से इतर)				
आरंभिक शेष	6 महीने के भीतर अनुसूचि VII मेंनिर्दिष्ट निधि में जमा राशि	वर्ष के दौरान व्यय हेतु अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरारन खर्च की गई राशि	समापन शेष
डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	-	0.11	-	0.11

नोट 43 क: उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय माध्यमों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (अनुचित)

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल किए गए उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट

क) दिनांक 31 मार्च, 2022 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं:

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल				
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	-	-	-	-
कर मुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	90.68	-	-	90.68
(iii) ऋण	0.05	-	-	0.05
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8.99		-	
कुल	**99.72**	**-**	**-**	**99.72**

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				
(i) कर्ज	-	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	33.83	-	-	33.83
कुल	**33.83**			

ख) दिनांक 31 मार्च 2022 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	-	-	-	-
कर मुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	82.29			82.29
(iii) ऋण	0.08			0.08
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7.12			7.12
कुल	**89.49**			**89.49**

(रूपए लाख में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				
(i) कर्ज	-	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	28.42	-	-	28.42
कुल	28.42			

"प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देयताएं और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां अल्पावधि के कारण बड़े पैमाने परइन माध्यमों के अल्पकालीन परिपक्वता के कारण किया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस सहमत पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में माध्यम के रूप में आदान-प्रदान किया जा सकता है।

उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलन पत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा कहा गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

* वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2020-21 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के उचित मूल्य माप के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में कर्ज, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन कर रही है और अमेरिकी डॉलर के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाली विदेशी मुद्रा जोखिम (क्योंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियों और भुगतान आमतौर पर मेल खाते हैं) की संभावना है। कंपनी की महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम स्वाभाविक रूप से सुरक्षित है।

ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है।

ख) ऋण जोखिम

कंपनी का ग्राहक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एनएचएआई है। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी किए जाने वाले कुछ अवधारण पैसे शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंक/निगमित गारंटी के साथ प्रतिधारण प्रतिस्थापित किया जाता है। कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की एक विस्तृत समीक्षा तंत्र है जो वसूली हेतु उचित ध्यान केंद्रित करता है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के प्रति कंपनी का खतरा मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है, जिसमें ग्राहक प्रचालन करता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31-03-2022	31-03-2021
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा राशि का मापन किया जाता है		-
गैर चालू निवेश	-	-
अन्य चालू निवेश	0.03	0.05
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	2.93	0.03
चालू निवेश	-	-

रोकड और रोकड समतुल्य	39.34	58.37
अन्य बैंक शेष	95.21	77.59
चालू ऋण	0.02	0.03
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	4.57	4.89
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा राशि का मापन		
व्यापार प्राप्त	90.68	82.29
संविदगत परिसंपत्तियां	1.49	2.20

सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटा प्रावधानों के मापन में परिवर्तन का सार

विवरण	31-03-2021	31-03-2020
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष के लिए प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खाता राशि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा स्वीकृत घाटा प्रावधान शून्य लाख रूपए (31 मार्च, 2021 : शून्य करोड़ रूपए)।

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा मापित घाटा प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	31-03-2022	31-03-2021
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/घाटा	-	-
समापन प्रावधान	-	-

रिपोर्टिंग अवधि को दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य लाख रूपए (31 मार्च 2021 : शून्य लाख रूपए) के घाटा प्रावधानों को स्वीकार किया है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों के बारे में विवरण प्रदान करती है

(रुपये में करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक			
	एक वर्ष से कम	**1-2 साल**	**2 साल और उससे अधिक**	**कुल**
उधारी	-	-	-	
व्यापार देनदारियां	13.77	1.53	0.23	15.53
अन्य वित्तीय देनदारियां	17.21	16.62		33.83

(रुपये में करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक			
	एक वर्ष से कम	**1-2 साल**	**2 साल और उससे अधिक**	**कुल**
उधारी				
व्यापार देनदारियां	21.03	0.01	0.22	21.26
अन्य वित्तीय देनदारियां	7.29	12.90	8.23	28.42

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

संकेन्द्रण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कई प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या उनमें आर्थिक विशेषताएं होती हैं जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से समान रूप से प्रभावित होने वाली संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। संकेन्द्रण, किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास के लिए कंपनी के कार्यनिष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम के अत्यधिक संकेन्द्रण से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के अनुरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों में चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार, नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्वों के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व		
हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एचवीएसयू)	64.11	78.23
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)	23.74	60.88
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएजे)	19.02	15.38
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	11.91	12.34
एमएफसी का उप-पट्टाकरण	14.34	11.08

नोट 44 अन्य प्रकटन

क) दिनांक 20.02.2015 की मद सं. 10/15 के तहत निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से पुराने ट्रैक मशीनों की खरीद और अवसंरचनात्मक क्षेत्र में कंपनी की क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए उन्हें प्रचालनिक बनान हेतु अपनी शेयर पूंजी 25.00 करोड रूपए तक बढ़ा दी है। कुल अनुमानित व्यय 25 करोड़ रुपये है जिसमें से 31 मार्च 2022 तक 13.39 करोड रूपए (31 मार्च 2021 तक 2.88 करोड़ रुपये) की राशि को वहन किया गया है।

ख) देनदारों, अग्रिमों और लेनदारों के तहत दिखाई गई कुछ शेष राशियां, यदि कोई हो, पुष्टि / विनियोजन / समायोजन के अधीन हैं। कंपनी ने उपरोक्त में शामिल पक्षों की पुष्टि के लिए पत्र भेजे थे।

ग) प्रबंधन के मतानुसार, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और व्यापार के साधारण प्रक्रिया में प्राप्ति पर अग्रिम का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर ये तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं।

नोट 45 कोविड-19 प्रकटन

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दिनांक 11 मार्च, 2020 को नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया है। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च, 2020 को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी और गैर-आवश्यक व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिये थे और माल और सेवाओं की आवाजाही, यात्रा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। विभिन्न परियोजना स्थलों पर परिचालन, मई 2020 में क्रमिक तरीके से फिर से शुरू किया जा सकता है।

"कंपनी द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति, तरलता, संचालन, कार्य बल आदि के संबंध में कोविड -19 महामारी और लॉकडाउन के प्रभाव की सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है, हालांकि, कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर ने उपभोक्ताओं, खाद्य और पेय पदार्थों और होटल उद्योग को प्रभावित किया है और दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएफसी से 3.73 करोड़ रुपये (31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 7.29 करोड़ रुपये) के पट्टा किराये को गंभीर रूप से प्रभावित किया है । इसके अलावा, समझौते पर प्राकृतिक आपदा खंड के लागू होने के कारण, आरएलडीए को 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष हेतु वर्ष 2021-22 में शून्य रुपये का भुगतान (वर्ष 2020-21 में 2.50 करोड़ रुपये) भुगतान नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि खाते पर 3.73 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 4.79 करोड़ रुपये) का शुद्ध प्रभाव पड़ा है । इस प्रकार, दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के परिणाम पिछली अवधि के परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

अन्य प्रचालनिक सेगमेंट के लिए, कंपनी को मौजूदा आर्थिक स्थितियों के आधार पर व्यापार के सामान्य क्रम में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त संपत्ति, उपयोग के अधिकार, अग्रिम, व्यापार प्राप्य आदि सहित अपनी संपत्ति की वहन राशि की वसूली की संभावना है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की गहनता से निगरानी करना जारी रखेगी, जबकि वर्क फ्रॉम होम, ई-ऑफिस आदि के माध्यम से इसकी कार्य क्षमता में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।"

नोट 46

कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में, जो दिनांक 01 अप्रैल 2021 से लागू हैं] निगमित मामला मंत्रालय ने 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।।। में संशोधन किया है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधन के अनुसार परिवर्तनों को शामिल किया है और नीचे दिए गए प्रकटीकरण उक्त संशोधन के अनुपालन में किए गए हैं:

i. कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-560 के तहत वर्ष के दौरान बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

ii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं

किया है।

iii. कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

iv. कंपनी के पास कोई पूर्व अवधि की त्रुटियां नहीं हैं, जिन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में अलग से प्रकट किया जाना है।

v. कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है, जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं है।

vi. कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाईयों) को इस सोच के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार या निवेश करेगा या कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं को, या (ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करती हैं।

vii. कंपनी को विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी:

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की प्रदान करें।

viii. कंपनी के पास प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों से ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

ix. चूंकि कंपनी के पास बहियों में कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए निवेश संपत्ति के उचित मूल्य इस के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

xi. चूंकि कंपनी के पास बहियों में कोई पट्टा नहीं है, इसलिए पट्टा देनदारियां के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

xii. कंपनी ने अपने पीपीई और अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

xiii. कंपनी का ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है, जहां कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए उधार का उपयोग नहीं किया है, जिसके लिए इसे तुलन पत्र की तारीख में यह उधार लिया गया था।

xiv कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवस्था की किसी भी योजना (योजनाओं) में प्रवेश नहीं किया है।

xv कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता के रूप घोषित नहीं किया गया है।

xvi कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवस्था की किसी भी योजना (योजनाओं) में प्रवेश नहीं किया है।

xvii कंपनी का ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है, जो उन लेखा बिहयों में दर्ज नहीं है जिन्हें बाद में आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत चल रहे कर निर्धारण के भाग के रूप में वर्ष के दौरान आय के रूप में प्रस्तुत या प्रकट किया गया है।

xviii कंपनी के पास, अचल संपत्ति को ऐसा कोई टाइटल डीड नहीं है जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं है।

(ख) हाल की घोषणाएं

दिनांक 23.03.2022 की अधिसूचना द्वारा इंड एएस में संशोधन पर प्रकटीकरण और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में संशोधन के अनुसार प्रकटीकरण

इंड एएस 16 - संपत्ति संयंत्र और उपकरण - संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता, यदि कोई हो, को लाभ या हानि में स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की लागत के भाग के रूप में कारक लागतों से प्रत्यक्ष रूप से कटौती की जाएगी। इस संशोधन को लागू करने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2022 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि होगी। समूह ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंड एएस 37 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां - यह संशोधन निर्दिष्ट करता है कि अनुबंध को 'पूरा करने की लागत' में 'अनुबंध से सीधे संबंधित लागत' शामिल है। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागत या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या अन्य लागतों का आवंटन, जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं (उदाहरण के लिए मूल्यह्रास शुल्क का आवंटन, संपत्ति की वस्तु, संयंत्र और अनुबंध को पूरा करने में प्रयुक्त उपकरण होगा)। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है, हालांकि समयपूर्व स्वीकार करने की अनुमति है। समूह ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।

वित्तीय देनदारियों की मान्यता रद्द करने के लिए '10 प्रतिशत' परीक्षण में शुल्क:

संशोधन, उस शुल्क को स्पष्ट करता है, जिसमें इकाई यह आकलन करते समय शामिल होती है कि क्या एक नई या संशोधित वित्तीय देयता की शर्तें मूल वित्तीय देयता की शर्तों से काफी भिन्न हैं। इन शुल्कों में केवल वे भुगतान शामिल हैं, जो उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच भुगतान किए गए या प्राप्त किए गए हैं, जिसमें भुगतान या प्राप्त शुल्क या तो उधारकर्ता या दूसरे की ओर से ऋणदाता द्वारा प्राप्त किया गया है।

यह इकाई, उन वित्तीय देनदारियों में संशोधन लागू करती है, जो वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में या उसके बाद संशोधित या विनिमय की जाती हैं, जिसमें इकाई सर्वप्रथम संशोधन लागू करती है।

नोट सं.47 अतिरिक्त विनियामक सूचना

i. अनुपातों का प्रकटन

विवरण	न्यूमरेटर	डिनॉमिनेटर	31 मार्च 2022	मार्च 31, 2021	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान किराया संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	1.81	2.03	-10.72%	लागू नहीं
ऋण इक्विटी	कुल ऋण	शेयरधारकों की	लागू नहीं			

अनुपात		इक्विटी				
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती	लागू नहीं			
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.03	0.04	-14.23%	लागू नहीं
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए सामान की लागत	औसत सूची	0.01	0.93	-98.83%	चालू वर्ष में उस समय की समापन इंवेंटरी में वृद्धि
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री = सकल क्रेडिट बिक्री - बिक्री रिटर्न	औसत व्यापार प्राप्य	1.98	2.67	-25.96%	चालू वर्ष में बिक्री में कमी
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद = सकल ऋण खरीद - खरीद वापसी	औसत व्यापार देय	8.01	9.41	-14.85%	लागू नहीं
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	कार्यशील पूंजी = वर्तमान संपत्ति - वर्तमान देनदारियां	1.46	1.53	-5.17%	लागू नहीं
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	0.03	0.03	4.88%	लागू नहीं

नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.15	0.17	-12.91%	लागू नहीं
निवेश पर वापसी	ब्याज (वित्त आय)	निवेश	0.03	0.04	-9.54%	लागू नहीं

हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.एम.जी.एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन–004730एन

निदेशक मंडल के कृते और की ओर से

सीए ललित गोयल
(साझेदार)
स.सं.091100

पूजा चौरसिया
सी.एफ.ओ

अजय पाल सिंह
सी.ई.आ

मनीषा गोले
कंपनी सचिव

अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(डिन:09213782)

योगेश कुमार मिश्रा
निदेशक
(डिन:07654014)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक रु 23 मई 2022

के एम जी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

बेसमेंट, 18, नेशनल पार्क,
लाजपत नगर–4, नई दिल्ली–110024
दूरभाषः 011–41636286
फेक्स सं. 011–41636825
ई–मेल : office@kmgsa.in

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सदस्य,
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,
नई दिल्ली।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षण रिपोर्ट

हमने **इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड** (''कंपनी) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कम्पनी कार्यों के संदर्भ में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसेइस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं ।

मत का आधार

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा

लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखापरीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामलपे हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।

हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में प्रस्तुत करने हेतु कोई प्रमुख लेखापरीक्षा मामला नहीं है।

अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल, अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई सूचना है, किन्तु इसमें इंड एएस वित्तीय विवरणों और हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध होने की आशा है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में, अन्य सूचना शामिल नहीं हैं और हम हम इसे शामिल करने के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देते हैं।

इंड–एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी इंड–एएस वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी हमारी लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती हैं। जब हम कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), यथा संशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद–133, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों (वित्तीय स्थिति), लाभ हानि (अन्य

वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह तथा इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डो की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों, जो लागू हों, के प्रकटन, कोईंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन पर गोइंग कसर्न के प्रयोग के संबंध में कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्तें प्रबंधन कंपनी को लिक्वीडेट करना चाहता है या प्रचालनों को बंद करना चाहता है, या उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं हैं।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है । युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। दुर्विववरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक दृष्टिकोण को प्रयोग करते हैं और सर्म्पूण लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक परिदृश्य को बनाए रखते हैं। हम यह भी निर्धारित करते हैं कि:

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों,का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

भौतिकता स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में दुर्विवरण की गंभीरता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूपा से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों का यथोचित विवेकपूर्ण उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारी लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैंय और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिह्नित दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखापरीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) यथापेक्षित हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं

   (ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ–हानि विवरण सहित अन्य वृहत आय, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम–7 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

(ड.) सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक कुशलता के संबंध में, अनुबंध–क में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और प्रचालनिक कुषलता पर गैर परिशोधित मत प्रस्तुत करती है।

(छ) सरकारी कंपनी होने के कारण, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(ज) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

i. कंपनी ने अपने इंड–एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घावधि के अनुबंधों पर, लागू कानून या लेखा मानकों के तहत, महत्वपूर्ण भावी हानियों, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है।

iv. (क) प्रबंधन ने उल्लेख दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

(ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभाथी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।

(ग) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड.) के उप–खंड (प) और (पप) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

v. कंपनी ने इस वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) के आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित है, हम आदेश के

पैरा 3 और 4, जहां तक लागू हो, में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण ''अनुलग्नक ख'' के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर हमारी अलग रिपोर्ट ''अनुबंध ग'' के रूप में संलग्न है।

कृते केएमजीएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या : 004730एन)

(ललित गोयल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 091100)

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई 2022

यूडीआईएन:22091100AJKLQA8785

के एम जी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

बेसमेंट, 18, नेशनल पार्क,
लाजपत नगर–4, नई दिल्ली–110024
दूरभाषः 011–41636286
फेक्स सं. 011–41636825
ई–मेल : office@kmgsa.in

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड की इंड एएस वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की मसौदा स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का ''अनुबंध–क''।

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2022 को **इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड** (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा

जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'')के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रि याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रि याएं शामिल हैं जो (1)उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हत मत

हमारे मतानुसार, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2021 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते केएमजीएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या : 004730एन)

(ललित गोयल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 091100)

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई 2022

यूडीआईएन : 22091100AJKLQA8785

के एम जी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

बेसमेंट, 18, नेशनल पार्क,
लाजपत नगर–4, नई दिल्ली–110024
दूरभाषः 011–41636286
फेक्स सं. 011–41636825
ई–मेल : office@kmgsa.in

मसौदा स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध–ख

(दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक लेखापीक्षक रिपोर्ट के अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाअें पर रिपोर्ट के पैरा–1 के संदर्भ में)

(i) क. (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाया गया है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण को दर्शाने वाले उचित रिकार्डों का अनुरक्षण किया है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की सत्यापन की प्रकिया के अनुसार, युक्तिसंगत अंतराल पर चरणबद्ध सत्यापन कार्यक्रम मे प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित है। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

(ग) कंपनी के तुलन पत्र की तिथि को कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है और इसलिए, यह खंड लागू नहीं है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी पसिंपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्ति परिसंपत्तियों को कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड.) कंपनी के पास कोई बेनामी परिसंपत्ति नहीं है। वर्ष के दौरान बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (वर्ष 2016 को यथा संशोधित) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत, कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2022 को बेनामी

परिसंपत्ति रखने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई आरंभ नहीं की गई हे या कंपनी के विरूद्ध कोई मामला लंबित नहीं है।

(ii) (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अंतरालों पर इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया है। वर्ष के अंत में किए गए भौतिक सत्यापन में कोई प्रमुख विसंगति नहीं पाई गइ्र है।

(ख) वर्ष में किसी भी समय बिंदु पर, कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर किसी बैंक या वित्तीय संसीानों से समग्र रूप में 5 करोड रूपए से अधिक की सीमा की कोई कार्यशील पूंजी अनुमोदित नहीं की है, इसलिए खंड 3 (ii)(ख) के तहत रिपोर्टिं लागू नहीं है।

(iii) यथासूचित, कम्पनी ने कोई निवेश नहीं किए है, कोई गारंटी प्रतिभूति या किसी ऋण की गारंटी नहीं दी है, किसी कम्पनी, फर्म, लिमिटेड देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को किसी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए, इस खंड के अंतर्गत सभी उपखंड लागू नहीं होते हैं।

(iv) कंपनी ने कोई ऋण प्रदान नहीं किया है, कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटियों और प्रतिभूतियों नहीं दी हैं। इसलिए इस आदेष का पैरा (iv) कंपनी पर लागू नहीं है।

(v) कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(vi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और जैसा कि स्पष्ट किया गया है, केन्द्रीय सरकार ने कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–148 के उपखंड (1) के खंड–घ के अंतर्गत लागत रिकार्ड का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार वस्तु एवं मालकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, वस्तु एवं सेवाकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों के संबंध में अविवादित सांविधिक राशियों को सामान्य रूप से नियमित आधार पर कंपनी द्वारा सांविधिक प्राधिकरणों को जमा कराया गया है और छह माह से अधिक की अवधि के

लिए कोई भी बकाया राशि 31 मार्च 2022 को अविवादित देयों के रूप में शेष नहीं है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, वस्तु एवं सेवाकर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय के संबंध में कोई अविवादित देय नहीं है :

(viii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखा बहियों में ऐसा कोई संव्यवहार रिकार्ड नहीं किया है, जिसे आय कर अधिरियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत आयकर आकलनों में वर्ष के दौरान आयकर के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो।

(ix) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारों की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(खी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इसलिए, यह खंड लागू नहीं है।

(घ) कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

(ड.) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है और इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

(च) कंपनी ने अपनी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है।

(ख) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या किसी भी धोखाधड़ी पर कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया है या रिपोर्ट किया गया है। इसलिए, इस खंड के उप–खंड (ख) और (ग) लागू नहीं होते हैं।

(xii) हमारे मतानुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xiii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो और उसका ब्यौरा लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) (क) हमारे मतानुसार, कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है।

(ख) हमने, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और स्तर का निर्धारण करने के लिए वर्श के दौरान और आज की तिथि तक कंपनी द्वारा जारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्श के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पर विचार किया है।

(xv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 192 के अंतर्गत शामिल निदेशकों या व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार के गैर–रोकड संव्यवहारों में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xvi) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–1क के अंतर्गत पंजीकरण की अपेक्षा नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी उस समूह का हिस्सा नहीं है जिसमें समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सीआईसी हैं।

(xvii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में और तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद नुकसान नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय परिसंपत्तियों के वित्तीय अनुपात, उनकी आयु, उनकी वसूली की संभावित तिथि तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, अन्य संलग्न वित्तीय विवरणों और निदेषक मंडल और प्रबंधन की योजना के संबंध में हमारे ज्ञान के आधार पर और अनुमानों के पक्ष में साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास करना पड़े कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख को अपनी मौजूदा देयताओं को तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं है, को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निष्पादित कर दिया है।

(xx) (क) चालू परियोजनाओं के अलावा, तुलनपत्र की तारीख से 6 महीने की अवधि अभी समाप्त होनी बाकी है, कंपनी को दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे परंतुक का अनुपालन करने हेतु (लेखे की टिप्पणियों का नोट संख्या 42 देखें)। प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि अव्ययित राशि उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर हस्तांतरित की जाएगी।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के तहत चल रही परियोजना के अनुसार अव्ययित राशि, उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित नहीं की गई है (लेखों की टिप्पणियों की नोट संख्या 42 देखें)।

(xx) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर लागू अन्य संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के समेकन की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

कृते केएमजीएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या : 004730एन)

(ललित गोयल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 091100)

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई 2022

यूडीआईएन : 22091100AJKLQA8785

के एम जी एस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

बेसमेंट, 18, नेशनल पार्क,
लाजपत नगर–4, नई दिल्ली–110024
दूरभाष: 011–41636286
फेक्स सं. 011–41636825
ई–मेल : office@kmgsa.in

अनुबंध–ग

अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार यथपेक्षित हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र .सं	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
	क्या समूह में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	जी हां। कंपनी के पास सभी लेखांकन संव्यवहारों के निष्पादन हेतु तथा वित्तीय लेखों को तैयार करने के लिए टैली प्रणाली विद्यमान है। कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है।
	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा समूह को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में समूह द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें। (यदि, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होगा)।	वर्ष के दौरान, ऋण के पुनर्भुगतान की कंपनी की अक्षमता के कारण क्षेत्र में देनदारों द्वारा कर्ज/ऋणों/ब्याज आदि में छूट प्रदान करने/बट्टे खाता डालने या पुनर्निधारण का कोई मामलन विद्यमान नहीं है।

	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/ नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किसी विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत किसी केन्द्रीय या राज्य एजेंसी से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है/प्राप्य नहीं है।

कृते केएमजीएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या : 004730एन)

(ललित गोयल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 091100)

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई 2022

यूडीआईएन : 22091100AJKLQA8785

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से गैर–समीक्षा प्रमाणपत्र

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 23 मई 2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्रमुख रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों तक सीमित है और यह कुछ लेखांकन रिकार्डो की चुनिंदा जांच है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिसके कारण इस अधिनियम की धारा 143(6)(ख)के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनूपूरक टिप्पणी प्रस्तुत नहीं होती है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
ह/-
(विक्रम डी. मुरूगराज)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 05.08.2022